खण्ड-209, अंक-8
सोमवार, 3 फाल्गुन, शक संवत् 1881
(22 फरवरी, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 209 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २२ फरवरी, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३२२

अक्षयवर्रासिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरी शंकर राय, श्री

घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसाद सिंह, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री

बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भूपकिशोर , श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
माताप्रसाद, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री

रूर्मासिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम , डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २२ फरवरी, १९६०

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

गाजीपुर जिले में सस्ते गल्ले की दूकानों से चावल तथा आटा न मिलने की शिकायत

*१--श्री पब्बरराम (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)---क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इसका क्या कारण है कि गाजीपुर जिले की समस्त सस्ते गल्ले की दुकानों पर चावल तथा आटे का वितरण सरकारी आदेश द्वारा बन्द कर दिया गया है ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--गाजीपुर जिले में सस्ते गल्ले की दुकानों पर चावल दिया जा रहा है। जहां तक आटे का प्रश्न है, इसके बदले गेहूं दिया जा रहा है।

[२२ फरवरी, १९६० के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

गोंडा जिले में डिब्लर और लाईनिंग से गेहूं की बोवाई तथा खरीफ के लगान में छूट देने की प्रार्थना

*१--श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--क्या सरकार यह बातने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में रबी अभियान में कितने एकड़ में डिब्लर गेहूं की बोनी की गई है, और लाईनिंग तहसीलवार कुल कितने एकड़ में की गयी है ?

कृषि उपमंत्री (श्री कालीचरण अग्रवाल)--गोंडा जिले में रबी अभियान १९५९-६० के अन्तर्गत डिब्लर द्वारा तथा लाईनिंग में बोये गये गेहूं का क्षेत्रफल निम्नलिखित है:--

	डिब्लर द्वारा एकड़	लाईनिंग द्वारा एकड़
१--गोंडा	२,१६३	२४,३८१
२--अतरौला ..	२,१०४	१८,०७०
३--बलरामपुर ..	६६८	१४,३७८
४--तरबगंज	१,३५७	३६,८७४
योग ..	६,२९२	९३,७०३

*२--श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खरीफ की फसल में गोंडा जिले की जिन तहसीलों में अगहनी धान नहीं रोपा गया उनमें लगान में छूट दी गयी है ? यदि हां, तो कितनी कितनी ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--गोंडा जिले की प्रत्येक तहसील में १९५९-६० में क्षति हुई है छूट का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि डिब्लर की बोआई में सरकार ने क्या क्या सहायता की ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---डिब्लर के द्वारा कार्य कराने में अच्छा बीज दिया गया, अच्छी खाद दी गयी और यह कार्य किस प्रकार से किया जाता है यह बताया गया। इन सब चीजों की जानकारी उनको करायी गयी।

श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किस तहसील में सब से ज्यादा कौन से किसान ने डिबलर की खेती की और उसको क्या पुरस्कार दिया गया ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---इतने विस्तार के आंकड़े तो इस समय प्राप्त नहीं हैं, किन्तु इस विषय में जानकारी प्राप्त हो सकती है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि डिब्लर की खेती और लाइन की खेती श्रेष्ठ खेती है और इससे पैदावार बढ़ती है जब कि खाद्य, पानी और मौसम एक ही प्रकार का हो ? तो क्या सरकार के पास मशीन जैसे कोई चीज है जिससे लोग यह समझें कि यह खेती का अच्छा तरीका है ?

श्री मोहनलाल गौतम---जितनी बातों का प्रचार होता है उन सब का पहले अच्छी तरह से डिपार्टमेंट में तजुर्बा कर लिया जाता है और जब वह इस नतीजे पर पहुंचता है कि यह अच्छा तरीका है तभी उसका प्रचार करता है और तभी उसका प्रचार करने का अधिकार हमें है।

श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार जब लगान वसूल कर लेगी तब छूट देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---अभी तो कोई लगान वसूल नहीं किया गया है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के जरिये से तहसीलवार जो खबरें मेरे पास आई हैं कि इतनी इतनी छट होनी चाहिये अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं उनको सूचना दे दूं। तहसील गोंडा में ७१,८२६ रु० की छूट, तहसील अतरौला में ५८,११० रु० की छूट, बलरामपुर से ५२,८४७.९ रु० और तरबगंज से २,२४,२५५.१५ रु० है। ए० डी० एम० के द्वारा कोशिश हो रही है कि छूट का नक्शा तैयार हो जाय। कुछ जगहों से नक्शा आ भी गया है उसको समझ कर छूट दी जायेगी। जब तक यह बात तय न हो जाय तब तक वसूलयाबी नहीं की जायगी।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---श्री झारखंडेराय जी के उत्तर में जो माननीय मंत्री जी ने बताया उसके सम्बन्ध में जानना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट ने डिब्लर की खेती का जो एक्सपेरीमेंट किया उससे क्या फायदा हुआ और अन्न के कितनी अधिक उपज हुई ?

श्री मोहनलाल गौतम---अगर माननीय सदस्य-पत्र लिखेंगे तो मैं विस्तार में उसकी सूचना उनके पास भेज दूंगा।

एफिडस का जेवकीय अध्ययन

*३---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या एफिडस के जेवकीय अध्ययन और उसके रोकथाम का कार्य उत्तर प्रदेश के कीट-शास्त्रज्ञ (इंटामालोजिस्ट) को सौंपा गया है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---भारतीय कृषि गवेषण परिषद् की स्वीकृत २७ जनवरी, १९६० को प्राप्त हुई है और इस योजना को चलाने के लिये कृषि संचालक को आदेश जारी कर दिये गये हैं।

*४---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---यदि हां, तो उक्त योजना पर वित्तीय वर्ष १९५९-६० में कितना रुपया व्यय होगा और क्या यह कुल रुपया भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् ही देगी ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---लगभग १,००० रुपया जिसको कि भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् वहन करेगा।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि उक्त योजना के लिये बजट में स्पष्ट लिखा है कि भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् ने १८,३५० रु० की लागत की दो वर्षों की अवधि के लिये यह योजना स्वीकृत की है तो फिर इस स्वीकृत का क्यों इंतजार किया गया ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—प्रश्न बड़ा स्पष्ट है कि हमने सन् १९५९–६० के बजट में ८९,००० रु० इसके लिये स्वीकार किया था और कार्य पहली अप्रैल, १९५९ से प्रारम्भ कर रहे थे। लेकिन बाद को तीन अप्रैल, १९५९ को हमारे पास परिषद् का पत्र आया कि जब तक इसके टेक्निकल आस्पेक्ट्स और प्राब्लम्स को स्वीकार न कर लिया जाय तब तक सूबा सरकार इसको प्रारम्भ न करे। उसका उत्तर हमने तुरन्त उसी महीने में उसकी स्वीकृति के लिये कृषि गवेषणा परिषद् को लिखा। उसके बाद उनकी स्वीकृति का अन्तिम पत्र २७ जनवरी, १९६० को आया है। इससे पूर्व सूबा सरकार कोई कार्य नहीं कर सकती थी क्योंकि वह हमारे अधिकार में नहीं था। इसलिये जब उनकी स्वीकृति आई तो हमने आदेश दे दिया और यह योजना शीघ्र ही आरम्भ हो जायगी।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि सरकार कृपया बतायेगी कि क्या एफिडस के जेवकीय अध्ययन और उसके रोकथाम का कार्य उत्तर प्रदेश के कीट-शास्त्रज्ञ (इंटामालोजिस्ट) को सौंपा गया है, इसका जवाब नहीं दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—इसका मतलब क्या है ? किसी की समझ में यह आया नहीं होगा जैसा कि आपने लिखा है, इसलिये शायद जो उनकी समझ में आया उसी का उत्तर दे दिया। आप अपना प्रश्न स्पष्ट कर दें।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—मेरा प्रश्न यह है कि यह योजना किस विशेषज्ञ के द्वारा चलायी जायगी ? जिसका नाम मेरे प्रश्न में लिखा हुआ है क्या उसी विशेषज्ञ के द्वारा चलायी जायगी ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—योजनायें तो विशेषज्ञों के द्वारा ही चलायी जाती हैं लेकिन जो डिपार्टमेंटल कायदा है वह यह है कि सबसे पहले कृषि संचालक के पास खबर जायगी और उसके बाद एंटामालोजिस्ट है उसके पास जायगी। एंटामालोजिस्ट के पास खबर या तो पहुंच गई होगी या पहुंच जायगी।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जब पहले योजना बनी थी तब रुपये की तादाद ज्यादा थी लेकिन बाद में वह तादाद घटा दी गई ? यह परिवर्तन क्यों किया गया ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—परिवर्तन योजना में नहीं हुआ है। जो विलम्ब हुआ है वह केंद्रीय सरकार से स्वीकृति लेने में हुआ। अब ४–५ सप्ताह रह गये हैं। जो रुपया था वह फेंक थोड़े ही दिया जायगा वह खर्च ही किया जायगा।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—इस योजना में क्या एन्टामालोजिस्ट यह भी व्यवस्था कर रहे हैं कि प्रदेश में, और विशेषतः बलिया आदि जिलों में चूहों की आफत हटायी जाय ?

श्री मोहनलाल गौतम—चूहों की बड़ी जटिल समस्या होती जा रही है। हम इसके लिये सतर्क हैं और इस प्रश्न से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अवधेशचन्द्रसिंह (जिला फर्रुखाबाद)—क्या मंत्री जी इस योजना को बताने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहन लाल गौतम—यह बड़ी टेक्निकल योजना है, जबानी बताना सम्भव नहीं है। बहुत विस्तृत भी है।

मैनपुरी जिले में शक्कर की दुकानों का वितरण

*५---श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में जो सरकार की ओर से अगस्त, १९५९ में शक्कर की दुकानें खोली गई हैं वह किस किस स्थान पर खोली गई हैं और दुकानों को किस आधार पर जिले में वितरित किया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---स्थानानुसार शक्कर की दूकानों की सूची संलग्न है जांच के पश्चात शक्कर की दूकानें उन्हीं स्थानों में खोली गई हैं जिन स्थानों को उपयुक्त समझा गया ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७०६ पर)

श्री गनेशचन्द्र काछी---दूकानें खोलने के लिये स्थान किस आधार पर चुने गये थे ? गांव सभा या पंचायती अदालत के हिसाब से या आबादी के हिसाब से या मनमाने ढंग से, क्या मंत्री जी यह बतावेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---नियम यह है कि २ पंचायती अदालतों के बीच में एक शक्कर की दूकान खोल दी जाय जहां केन्द्रीय स्थान हो ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी में दूकानें खोलने के लिये जिन लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिये उनकी जांच रेवेन्यू विभाग से कराई गई या सप्लाई विभाग से ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह जांच तहसीलदार ने की है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या सरकार इस बात की जांच करावेगी कि स्थानीय अधिकारियों ने नियम के भिन्न जाने में कोई ज्यादती तो नहीं की है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यहां से आदेश बाद को हुये और चीनी का वितरण एक-दम से अगस्त में कराना पड़ा । अगर कोई शिकायत आवेगी तो उसकी जांच करा ली जायगी । अभी कोई शिकायत नहीं आई है ।

गो सदन बढ़ाने की प्रार्थना

*६---श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बूढ़े तथा बेकार पशुओं (जो न तो दूध दे सकते हैं और न गाड़ी आदि ही खींच सकते हैं) की रक्षा तथा रख-रखाव की भी सरकार की ओर से व्यवस्था है? यदि हां, तो क्या और कहां है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---जी हां । इस प्रकार के पशुओं की रक्षा तथा रख रखाव की व्यवस्था के लिये प्रदेशीय जिला तथा निजी गोसदन स्थापित किये गये हैं जिनकी सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७०७ पर)

श्री गनेशचन्द्र काछी---जिन जिलों में गोसदन नहीं हैं क्या सरकार वहां खोलने की कृपा करेगी ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---यह व्यवस्था हो रही है और की जायगी ।

श्री झारखंडे राय---क्या मंत्री जी बतावेंगे कि जो गोसदन अभी तक खोले गये हैं उनमें से प्रत्येक में कितने पशु इस प्रकार के अभी तक रखे जा चुके हैं ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---तीन प्रकार के गोसदन है प्रदेशीय स्तर पर, जिले के स्तर पर और निजी। प्रदेशीय स्तर वाले में १,००० तक, निजी में ४०० से ५०० तक और जिलेवाले में २००-२५० पशु होते हैं। जितने पशु आते हैं सब भरती कर दिये जाते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---निजी गोसदन को सरकार कैसे सहायता करती है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---व्यक्तिगत गऊशालाओं को, जिनको मदद दी जाती ह उनके साथ यह शर्त भी रखी जाती है कि वे अपने निजी गोसदन भी रखें और वे दूध वगैरह के लिये सहायता देते हैं।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---प्रदेशीय स्तर पर कितने गोसदन कार्य कर रहे हैं और कितने और खुलने वाले हैं क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---इस समय ५ गोसदन कार्य कर रहे हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ८ खोलेजाने वाले थे तीन और स्थापित किये जा चुके है और दो और स्थापित किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री गेंदा सिंह---इन आठों के नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहन लाल गौतम---इस समय ५ राजकीय गोसदन कार्य कर रहे हैं गंजरिया सोत रामनगर, नैनीताल जिले में, मलगांवां जिला इटावा में, रानीपुर जिला बांदा में, पिछिया जिला बहराइच में और हारवर जिला खीरी में।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---प्रदेशीय स्तर के गोसदन पर एक वर्ष में कितना खर्चा होता है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---नोटिस चाहिये।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस स्कीम को आगे बढ़ाने का प्रयत्न क्यों नहीं किया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम---कोशिश की जाती है। जितनी जमीन एक राजकीय गोसदन के लिये आवश्यक है उतनी मिलना कठिन हो जाता है।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)---गोरखपुर में गोसदन के लिये भूमि लेने की बात जो थी वह किस स्थिति पर है ?

श्री मोहन लाल गौतम---वहां जिला गोसदन खुल चुका है।

गोदलामऊ सस्ते गल्ले की दुकान की जांच

*७---**श्री ताराचन्द्र माहेश्वरी** (अनुपस्थित)---गोदलामऊ (सीतापुर) की सस्ते गल्ले की दूकान से सम्बन्धित विधान सभा के दिनांक ३-८-५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ५६-५८ के उत्तर के क्रम में क्या खाद्य मंत्री जिलाधीश द्वारा कराई गयी जांच की मुख्य बातें बताने की कृपा करेंगे ? और यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या जांच किसी अन्य विभाग द्वारा भी कराई गयी ? यदि हां, तो उस जांच की रिपोर्ट की भी मुख्य बातें बताने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जिलाधीश तथा आर० एफ० सी० द्वारा कराई गई जांच में कवल यह पाया गया कि एक बोरे माइलो में कुछ टूटा फूटा माल था। अन्य शिकायतें साबित नहीं हुं। मामला जिला खाद्य सलाहकारिणी समिति को भेज दिया गया और उसके उपरान्त दूकान न देने की आज्ञा रद्द कर दी गई।

*८-१०--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--[७ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

सिसवा बाजार में राशन की दुकानों पर सड़ा आटा देने की शिकायत

*११--श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत १-१२-५९ को प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ भेजा गया गोरखपुर जिले के सिसवां बाजार के नागरिकों द्वारा पत्र खाद्य मंत्री को मिला है जिसमें राशन की दुकानों पर सड़ा आटा मिलने की शिकायत तथा आटे के स्थान पर गेहूं देने का अनुरोध किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्बन्ध में की गई कार्यवाही सदन में बताने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी हां । इस विषय में जांच की गई और उसके फलस्वरूप यह ज्ञात हुआ कि जांच के समय सिसवां बाजार में केवल एक सस्ते गल्ले की दूकान पर एक बोरा आटा कुछ खराब था । दूसरी दूकानों तथा थोक व्यापारियों के स्टक में कोई खराबी नहीं मिली ।

जिस दूकान पर खराब आटा पाया गया उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है । जहां तक आटे के स्थान पर गेहूं के वितरण करने का संबंध है अब आटा बड़े नगरों में भी जहां मिलें स्थित हैं सस्ते गल्ले की दूकानों द्वारा वितरित किया जाने लगा है । जिसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में आटे की सप्लाई कम हो गई है और साधारणतयां गेहूं, चांवल तथा मोटा अनाज दिया जा रहा है ।

श्री मदन पांडेय--क्या मंत्री जी उनका नाम बताने की कृपा करेंगे जो अधिकारी जांच करने गये और उनकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--आर० एफ० सी० के मार्फत जांच कराई थी । उन्होंने रिपोर्ट दी है कि कोई खराबी नहीं है । एक ही दूकान पर केवल एक बोरा खराब पाया गया और वह शायद इस कारण बताया गया कि प्रचार किया जाय कि आटा खराब है ।

श्री मदन पांडेय--किस प्रकार की विभागीय कार्यवाही उसमें अभी तक न हो चुकी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--आपने जो पत्र भेजा था, उसकी रिपोर्ट आई है और मुनासिब कार्यवाही की जायगी ।

श्री मदन पांडेय--क्या माननीय खाद्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वे गोरखपुर और देवरिया के माननीय सदस्यों से सलाह और जानकारी हासिल करने का इरादा रखते हैं क्योंकि आमतौर से इन जिलों से अनाज खराब मिलने की शिकायतें आ रही हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--सभी माननीय सदस्यों से तो रोज ही परामर्श होता रहता है । जब भी वे कोई सुझाव देना चाहेंगे उसका स्वागत किया जायगा । जहां तक हो सकता है कोशिश इसी बात की होती है कि वहां अच्छा अन्न जाय और कोई ऐसी शिकायत न आये ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह आटा जो दूकानों से दिया जाता है, वह कहीं विदेश से आया हुआ है या यहीं की किसी मिल से पिसाया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--विदेशी गेहूं का जो आटा मिलों में पिसाया जाता है, वही है । कहीं बाहर से नहीं आता है, यहीं पिसाया जाता है ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी को सड़ा चना दिये जाने की भी कोई शिकायत मिली ह ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जी हां, कल परसों ही मैंने उसका नमूना मंगाया था। वह घुना हुआ तो ज्यादा नहीं है लेकिन खत्ती में रखने की वजह से उसमें कुछ हीक अवश्य आती है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या मंत्री जी ने माननीय गेंदासिंह जी से इस संबंध में कोई परामर्श लिया था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यदि उन्होंने कोई परामर्श दिया होगा तो अवश्य ही लिया होगा ।

कुंवर श्रीपालसिंह---जो पिसा आटा जनता को दिया जाता है वह सरकार गेहूं देकर मिलों से पिसवाती है अथवा पिसा-पिसाया आटा ही सरकार उनसे खरीदती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---असल में गवर्नमेन्ट आफ इंडिया कवाल टाउन्स में दिया करती थी । हमने उन से इस बात की दरख्वास्त की कि जब आप मिलों को गेहूं देते ही हैं तो खुली छूट से उनको बेचने की इजाजत क्यों दी जाती है। वे उसमें से सूजी मैदा निकाल लेते हैं इसलिये आटा उनको नियंत्रित मूल्य पर बेचना चाहिये इस प्रकार से वह आटा हमें मिल जाता है ।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि वे कभी-कभी सामूहिक रूप से इस सदन के माननीय सदस्यों को बुलाकर और इन दूकानों के बारे मे सुझाव लेकर उनको कार्यान्वित करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी हां, मैंने गतवर्ष हर डिवीजन वालों को बुलाया था और उनकी राय ली थी। प्रान्तीय स्तर पर खाद्य समिति और स्टैंडिंग कमेटीज में भी माननीय सदस्यों को आमंत्रित किया जाता है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि गेहूं में खत्ती के कारण कुछ बदबू आ गयी थी । तो क्या उस गेहूं पर डिफ्यूमिकेशन का प्रयोग करने के बाद भी गल्ले में से बदबू आता रही ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इतनी बदबू तो नहीं आ रही थी कि वह खाने के योग्य ही न हो। यों थोड़ी सी बदबू आ ही जाती है।

श्री राजनारायण---मंत्री जी ने अभी कहा कि खाद्य समिति और स्टैंडिंग कमेटी दोनों की राय प्रान्तीय स्तर पर ली जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन सी खाद्य समिति है और उसके सदस्य कौन-कौन हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---उसमें सभी पार्टियों के नेतागण हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है और मुख्य मंत्री जो उसके सभापति हैं ।

श्री रांजनारायण---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि यदि कोई ऐसी समिति है तो क्या उसमें सोशलिस्ट पार्टी का न तो कोई नेता है और न कोई उसका सदस्य ही है ?

श्री अध्यक्ष---इसीलिये शायद आपको मालूम नहीं है।

श्री राजनारायण---फिर यह कैसे कहते हैं कि सभी पार्टी के नेता उसमें हैं जब कि सोशलिस्ट पार्टी का कोई नेता या सदस्य उस समिति में नहीं जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---हमने तो सब पार्टी के नेताओं को उसमें रखा है अब कोई आवे या न आवे यह उनकी मर्जी पर है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि एक बार छोड़ कर उसका निमन्त्रण-पत्र क्या कभी किसी को गया है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो बहस है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

श्री राजनारायण—हमने सन् ५७ में लिख कर दे दिया था. . . .

श्री अध्यक्ष—जब आपने कई दफा यह जाहिर कर दिया था कि हम ऐसी समिति में नहीं जायेंगे फिर आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये ।

श्री रांजनारायण—श्रीमान् जनता इससे भ्रमित होती है कि सोशलिस्ट पार्टी की राय से यह सब होता है जबकि सोशलिस्ट पार्टी कमेटी तक में नहीं जाती । तो सरकार की ओर से इस प्रकार का भ्रामक उत्तर क्यों दिया जाता है ?

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमान् आम तौर से यह शिकायत है कि आटे में सोप स्टोन्स वगैरह मिला दिये जाते हैं तो क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि वह स्वयं आटा पिसवाया करती है या कहीं से पिसा पिसाया आटा ही लेती है ? यदि पिसा पिसाया आटा ही लेती है, तो वह कहां से लेती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—हम खुद पिसवाते हैं और वहां हमारा एक गजटेड आफिसर बराबर रहता है जो देखता रहता है कि उसमें किसी चीज का ऐडमिक्सचर न हो।

गोरखपुर जिला सहकारी बैंक की रकम की वापसी

*१२—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज, उत्तर प्रदेश लखनऊ ने गोरखपुर जिला सहकारी बैंक के प्रबन्ध संचालक द्वारा उपरोक्त बैंक से बाइलाज की धारा ६५ की मंशा के विपरीत जुलाई सन् १९५८ २०० रुपये प्रतिमास ली जाने वाली रकम की वापसी का आदेश दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त रकम की वापसी हुई या नहीं ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—जी हां, कुल रकम की वापसी हो गई है ।

श्री मदन पांडेय—क्या यह सत्य है कि जब रजिस्ट्रार का आदेश उस रकम की वापसी के लिये पहुंचा उसके बाद उक्त बैंक के संचालक मंडल ने प्रस्ताव पास किया था कि यह रकम उनको दी जायगी, इसलिये कि प्रबन्धक संचालक का काम बहुत अच्छा है ?

श्री मोहन लाल गौतम—बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स ने यह पास किया था कि उनको यह रुपया दिया जाना चाहिये ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो २०० रु० मासिक देने का प्रस्ताव पास हुआ था वह २०० रु० मासिक किस काम के लिये दिया जाता था और कितने महीने तक दिया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम—बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स ने मैनेजिंग डाइरेक्टर जो काम करते हैं उसके लिये उनको २०० रु० मासिक देने का प्रस्ताव पास किया था और २,४०० रु० कुल उनको दिया गया ।

श्री मदन पांडेय—क्या यह रकम आदेश पहुंचने के बाद भी दी जाती रही ? यदि हां, तो कितने महीने तक ?

श्री मोहनलाल गौतम—मेरा ख्याल है कि आदेश पहुंचने के बाद वह रकम देना बन्द हो गयी और अब कुल रकम वापस कर दी गयी है ।

रामपालसिंह सहकारी बैंक लिमिटेड, बछरावां संबंधित कर्जा सोसाइटियां तथा असिस्टेण्ट रजिस्ट्रार सहकारी विभाग रायबरेली के विरुद्ध शिकायत

*१३—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपाल सिंह सहकारी बैंक लिमिटेड, बछरावां तोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी नहीं ।]

*१४—श्री भीखालाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस बैंक से सम्बन्धित कितनी कर्जा सोसाइटियां काम करती थीं ?

श्री मोहनलाल गौतम—१४६

*१५—श्री भीखालाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसके पास असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार,सहकारी विभाग, रायबरेली के विरुद्ध भष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं । यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

श्री मोहन लाल गौतम—जी हां । आरोपों की जांच करवाई गई थी । कुछ की जांच पूरी होने पर निराधार पायो गयी, कुछ की जांच अभी हो रही है ।

शाहगंज तहसील में बलिया बार्ली की वसूली में छूट देने पर विचार

*१६—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार को पता है कि जौनपुर जिले की तहसील शाहगंज में सन् १६५७ –५८ में जो बलिया बार्ली के नाम का जौ का बीज किसानों को बांटा गया था जिसके विषय में खराब होने तथा फसल पैदा न होने की आम शिकायत थी उसकी वसूली मय सवाई तथा सूद के इस वर्ष की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—जी नहीं । वसूली नहीं की जा रही है । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

कंवर श्रीपाल सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसकी वसूली स्थगित की गयी है या माफ की गयी है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—इस समय तो स्थगित की गई है ।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी इसको माफ करने की कृपा करेंगे ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—छूट के लिये फार्म बी० द्वारा डाइरेक्टर आफ ऐग्री-कल्चर ने जिला अधिकारी से पूछा है कि कितना और कहां-कहां नुकसान हुआ है, उसके हिसाब से जनता को छूट दी जायगी ।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बलिया बार्ली नाम का जो जौ है, उसके बारे में ठीक से पैदा न होने या कम पैदा होने की शिकायत और जिलों से भी आयी है और जिसकी कई बार यहां भी चर्चा की गयी, तो क्या सरकार का ध्यान इसकी जांच पड़ताल कराने की ओर गया है कि इसके कम पैदा होने और खराब होने की क्या वजह है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—जी हां, ४ जिलों से गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़ और जौनपुर से शिकायत आई है ।

कुंवर श्रीपालसिंह—यह ४ जिलों से जो शिकायत आयी—गोरखपुर, बलिया, जौनपुर, और आजमगढ़ से—तो क्या इसकी कोई इन्क्वायरी कराई गई कि ऐसा क्यों हुआ ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—हमारे जो प्लान्ट पेथालाजिस्ट हैं उन्होंने देखा कि बलिया बार्ली में कोई इनहेरेन्ट खराबी नहीं है बल्कि बात यह थी कि उसमें एक एफीडिस कीड़ा लग गया था और वह इस लिये हुआ कि बारिश नहीं हुई और खुश्की ज्यादा रही ।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस तरह की भी कोई एक्सपर्ट राय है कि इसको २ बार सींचना पड़ता है और अधिक पानी देने की जरूरत होती है बमुकाबले हमारे मामूली जौ के, क्या यह सही है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—इसकी कोई हमें सूचना नहीं है, नोटिस चाहिये ।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह बीज कहां से आया और क्या उस को बांटने से पहले इस चीज की जांच कर ली गई थी कि वह ठीक है या नहीं ?

श्री काली चरण अग्रवाल—जी हां १,११,४२५ मन बीज खरीदा गया था, ६,००० मन कानपुर से और बाकी गोरखपुर से खरीदा गया था उन की जांच भी करा ली गई थी, उस का गोलडेन ऐवियरेन्स था और टेस्ट करा लिया गया था ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—यह बलिया बार्ली जो ४ जिलों को दिया गया, बहुत से किसानों ने उसे बोया और उन्हें कोई फसल नहीं प्राप्त हुई, तो क्या सरकार का इरादा उनको कोई हरजाना भी देने का है ?

श्री अध्यक्ष—हरजाने का कोई सवाल नहीं है । छूट के बारे में तो उन्होंने बता ही दिया ।

कुंवर श्रीपालसिंह—जिस अफसर ने उसकी जांच की थी उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई या नहीं ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसकी जांच हो रही है और जिस अफसर की गलती दिखाई देगी उसके खिलाफ नोटिस लिया जायगा ।

सुल्तानपुर जिले में गेहूं और चने की उपज

*१७—श्री गुरुप्रसादसिंह (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर जिले की प्रत्येक तहसील में अलग-अलग सन् १९५७-५८ और १९५८-५९ में कितने क्षेत्रफल में गेहूं और चने की अलग-अलग उपज कितनी हुई ?

श्री मोहनलाल गौतम—सन् १९५७-५८ तथा १९५८-५९ में सुल्तानपुर जिले की प्रत्येक तहसील में गेहूं और चना कितने क्षेत्रफल में बोया गया, से सम्बन्धित आंकड़े विधान सभा में २१ दिसम्बर, १९५९ को प्रश्न संख्या ७ के उत्तर में बताये जा चुके हैं ।

पैदावार के आंकड़े केवल जिला स्तर तक ही रक्खे जाते हैं। अतः तहसीलवार पैदावार के आंकड़े नहीं दिये जा सकते । सुल्तानपुर जिले में उपज के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

सन् १९५७-५८		सन् १९५८-५९	
गेहूं (टनों में)	चना (टनों में)	गेहूं (टनों में)	चना (टनों में)
३४,४७७	२७,०९३	२५,२०४	३६,२९७

सेंट्रल डेरी फार्म अलीगढ़ में शूकर प्रजनन केन्द्र स्थापित करने की योजना

*१८—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५९-६० के वित्तीय वर्ष में प्रदेश के किस जिले में "बेकन फैक्टरी" सहित रीजनल शूकर प्रजनन केन्द्र स्थापित करने का निश्चय किया गया है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—सेन्ट्रल डेरी फार्म, अलीगढ़ में वहां बेकन फैक्टरी स्थिति है एक केन्द्रीय रीजनल शूकर प्रजनन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी— क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बेकन फैक्टरी सहित रीजनल शूकर प्रजनन केन्द्र की स्थापना का कुल व्यय भारत सरकार देगी तो वह समस्त धनराशि कितनी होगी ?

श्री मोहनलाल गौतम— जी हां, वह कुल देगी और एक स्टेज पर तो मुझे याद है कि ७ लाख की स्कीम है लेकिन उस की पूरी रकम इस वक्त मुझे याद नहीं है ।

खाद्यान्न उत्पादन सम्बन्धी कथित जांच समिति

*१९—श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)— क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खाद्यान्न उत्पादन व्यय जांच समिति के निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार ने प्रदेशीय सरकार से कोई सुझाव मांगा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी— सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है ।

*२०—श्री ब्रजनारायण तिवारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार प्रदेशीय "प्रदेशी खाद्यान्न" उत्पादन व्यय जांच समिति गठित करने का विचार कर रही है ?

श्री जगमोहन सिंहनेगी—जी नहीं

*२१-२२—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—[७ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*२३—श्री राम स्वरूप वर्मा—[७ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

गोरखपुर जिले के दो केन अफसरों के स्थानान्तरण पर आपत्ति

*२४—श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों के डिस्ट्रिक्ट केन आफिसरों (क्षेत्रीय समीकरण अधिकारी केन) १९५९-६० को वित्तीय वर्ष में स्थानान्तरण किया गया है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—निम्नलिखित जिलों के डिस्ट्रिक्ट केन अफिसरों का वित्तीय वर्ष १९५९-६० में स्थानान्तरण किया गया—

डिस्ट्रिक्ट केन आफिसर फैजाबाद मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलन्दशहर, खीरी, बदायूं, रामपुर, शाहजहांपुर, हरदोई, देवरिया, बाराबंकी, गोंडा, सीतापुर तथा क्षेत्रीय समीकरण अधिकारी (केन) गोरखपुर ।

[श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९६० में किन-किन केन अफसरों का ट्रान्सफर किन-किन महीनों में किया गया है ?

श्री अध्यक्ष—इतने ब्योरे से पूछने के लिये मैं इजाजत नहीं दूंगा, हर एक का महीना आप पूछना चाहते हैं, यह तो आप उनके दफ्तर में देखें ।

श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर में एक ही मास में २ केन-आफिसरों का ट्रान्सफर किया गवा है?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां ।

श्री गौरीराम गुप्त—इसका क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह तो एडमिनिस्ट्रेटिव मामले हैं, जैसा मिनिस्ट्री मुनासिब समझती है वह करती है ।

श्री गौरीराम गुप्त—क्या यह सही है कि जिन अफसरों का ट्रान्सफर किया गया है उनके लड़कों की पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है ?

श्री मोहनलाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, यह हिदायत जारी है कि जहां तक हो सके ट्रांसफर मई, जून, जुलाई में हो ताकि यह असुविधा न हो । लेकिन इस पर पूरी तरह से ध्यान रखा जाय और ऐडमिनिस्ट्रेशन के हाथ पैर बंध जायं यह संभव नहीं है । कभी-कभी बीच में भी ट्रांसफर होते हैं ।

श्री गेंदासिंह—मंत्री जी ने कहा कि साधारणतः तो मई, जून और जुलाई में ही ट्रांसफर किया जाता है तो इन आफिसरों का असाधारण तौर पर ट्रांसफर करने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री मोहनलाल गौतम—पहली बात तो यह है कि मुझे याद नहीं है कि किस महीने में हुआ। अगर उन महीनों में नहीं हुआ तब वह असाधारण है। दूसरे, हम इस काम को जरा ज्यादा सख्ती से देखना चाहते हैं ताकि गेंदासिंह जी के क्रिटिसिज्म को हम कुछ मीट कर सकें।

*२५—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—[७ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

बस्ती जिले में साफ्ट कोक तथा लोहे की दुकानें बढ़ाने की प्रार्थना

*२६—श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले की किन-किन तहसीलों में साफ्ट कोक के डिपो हैं ? क्या कोई ऐसी तहसील है जहां पर कोई डिपो नहीं है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इस जिले मे चार साफ्ट कोक डिपो हैं जो कि सब बस्ती शहर में हैं इसके अतिरिक्त दो और डिपो खोलने के लिये जिलाधीश को स्वीकृति दे दी गई है जो कि तहसील डोमरियागंज और तहसील खलीलाबाद में खोली जायेंगी। तहसील नवगढ़ और तहसील बभनान में कोई डिपो नहीं है।

*२७—श्री रणबहादुरसिंह—क्या खाद्य मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि बस्ती जिले मे कितने लोहे तथा सीमेंट के लाइसेन्सीज हैं ? क्या सरकार उनकी एक सूची देने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—बस्ती जिले में लोहे के दो तथा सीमेंट के ४३ स्टाकिस्ट्स हैं इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७०८ पर)

श्री रणबहादुरसिंह—यह देखते हुये कि बस्ती जिले की सभी तहसीलों में साफ्ट कोल के डिपो हैं, लेकिन नवगढ़ और हरैया में नहीं हैं, क्या सरकार वहां भी खोलने पर विचार करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—कोशिश तो हमारी यह है कि जहां तक हो सके सभी जगह खोल दिये जायं मगर जितना कोटा उपलब्ध होगा उसके अनुसार देखेंगे ।

श्री रणबहादुरसिंह—यह देखत हुये कि जब कि बस्ती जिले में ४३ सीमेंट और लोहे के स्टाकिट्स हैं, हरैया तहसील में कवल २ ह तो क्या सरकार वहां की जनता की मांग को ध्यान में रखते हुये इनकी संख्या बढ़ाने की कृपा करेगी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सीमट पर वितरण के सम्बन्ध में अब कोई कंट्रोल नहीं है। अगर वह लेना चाहें तो फैक्टरीज से लेलें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—लोहे के दो लाइसेसीज हैं, तो उनके बारे में दरख्वास्त आने पर सरकार विचार करती है या स्वतः अपनी ओर से विचार करती है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—लोहे के सम्बन्ध में तो मैं ने बढ़ाने की कोई बात कहीं नहीं है।

जिला सप्लाई कार्यालय, बस्ती के पुराने कर्मचारियों के स्थानान्तरण की प्रार्थना

*२८—श्री रणबहादुर सिंह—क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिले में जिला सप्लाई कार्यालय में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो दस वर्ष से अधिक अर्से से वहां काम कर रहे हैं और उसी जिले के रहने वाले हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जिला सप्लाई कार्यालय बस्ती में केवल दो ऐसे कर्मचारी हैं जो १० वर्ष से अधिक अर्से से वहां काम कर रहे हैं और उसी जिले के रहने वाले हैं।

श्री रणबहादुर सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह कौन से कारण हैं जिनकी वजह से १० वर्ष से अधिक होते हुये और उसी जिले के निवासी होते हुये भी वे उसी जिले में हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अभी तक सप्लाई डिपार्टमेंट के अस्थाई होने के कारण ट्रांसफर बहुत कम हुआ करते थे। मगर अब हमने कोशिश की है कि थोड़ा बहुत हेर-फेर किया जाय और सम्भव है कि वह अगले साल में बदले जायं।

हैसर बाजार, कोआपरेटिव सोसाइटी में गबन

*२९—श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डी० सी एफ० (डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन) बस्ती की आडिट की कोई स्पेशल रिपोर्ट इधर पांच वर्ष के अन्दर प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई है?

श्री कालीचरण अग्रवाल—जी हां, १९५६-५७ में यह रिपोर्ट प्राप्त हुई उसके आधार पर श्रीरामसमुझ चौधरी ब्रांच मैनेजर, डी० सी० एफ० ब्रांच बस्ती को नौकरी से निकाल दिया गया। उनसे गबन की हुई रकम को वसूल करने की कार्यवाही हो रही है।

*३०—श्री धनुषधारी पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसे यह रिपोर्ट मिली है कि हैसर बाजार जिला बस्ती की कोआपरेटिव सोसायटी में गबन है? यदि हां, तो क्या सरकार इस गबन के मामले को अदालत की कार्यवाही के लिये भेजने के लिये तैयार है?

श्री कालीचरण अग्रवाल—जी हां। सरकारी वकील से मुकदमा चलाने के लिये अभिमत प्राप्त हो गया है। मामला पुलिस को शीघ्र ही दिया जाने वाला है।

श्री धनुषधारी पांडेय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि श्री रामसमुझ चौधरी ने किस सन् में कितने धन का गबन किया है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---सन् १९५६-५७ में जब स्पेशल आडिट हमारा हुआ तो मालूम हुआ कि ८५० रुपये की धनराशि वसूल हुई थी जिसमें से ७५० पये ही जमा किया और १०० रुपये का गबन किया। वह रुपया मांगा गया और वसूल कर लिया गया और उसके बाद उनको नौकरी से अलग कर दिया गया।

श्री धनुषधारी पांडेय---यह मामला पुलिस को क्यों नहीं दिया गया ?

श्री मोहन लाल गौतम---अव्वल तो बात यह है कि पुलिस को दिया जा रहा है। लेकिन सुपरवाइजर्स हमारे अधीन नहीं है, वे प्राविन्शियल कोआपरेटिव यूनियन के अधीन हैं, वह पुलिस में दें या न दें यह उनका अधिकार है।

*३१-३३---**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)---[७ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*३४---**श्री अब्दुल रऊफ़ लारी** (जिला गोरखपुर)---[७ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

गरौठा मण्डी में चने का भाव

*३५---**श्री रामस्वरूप वर्मा**---क्या खाद्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि गरौठा गल्ला मंडी झांसी में ३०,००० मन चना, १९५९-६० में साढ़े बारह रुपये मन पर सरकार द्वारा खरीदा गया ? यदि हां, तो उस चने की सप्लाई के समय उक्त जिले में चने का भाव क्या था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी नहीं । गरौठा की गल्ला मंडी में सन् १९५९-६० म कोई भी चने की सरकारी खरीद नहीं हुई है ।

*३६---**श्री रामस्वरूप वर्मा**---क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि झांसी जिले में गरौठा की मंडी मऊरानीपुर की मंडी से बड़ी है ? यदि हां, तो फिर वहां एस० एम० आई० न रख कर एम० आई० क्यों रखा गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी नहीं । गरौठा की मंडी मऊरानीपुर की मंडी से बहुत छोटी है । गरौठा सरकारी खरीद का केन्द्र नहीं है अतः वहां पर किसी एस० एम० आई० अथवा एम० आई० की नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इस गल्ले की खरीद गरौठा में न होकर मऊरानीपुर में हुई ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---बता तो दिया कि मऊरानीपुर से ही खरीदा है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---मऊरानीपुर से साढ़े बारह रुपये मन पर खरीद हुई । तो सरकार बतायेगी कि गरौठा और मऊरानीपुर की मंडियों में गल्ले का क्या भाव था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---गेहूं १३, १४ रुपये मन था.....

श्री अध्यक्ष---चने का भाव वह पूछ रहे हैं ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---चने का ओपेन बाजार भाव अलग-अलग तारीखों पर अलग-अलग था ।

श्री राजनारायण---९-९-५९ को माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने एक पत्र सरकार के पास भेजा था जिसमें कहा था कि मऊरानीपुर से ३०,००० मन चना जो साढ़े बारह रुपये मन पर सरकार खरीद रही है उसी चने को साढ़े दस रुपये मन पर गरौठा से खरीद कर सरकार को सप्लाई किया जा रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---पत्र का स्मरण तो मुझे नहीं है। मगर ऐसा हो नहीं सकता कि साढ़े दस रुपये मन भाव होता और साढ़े बारह रुपये मन पर सरकार खरीदती ।

श्री अध्यक्ष---आपको मालूम नहीं है वहां क्या भाव था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी हां । अगर नोटिस दें तो जानकारी कर लूंगा ।

श्री राजनारायण---९-९-५९ के पत्र में पूरी सूचना भेजी गई थी और लिखा गया था कि इसकी रोक अभी कीजिये क्योंकि २ रुपया प्रति मन ३०,००० मन चने पर अतिरिक्त मुनाफा वहां के सरकारी कर्मचारी आढ़तिये को दे रहे हैं ? क्या सरकार अब भी जांच करायेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मुझे उस पत्र का स्मरण नहीं है । अगर माननीय सदस्य फिर स्मरण-पत्र लिख कर दें तो मैं जांच करा लूंगा ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---गरौठा की मंडी मऊरानीपुर से छोटी है इसका कारण मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---जो उनको सूचना थी वह उन्होंने दे दी। आपकी भी शायद यही सूचना होगी ।

बिल्डिंग मैटेरियल ऐडवाइजरी कमेटी का भंग किया जाना

*३७---**श्री मोहन लाल वर्मा** (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार ने जो प्रदेश के प्रत्येक जिले में Building Material Advisory Committee बनाई थी वह भंग कर दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी हां। इसका कारण यह है कि इस कमेटी की कोई विशेष आवश्यकता नहीं रह गई है । सीमेन्ट के वितरण पर से नियंत्रण उठ चुका है और ईंट पकाने के लिये कोयले की भी साधारणतया कोई कमी नहीं है ।

*३८---**श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़)---[३ मार्च, १९६० के लिये प्रश्न ४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया ।]

*३९---**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी) तथा **श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---[७ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।)

कानपुर में चीनी के वितरण में अनियमितता की शिकायत

*४०---**श्री मोतीलाल अवस्थी**---क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके द्वारा संचालित विज्ञप्ति D. O. no. 3918/XXIX—AF—R.F.36-1958 के द्वारा खाद्य सलाहकारी समिति की कितनी बैठकें कानपुर में अभी तक हो पायी हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---फिलहाल केवल एक ही बैठक १८ सितम्बर, १९५९ को हुई है ।

*४१---**श्री मोतीलाल अवस्थी**---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि शक्कर वितरण संबंधी विषय कोटे का अलाटमेंट शक्कर वितरण की दुकानें स्वीकार करना, शक्कर तरण के स्थान नियत करना आदि कानपुर की सलाहकार समिति के समक्ष रख कर निश्चय किया गया था ? यदि नहीं, तो कारण क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी नहीं। चूंकि चीनी के वितरण की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र करनी थी इसलिये उस समय तक कोई आदेश नहीं दिये जा सके थे।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यह एडवाइजरी कमेटी ५ मई से क्यों नहीं बैठ पाई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—ये स्थानीय बातें हैं और उसके लिये बहुत ज्योरे के लिये नोटिस की आवश्यकता होगी। हमारे यहां से बैठक बुलाने का आदेश देना ही था जो २४ अप्रैल को गया। इसलिये अप्रैल से पहले बुलाने का कोई प्रश्न नहीं उठता था। ३ महीने के बाद उन्होंने बुला ली थी।

श्री मोतीलाल अवस्थी—चीनी के वितरण के सम्बन्ध में जो बहुत-सी शिकायतें आईं दीवाली और कतकी के त्योहार पर तो क्या सरकार वितरण सम्बन्धी विषय को लेकर इस सलाहकार समिति की कोई बैठक नहीं बुला सकी और यह क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जहां तक चीनी का प्रश्न है इसके वितरण को पहले से अगस्त महीने में ठीक कर दिया था और ऐसी कोई विशेष शिकायत नहीं आई और ऐसी कोई विशेष अव्यवस्था नहीं मालूम हुई जिससे शीघ्रातिशीघ्र बैठक बुलाने की आवश्यकता पड़ती।

श्री मोतीलाल अवस्थी—कानपुर जिले की परिषद् के उस प्रस्ताव की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान गया है जिस प्रस्ताव के द्वारा जिला सप्लाई आफिसर से जवाब तलबी की गयी थी कि यह चीनी वितरण में जो अनियमितता हुई है यह क्यों हुई है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जिला परिषद् का कोई प्रस्ताव हमारे पास तो नहीं आया।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी प्रश्नकर्त्ता की इत्तला को सूचना मान कर इस बात की जांच करेंगे कि जिला परिषद् की तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव आया था या नहीं ? इस पर जवाब मांगा गया और संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यदि आप लिख कर दें तो मैं जांच करा लूंगा।

जौनपुर जिले में सहकारी समितियों को दी गई दुकानों का रद्द किया जाना

*४२—**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर जिले में १ जनवरी, १९५९ से ३१ दिसम्बर, १९५९ तक कितनी सस्ते गल्ले की दुकानें और किन-किन स्थानों पर सहकारी समितियों को दी गई हैं ? तथा कितनी दुकानें उस में से रद्द की गई हैं और उन पर क्या-क्या आरोप लगाये गये हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जौनपुर जिले में १ जनवरी, १९५९ से ३१ दिसम्बर, १९५९ तक सहकारी समितियों को दी गई दुकानों की कुल संख्या ५२ है। जिनमें रद्द की गई दुकानें भी सम्मिलित हैं। सूची संलग्न है जिसमें रद्द की गई २६ दुकानों के विरुद्ध आरोपों के विवरण भी दे दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७०९–७११ पर)

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या यह सही है कि दूकानें कोआपरेटिव सोसाइटी के नाम पर लेने के लिये इन २६ में से बहुत सी सोसाइटियां रजिस्टर कराई गयीं और उनकी पूरी जांच न करके विभाग ने उनको दूकानें दे दीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मुमकिन है जैसा आप फरमा रहे हैं यह बात सही हो लेकिन नियम यह था कि प्राथमिकता कोआपरेटिव को दी जाय, दो दिन पहले दी जाय या १ दिन पहले दी जाय।]

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या यह सही है जैसा कि इस तालिका में दिया है ये २६ दुकानें जो कैंसिल की गयीं इनमें बहुतों पर आरोप है कि सरकारी नियमों का पालन नहीं किया ? तो इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि उन सोसाइटियों ने ब्लेक मार्केट किया था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—टेक्निकल इर्रेगुशरिटीज भी हो सकती हैं और यह भी हो सकता है कि उन्होंने किसी दूसरे को कमीशन पर रख दिया हो, अपने आप स्वयं न किया हो। ये बहुत सी बातें हैं ।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो २६ दूकानें हटाई गयी हैं उनमें ऐसी भी हैं जो सबलेटिंग की वजह से हटाई गयी हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—ऐसी भी हैं कि दूसरे आदमियों को कमीशन पर दे दिया ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—इस बात को ध्यान में रखते हुये कि ५२ दुकानें ऐसी थीं जो सहकारी समितियों को दी गयीं थीं और उनमें से २६ रद्द करनी पड़ीं, यानी आधी रद्द करनी पड़ीं। क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन आरोपों में वह रद्द की गयीं उनमें अधिकतर आरोप यह थे कि वे गल्ला उठाने में अक्षमर्थ थीं या उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया, तो गल्ला उठाने में असमर्थ होने का कारण क्या था और त्याग-पत्र देने का क्या कारण था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—दोनों चीजें ही लगभग बराबर मालूम होती हैं। कुछ ऐसी थीं जिनके पास पैसा नहीं था, कुछ ने कमीशन पर लोगों को दे दी थीं इस तरह की बातें हैं। इसी वजह से वे रद्द करनी पड़ीं ।

*४३–४४—**श्री अब्दुल रऊफ लारी**—[छठे शुक्रवार के लिये प्रश्न ४४–४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*४५–४७—**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)—[७ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*४८—**श्री बालक राम** (जिला शाहजहांपुर)—[७ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

जल कुम्भी से खाद बनाने की योजना

*४९—**श्री ऊदल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कहां-कहां जल कुंभी से खाद बनाने की स्कीम लागू की गई है और उसकी मुख्य-मुख्य रूपरेखा क्या है तथा उसके बनाने की विधि क्या है ? इस योजना पर अब तक कितना रुपया खर्च किया गया है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७१२ पर)

*५०—**श्री गनेशीलाल चौधरी** (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—[पांचवें शुक्रवार, के लिये प्रश्न ९३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

वेयर-हाउसिंग कारपोरेशन

*५१—**श्री गनेशीलाल चौधरी** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब से वेयर-हाउसिंग कारपोरेशन खुला है, राज्य के विभिन्न जिलों में वेयर-हाउसिंग के गोदामों में २४–१२–५९ तक कितना गल्ला रखने के लिये आया ?

श्री मोहनलाल गौतम—वेयर-हाउसिंग के गोदामों में जनवरी, १९५९ से दिसम्बर, १९५९ तक १२,८७,०४९ मन गल्ला व अन्य कृषि उपज संग्रह की गई ।

*५२—**श्री गनेशीलाल चौधरी** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वेयर हाउसिंग को जनता में पापुलर बनाने का क्या प्रयत्न किया गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—वेयर हाउसिंग को जनता में पापुलर बनाने के लिये इसका प्रचार व्याख्यानों, समाचार-पत्रों में प्रकाशित लेखों और सूचनाओं, प्रचारपुस्तिकाओं और रेडियो भाषणों द्वारा किया जा रहा है ।

हरदोई जिले में लोहे के परमिटों का वितरण तथा जिला पूर्ति अधिकारी के विरुद्ध शिकायत

*५३—**श्री मोहनलाल वर्मा** (अनुपस्थित)—क्या सरकार नवम्बर व दिसम्बर माह, १९५९, में जिला पूर्ति अधिकारी, हरदोई ने अपने यहां से किन-किन व्यक्तियों को लोहे का परमिट किस-किस कार्य के लिये दिया, उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७१३–७१५ पर)

*५४—**श्री मोहनलाल वर्मा** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला पूर्ति अधिकारी, हरदोई के विरुद्ध उनके कार्यालय के सभी कर्मचारियों ने अनुचित व्यवहार के कारण कोई लिखित प्रार्थना-पत्र जिलाधीश, हरदोई को दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां । इस सम्बन्ध में जिलाधीश ने जांच कराई । जांच के फलस्वरूप आरोप निराधार पाये गये ।

*५५—**श्री होरीलाल यादव** (जिला फर्रुखाबाद)—[७ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया

जौनपुर जिले के मीनाशयों से आय तथा 'घोड़ा राशन घास' के सम्बन्ध में अनुसंधान

*५६—**श्री नागेश्वरप्रसाद** (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले के मत्स्य विभाग द्वारा अधिकृत तालों, तालाबों से जुलाई, १९५५ से जून, १९५९ तक अलग-अलग कितने-कितने मूल्य की कितनी-कितनी मछलियों की निकासी हुई ?

श्री मोहन लाल गौतम—जौनपुर जिले में मत्स्य विभाग द्वारा अधिकृत तालों और तालाबों से जुलाई, १९५५ से जून, १९५९ तक निकाली हुई मछलियों एवं उनसे प्राप्त मूल्य का अलग-अलग विवरण संलग्न †तालिका 'क' में दिया है ।

*५७—**श्री नागेश्वरप्रसाद** (अनुपस्थित)—उपर्युक्त जलाशयों के विकास के हेतु अब तक क्या कार्यवाही हुई है और भविष्य के लिये क्या योजना है ? इन जलाशयों के कमलबन को सुरक्षित रखने तथा उससे निकलने वाले 'कुन्जवेरा' फलहारी खाद्य पदार्थ की निकासी की क्या व्यवस्था की गई है ?

---

†तालिका छापी नहीं गई ।

श्री मोहनलाल गौतम—उपर्युक्त जलाशयों में से जिन जलाशयों में उचित सुधार कर, उन्हें मत्स्य पालन हेतु उपयुक्त बनाया गया है, उनका विवरण संलग्न तालिका 'ख' में दिया है ।

इसके अतिरिक्त गूजर ताल, तहसील शाहगंज के एक भाग में १,८०,००० रु० की अनुमानित लागत से एक फिश फार्म बनाया जा रहा है । भविष्य में भी कुछ जलाशयों को सुधारने एवं मत्स्य पालन हेतु उपयुक्त बनाने की योजना है। कमल वनों को सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७१६ पर)

*५८—**श्री नागेश्वर प्रसाद** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले के कई स्थानों पर उत्पन्न होने वाली कृषि के लिये हानिकारक वनस्पति घोड़ा रोशन के उन्मूलन के विषय में जो अनुसंधान कराया गया था, उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री मोहनलाल गौतम—'घोड़ा रोशन' घास के बारे में जो जांच कराई गई थी उससे मालूम हुआ कि यह घास फसल के लिये हानिकारक नहीं बल्कि लाभप्रद है ।

*५९-६०—**श्री अमरनाथ** (जिला गोरखपुर)—[७ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

राशन की दुकानों से रिजल्टेंट आटा न देने की प्रार्थना

*६१—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सस्ते अनाज की दुकानों पर जो आटा दिया जाता है वह मिल वालों द्वारा २० व ५ प्रतिशत क्रमशः मैदा, सूजी व चोकर निकाला हुआ होता है तथा मिल वाले सवा रुपया मन उसकी पिसाई चार्ज करते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी नहीं। होलमील (whole meal) तथा रिजलटेंट (resultant) आटा सस्ते गल्ले की दूकानों (fair price shops) द्वारा वितरित किया जाता है जिनमें से निकाली हुई चीजों की मात्रा निम्न प्रकार है :

होल मील आटा (Whole meal *atta*)	२.५ प्रतिशत चोकर ।
रिजलटेन्ट आटा (Resultant *atta*)	४० प्रतिशत मैदा तथा सूजी और १३ प्रतिशत चोकर।

मिलों द्वारा विदेशी गेहूं से निर्मित पदार्थों के एक्स-मिल दाम केन्द्रीय सरकार ने निर्धारित किये हैं और राज्य सरकार के पास यह सूचना नहीं है कि इन दामों में किस हिसाब से पिसाई अथवा अन्य खर्चे लगाये गये हैं ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—जबकि रेजल्टेंट आटे में से ५३ प्रतिशत पोषण तत्व निकाल दिया जाता है तो क्या माननीय मंत्री जी उस तत्वहीन आटे को बन्द करके उसकी जगह गेहूं देने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जब सूजी और मैदे की आवश्यकता देश में है तो रेजल्टेंट तो निकलेगा ही, यह स्वाभाविक है और इसको रोका ही नहीं जा सकता ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि होल मील आटा और रेजल्टेंट आटे के भाव में क्या अन्तर है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—रेजल्टेंट आटा १ रुपये का २ सेर १० छटांक बिकता है और होलमील आटा २ सेर ६ छटांक से २ सेर ८ छटांक तक बिकता है ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—मैं इस प्रश्न के संबंध में एक व्यवस्था की बात पूछना चाहता हूं। माननीय खाद्य मंत्री ने इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा कि विदेशी अन्न को हम मिलों द्वारा पिसवाते हैं और उसका आटा बेचा जाता है। इससे पूर्व प्रश्न ११ के उत्तर में भी माननीय मंत्री जी ने कहा था कि विदेशी अन्न को हम मिलों द्वारा पिसवा कर बिकवाते हैं। मगर परसों माननीय कृषि मंत्री ने इसी सदन में बार-बार यह कहा कि गत दो वर्षों से कोई भी विदेशी अन्न हमारे प्रान्त में नहीं आया। मैं यह जानना चाहता हूं कि दोनों के भाषणों में से कौन-सा सही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जो मेरा बयान है वह तो सही है ही क्योंकि कवाल टाउन्स में रेस्पांसिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है इसलिए कृषि मंत्री का कथन भी ठीक है कि कवाल टाउन्स के अतिरिक्त बाकी कहीं नहीं आता है। यानी उनका बयान भी ठीक है और मेरा भी ठीक है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—जैसा कि अभी माननीय भारतीय जी ने प्रश्न उपस्थित किया कि दो वर्षों से कोई अन्न विदेशों से नहीं आया, तो क्या यह सही है कि यह ३–४ वर्षों का पुराना सड़ा हुआ अन्न सरकार पिसवाती है और इसीलिए लोग उसको लेने से गुरेज करते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—शायद नागर जी ने मेरे पहले प्रश्न के उत्तर को सुना नहीं है। मैंने यह कहा कि कवाल टाउन्स में हम राशन नहीं देते हैं, उनमें गवर्नमेंट आफ इंडिया इम्पोर्टेड गेहूं देती है। उसके वितरण और पिसवाने का कार्य हम करते हैं। इसलिए सड़े हुए गेहूं का प्रश्न नहीं उठता। दूसरे वह गेहूं इतना बढ़िया है कि दस वर्ष में भी जाकर पुराना नहीं होता, खराब नहीं होता।

*६२–६३—**श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)—[१५ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न २०–२१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

आजमगढ़ जिले की जूट विकास योजना

*६४—**श्री मुक्तिनाथराय**—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में जूट विकास की योजना कहां-कहां पर चल रही है और निकट भविष्य में सरकार का विचार जिले के किन-किन क्षेत्रों में इस योजना को बढ़ाने का है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—आजमगढ़ जिले में जूट विकास योजना का कार्य घाघरा नदी के दियारा क्षेत्र, तहसील घोसी और ग्राम रौनापार, तहसील सगड़ी के निकटवर्ती क्षेत्रों में कार्यान्वित है। निकट भविष्य में इस योजना की प्रगति का उद्देश्य जिले के उक्त क्षेत्रों के अन्तर्गत ही है।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या माननीय कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रौनापार तहसील सगड़ी के निकटवर्ती क्षेत्र के किन-किन ग्रामों में यह योजना चली है और कितने दिनों से ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—इस समय जो योजना चली है वह दो सेंटर्स में चली है। एक तो सूरतपुर क्षेत्र में है और दूसरे निजामाबाद में है। वहां पर हमारे जूट विकास केन्द्र काम कर रहे हैं।

*६५–६७—**श्री भजनलाल** (जिला इटावा)—[७ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*६८–६९—**श्री उल्फतसिंह** (जिला बदायूं)—[पांचवें शुक्रवार के लिये प्रश्न ९१–९२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गय।]

सेवा सहकारी समितियां

*७०—श्री अमरनाथ—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान समय में कितनी अलग-अलग किस्मों की सहकारी समितियां हैं और इनमें कितनी सहकारी समितियों को सेवा सहकार का रूप दिया जा चुका है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—३० जून, १९५९ तक प्राप्त सूचना के अनुसार २,४२४ (दो हजार चार सौ चौबीस) केन्द्रीय समितियां ५५,४४१ (पचपन हजार चार सौ इक्तालिस) प्रारम्भिक समितियां और २,०५२ (दो हजार बावन) अन्य समितियां थीं।

ग्रामीण क्षेत्र की प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों में से ७,१२९ (सात हजार एक सौ उन्तीस) को १-११-५९ तक सेवा सहकार का रूप दिया गया।

श्री अमरनाथ—मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो पुरानी समितियां सेवा सहकारी समितियों के रूप में बदल दी गयीं क्या ये ग्राम निवासियों की राय से बदली गईं या सरकार ने स्वेच्छा से बदल लिया ?

श्री मोहनलाल गौतम—सरकार स्वेच्छा से सहकारी समितियों को बदल नहीं सकती है। लेकिन यह तो साफ है कि सेवा समिति जिसको साधन समिति भी कहते हैं ज्यादा उपयोगी दिखायी दी इसीलिये वे लोग इच्छुक हैं कि उनकी ऋण समितियां साधन समितियों में परिवर्तित हो जायं।

राज्य के विभिन्न भागों में गेहूं, चना, धान और गन्ने की उपज

*७१—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर कमिश्नरी के प्रत्येक जिले में अलग-अलग सन् १९५७-५८ व १९५८-५९ में कितने क्षेत्रफल में गेहूं, धान और गन्ना बोया गया और उनकी अलग-अलग उपजें कितनी हुईं ?

*७२—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी कमिश्नरी के प्रत्येक जिले में अलग-अलग, ५७-५८, ५८-५९ में कितने क्षेत्रफल में गेहूं, धान और चना बोया गया और उनकी अलग अलग उपज कितनी हुई ?

*७३—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मेरठ, बरेली व शाहजहांपुर जिलों में अलग-अलग सन् १९५७-५८ व १९५८-५९ में कितने क्षेत्रफल में गेहूं, गन्ना और चना बोया गया और उनकी अलग-अलग उपज कितनी हुई ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—सूचना क्रमशः तालिका 'क', 'ख' तथा 'ग' में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ७१७-७१९ पर।)

खीरी जिलें में मत्स्य विभाग का आय-व्यय

*७४—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खीरी के मत्स्य विभाग में जनवरी, १९५७ में अब तक जीप ,पैटरोल तनख्वाहों में कुल कितना खर्च हुआ और कुल कितनी आय हुई ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—खीरी जिले में जनवरी, १९५७ से दिसम्बर, १९५९ तक की आय तथा व्यय का विवरण संलग्न तालिका में दिया है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ७२० पर।)

श्री शिव प्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जहां पर २९,८९६ रुपये ७२ पैसे का व्यय दिखाया गया है, जिसमें जीप की मरम्मत में २१०९ रु०, पेट्रोल में ४,२८५ रु०, सर्विसिंग में १२८ रु० और लुब्रीकेंट्स में ६१४ रु०, यह सब खर्च होने के बाद फिर भी यात्रा में २ हजार ७९८ रु० ९२ पैसे रखे गये हैं इस यात्रा व्यय का क्या अर्थ है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—यात्रा व्यय में टी० ए० इत्यादि सारी चीजें शामिल होती हैं।

श्री शिव प्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन अधिकारियों के पास जीपें हैं वह लखनऊ तक दौरा उन्हीं जीपों पर करते हैं और अपने क्षेत्र में भी करते हैं, फिर यात्रा व्यय किस प्रकार बन गया ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—जहां टी० ए० पर्मिसिबिल होता है, वहां के लिये लेते होंगे। इसके लिये मैं क्या बता सकता हूं। नोटिस चाहिये।

अतारांकित प्रश्न

बदायूं जिले में ईंट के भट्ठे

१—श्री उल्फत सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं के भट्ठों में कंट्रोल भाव पर ईंट न मिलने के बारे में ३१ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर के संबध में जो सूचना प्राप्त की है उसका आधार क्या है ? क्या वह सी० आई० डी० से इसकी जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—संबंधित सूचना जिलाधीश से मंगायी गयी थी। इस सूचना में ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर सी० आई० डी० से जांच कराने की आवश्यकता प्रतीत हो।

२—श्री उल्फत सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं में नये भट्ठों को कोयला देने का उसका विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—वर्तमान समय में ऐसा कोई विचार नहीं है। क्योंकि न तो इस समय जिला बदायूं में भट्ठे वाले का कोई स्थान रिक्त है और न कोयला ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है जिससे कि नये भट्ठे दिये जा सकें।

३— श्री उल्फतसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं में जिन भट्ठों को कोयला मिलता है उनमें ईंट कंट्रोल रेट पर नहीं मिलती ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—ऐसा नहीं है।

४—श्री उल्फत सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं में जिन भट्ठों को लकड़ी की इजाजत है उन भट्ठों पर कोयला कहां से आया, इसकी कोई शिकायत सप्लाई आफिसर के पास हाल में आई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई और इसकी जांच किसने की ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—सन् १९५९ में जो एडहाक कोटा जिले में आया था उसमें से कुछ हिस्सा उन भट्ठे वालों में बांट दिया गया जो कि लकड़ी से ईंट पकाते थे। एक भट्ठे के विरुद्ध अनधिकृत कोयला जमा करने की शिकायत जिला सप्लाई आफिसर के पास आई थी जिसकी जांच पहले जिला सप्लाई इन्सपेक्टर तथा बाद में जिला सप्लाई आफिसर ने की और उस पर कार्यवाही अभी जारी है।

प्रश्न का उत्तर न मिलने पर श्री राजनारायण द्वारा आपत्ति

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, आज के जो प्रश्न हैं उनमें २३ नवम्बर का प्रश्न जरा देखा जाय। यह श्री राम स्वरूप वर्मा जी का प्रश्न है। करीब ढाई तीन साल हो रहा है लगातार यही प्रश्न आ रहा है, पहले उत्तर यह दिया जाता था कि सूचना एकत्रित की जा रही है और अब भी सूची में देखा जाय तो यह प्रश्न यहां पर जब तीसरी, चौथी बार भेजा है तो १३-१-६० को यानी जनवरी के द्वितीय सप्ताह में आया और आज भी उसमें लिखा गया है कि ७-३-६० के लिये स्थगित किया गया जब कि इसमें किसी सूचना की आवश्यकता नहीं थी, केवल यह जानना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—यह आप कमरे में पूछें। मैं यहां नहीं बता सकूंगा। हमारे यहां उसकी फाइल होगी। वहीं पर आपको बता सकूंगा।

यू० पी० ग्राम सुधार (भूमि अधिकरण) ऐक्ट अनुकूलन आज्ञा, १९६० का आलेख्य*

मुख्य मंत्री के सभासचिव (श्री राजबिहारीसिंह)—मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदार विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ३३८ की उपधारा (१) के अधीन प्रस्तावित यू० पी० ग्राम सुधार (भूमि अधिकरण) ऐक्ट अनुकूलन आज्ञा, १९६० के आलेख्य को उक्त धारा ३३८ की उपधारा (२) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (संशोधन) विधेयक, १९५९

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (संशोधन) विधेयक, १९५९ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २१ दिसम्बर, १९५९ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २८ दिसम्बर, १९५९ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति १३ फरवरी, १९६० को प्राप्त हो गई और वह १९६० का चौथा अधिनियम बन गया।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा की गिरफ्तारी से सम्बद्ध सूचना की मांग

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—यह चौथा सदस्यों की गिरफ्तारी वाला जो आइटम है। उसमें आपने कहा था अवधेशकुमार सिनहा की गिरफ्तारी के बारे में कि सेक्शन वगैरह नहीं आया है और उन्होंने लिखा था कि लेटर फालोज तो उसकी सूचना हम लोगों को मिल जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—वह मेरे पास आ गया है। सूचना आपको मिल जायगी।

श्री राजनारायण—हमारा उसी पर कार्य-स्थगन का भी प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष—थोड़ी देर में मैं उसे मंगा लेता हूं, तब आपको सूचना दे दूंगा। तब तक इस बीच में श्री गेंदासिंह वाले प्रश्न पर मुख्य मंत्री वक्तव्य देंगे।

---

*छापा नहीं गया।

प्रदेश के ईख-प्रधान क्षेत्रों के गन्ना उत्पादकों में व्याप्त असन्तोष से उत्पन्न विषम परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत श्रम उप-मंत्री का वक्तव्य

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---अध्यक्ष जी, श्री गेंदासिंह जी ने नियम ५२ के अन्तर्गत जिन प्रश्नों को छेड़ा है उसमें से सब से पहली बात उन्होंने यह उठायी है कि गन्ने की पैदावार के आंकड़े हमने गलत इकट्ठा किये हैं। मैं यहां पर इस पहले सवाल के बारे में उनसे आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक कि गन्ना आयुक्त का प्रश्न है, मिलों को गन्ना देने का सवाल है उसके संबंध में जो आंकड़े हम एकत्रित करते हैं वह कुल उत्पादन जो गन्ने का किसान कर रहे हैं उसके आंकड़े तो एकत्रित होते हैं जरूर लेकिन जो एलाटमेन्ट होता है गन्ने का वह इस बात पर आधारित नहीं होता कि किसान ने कितना गन्ना पैदा किया। सन् १९५४-५५ में सरकार के सामने यह प्रश्न आया था कि गन्ने की खेती अगर इसी तरह से प्रदेश में फैलती चली गई तो कहीं ऐसा न हो जाय कि किसी दिन गल्ले की उपज गिर जाय। हमारे यहां गन्ने की काश्त बढ़ी है हमारी कोशिशों के बावजूद भी। उसके संबंध में थोड़ा-सा मैं कुछ कह देना चाहता हूं।

हमारी उन कोशिशों के बावजूद भी कि गन्ने की काश्त ज्यादा न बढ़े अगर १९५८-५९ और १९५९-६० के आंकड़ों को देखा जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि इस प्रयास में हमें कितनी असफलता मिली है। १९५८-५९ में देवरिया डिस्ट्रिक्ट में १९०.७५ हजार एकड़ पर गन्ने की काश्त होती थी। १९५९-६० में हमारा एस्टीमेट है कि १९८.५० हजार एकड़ में गन्ने की काश्त होगी। यानी करीब साढ़े आठ हजार एकड़ गन्ने का उत्पादन इस एरिया में बढ़ गया।

गोरखपुर में १९५८-५९ में ६३.३१ हजार एकड़ में गन्ने की काश्त होती थी। सन् १९५९-६० में ६६.६९ हजार एकड़ हो गई। लखीमपुर-खीरी में ११४.०२ हजार एकड़ था और अब वह ११३.२७ हजार एकड़ हो गया है। इसमें बहुत थोड़ी कमी हुई है। पीलीभीत में ४२.८१ हजार एकड़ था जो अब ४८.६७ तक पहुंच गया है। नैनीताल में ४६.४४ हजार एकड़ था और अब ६०.५५ हजार एकड़ होने लगा है।

गन्ने की बढ़ती हुई काश्त को देखते हुए गवर्नमेन्ट के सामने यह सवाल आया कि काश्तकार को अगर यह मालूम न हो कि उसका गन्ना मिलों में एक हद के बाद नहीं जायगा तो जाहिर बात है कि गन्ने की काश्त बढ़ेगी और जो मिल मौजूद हैं उनके लिये उस गन्ने को समय के भीतर क्रश करना कठिन हो जायगा और उत्तर प्रदेश के आर्थिक ढांचे पर उसका ठीक असर नहीं पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुये सरकार ने यह सोचा सन् १९५४-५५ में कि इसके लिये कोई सिलसिला निकाला जाय जिससे हर काश्तकार जितना गन्ना पैदा करे उसमें उसको यह मालूम रहे कि इतने से अधिक उसका गन्ना मिलों को मामूली तौर पर नहीं जायगा और उतने से अधिक गन्ना मिलें नहीं लेंगी तो एक सिस्टम आफ एवरेज इन्ट्रोडयूस किया। इसलिये एक तरीका पिछले सालों के एवरेज का निकाला गया और किसानों से कह दिया गया कि इसी हिसाब से तुम्हारा गन्ना लेने की बात है। यह इसी वर्ष नहीं, बल्कि १९५४-५५ से हम उस सिलसिले को जारी कर चुके हैं और इस वर्ष छोटे-मोटे परिवर्तन के साथ वह चीज उसी ढंग से लागू की गई।

हमने उत्तर प्रदेश को चीनी मिलों के सिलसिले में तीन हिस्सों में बांटा। एक पूर्वी इलाका, दूसरा मध्यवर्ती इलाका और तीसरा पश्चिमी इलाका। पूर्वी इलाके में हमने यह तय किया कि पिछले तीन वर्षों में जितना गन्ना किसी काश्तकार ने मिल को सप्लाई किया है उसका एवरेज निकालेंगे। जैसे किसी काश्तकार ने तीन एकड़ काश्त से पिछले तीन साल में ६०० मन गन्ना मिल को दिया। तो एक एकड़ में उसने मिल को २०० मन गन्ना दिया ऐसा हम मानते हैं। इसी हिसाब से मल्टीप्लाई करके निश्चय किया कि इतने एकड़ पर

गन्ने की खेती लगाई है उसको कह दिया गया कि इस वर्ष में इतना ही गन्ना तुमको मिल को देना पड़ेगा।

इस तीन वर्ष में जितने एकड़ पर उसने गन्ना पैदा किया उसी हिसाब से एक तरफ एकरेज लिख दिया और एक तरफ उसका उत्पादन लिख दिया। तो एकरेज को जोड़कर एवरेज निकाला गया और इस हिसाब से जो गन्ना आया उतना हमने उसके लिये तय किया कि तुमको इतना गन्ना मिलों को देना है और उतना ही गन्ना मिल लेगी। इसी के साथ-साथ यह परामर्श उनको दिया था कि अगर किसी इलाके में यह देखा जाय कि चीनी मिलों को जो गन्ना सारे इलाके से मिलने वाला है उसके मुताबिक उसकी क्षमता है और उसके मुताबिक गन्ना था और है तो १० फीसदी ज्यादा और गन्ना उस बाउन्डेड केन से मिलों को दिया जा सकता है।

अब किसानों की दशा को सामने न रखकर उनको उनकी मर्जी पर छोड़ दिया जाय और वे हजारों एकड़ गन्ने के अपने खेत बढ़ाते जायं या १०, ५ एकड़ ही बढ़ाते जायं और उस गन्ने के क्रश करने की जिम्मेदारी गवर्नमेन्ट पर हो तो यह न तो इस प्रदेश के हित की बात होगी और न स्वयं काश्तकार के हित में यह बात जाती है। इसलिये गवर्नमेन्ट ने सोचा कि इस तरह से उनके लिये एक एवरेज निकाल कर उनके लिये गन्ने की मिकदार नियत की जाय।

ठीक इसी तरह से हमने पश्चिमी जिलों के लिये कर दिया और वहां भी पिछले सालों का एवरेज देखा तो मालूम यह हुआ कि वहां पर उतनी तेजी से एकरेज नहीं बढ़ा है जितना कि पूर्वी जिलों में बढ़ा है। इसका कारण पूर्वी अंचल में सिचाई के साधनों का हाल ही में जुटाना है, जिससे वहां पर गन्ने की काश्त में काफी वृद्धि हुई है। पच्छिमी जिलों में पांच साल का एवरेज देखा तो वहां विशेष अन्तर नहीं आया, इसलिये वहां पर एक साल का हमने कर दिया। एक साल में जितना गन्ना दिया तो उतना ही उस बाउन्डेड गन्ने को देने की बात कर दी। इसलिये जब यह ढंग अख्तियार किया और उसी आधार पर आंकड़े इकट्ठे करके दिये तो वे गलत कहां से हैं। शायद गेंदासिंह जी यह बात समझ रहे हैं कि जो गन्ना लेने की बात हमने तय की है वह उतना गन्ना नहीं है। यदि काश्तकार अपने उस एवरेज के ऊपर अपनी गन्ने की खेती बढ़ाता है तो उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर ही होनी चाहिये। गेंदा सिंह जी को भी यह मन्शा नहीं होगी कि वह काश्त बढ़ाता जाये और उस सारी काश्त की जिम्मेदार फैक्टरी हो क्योंकि ऐसा करना काश्तकार के हित में नहीं है।

आज भी पूर्वी जिलों में गन्ने की काश्त बढ़ने के कारण जो संकट उपस्थित हो गया है उससे गेंदा सिंह जी कितने परेशान हैं। काफी गन्ना खड़ा हुआ है। कितनी ही मिलें हैं। गोरखपुर में घुघली मिल है, सिसवा बाजार की मिल है। देवरिया में देवरिया मिल है। गोरखपुर में ही खड्डा मिल है। तरिया सुजान के इलाके में एक मिल है जिसका नाम मैं इस समय भूल रहा हूं, लेकिन इन सब को देने के बाद भी गन्ना बहुत ज्यादा है और इन सारी मिलों का सवाल एक पेचीदा सवाल बनता जा रहा है कि वे क्या करें। काश्तकार इस आशा में है कि हमारा गन्ना मिल पेर देगी।

हम काश्तकार को समझाने में असफल रहे कि वह अपनी गन्ने की काश्त को और न फैलाये। तो आज काश्तकार परेशान है। अप्रैल और मई का महीना आ रहा है। मिलें क्रश करती जायंगी लेकिन एक तरफ तो काश्तकार के गन्ने का वजन कम होता जा रहा है और इधर मिलों की रिकवरी भी गिरती जा रही है। उसमें शुगर कंटेंट भी कम होता जायगा। तो इस तरह से न तो प्रदेश का ही हित होगा और न काश्तकार का और न मिलों का हो। इसलिये इस एवरेज के तरीके को अपनाया गया। यह एक तरह

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

का इंडाइरेक्ट चेक है। क्योंकि हम किसी काश्तकार को नहीं कह सकते कि तुम गन्ने की खेती न करो। डेमोक्रेसी में जहां अच्छाइयां अपनी जगह पर हैं उसके साथ में लोगों की अपनी आजादी भी अपनी जगह पर है। उसके लिये मैं कुछ नहीं कहता लेकिन इसको थोड़ा रोकने के लिये हमने इस इन्डाइरेक्ट चेक को इंट्रोड्यूस किया कि काश्तकार समझ ले कि ज्यादा गन्ना पैदा करने से कोई फायदा नहीं है। मिलों को गन्ना दिलाने के समय यह एवरेज का नियम लागू होगा। इस संबंध में हम इसके अतिरिक्त और क्या कर सकते थे यह मैं समझ नहीं पाया।

दूसरा सवाल उनका यह है कि चीनी की मिलों को हमने ज्यादा गन्ना दे दिया। मैं बड़े अदब से कहूंगा कि अगर हमने ज्यादा गन्ना मिलों को दिया है तो मेरे पास ३० मिलें ऐसी आयी हैं कि जिन्होंने अपील की है कि हमको गन्ना कम मिला है। हम ज्यादा गन्ना नहीं दे सकते। लेकिन देवरिया और गोरखपुर की तस्वीर उनके सामने रखना चाहता हूं। हमने बहुत कोशिश की कि सिसवा और घुघली का गन्ना किसी और मिल को बाहर देवें, लेकिन एक-दो गांव को छोड़कर इसके लिये कोई रास्ता निकला नहीं। इस इलाके में हमारी बदकिस्मती यह है कि ट्रान्सपोर्ट बहुत खराब है। गन्ना बाहर निकलना बेहद मुश्किल है। जहां कहीं निकल भी सकता है तो वहां उन मिलों की कैपेसिटी काफी ज्यादा है।

खड्डा की मिल है, उसकी जो क्रशिंग कैपेसिटी है और गन्ने का जो क्षेत्र है उसके पास वह इतना अधिक है कि उस मिल के पास ही हम उसे रहने दें तो काम नहीं चलता। लेकिन दूसरी मिलों को देने में जो सीमायें हैं उनसे हम बाहर नहीं जा सकते। कहीं रास्ते नहीं हैं, कहीं इलाका दो नदियों के बीच में आ जाने के कारण उससे गन्ने का बाहर जाना मुश्किल है। लैक आफ ट्रान्सपोर्ट की वजह से यह सही है कि कहीं-कहीं किसी मिल के पास बहुत काफी गन्ना है और जो मई तक जा सकता है और कई के पास वह अप्रैल तक समाप्त होगा, लेकिन यह हमारी लाचारी है, हमारी इच्छा का सवाल नहीं है। हमने बराबर गन्ना देने की कोशिश की है और कोशिश की है कि १४० से १५० दिन तक का गन्ना मिलों को दें और इसी के लिये प्रयत्न हुये हैं, लेकिन उसके बाद भी कमोबेश का कारण परिस्थितियां हैं।

जिस आशा से गन्ना मिलों को दिया, अगर उनमें कोई गड़बड़ी आई है तो उनका गन्ना डाइवर्ट भी किया है। गेंदा सिंह जी ने कहा कि इस साल इस तरह के बहुत से आदेश हुये हैं। मैं यह नहीं मानता कि कोई बहुत बड़ी तादाद ऐसे आदेशों की है, लेकिन जहां कहीं हम ने देखा कि कैपेसिटी कम है और हमें आशा नहीं है कि ३० अप्रैल तक यह मिल गन्ना क्रश कर सकेगी तो वहां हमने वह गन्ना दूसरी मिलों को दिलाने की कोशिश की है और भविष्य में भी इसकी कोशिश करेंगे ताकि गन्ना ३० अप्रैल के बाद खड़ा न रहे। क्योंकि ऐसा न करने से एक ओर तो रिकवरी घटेगी और दूसरी ओर गन्ने का वजन भी कम होता जायगा।

एक बात उन्होंने यह कही कि काश्तकार कम कीमत पर गन्ना मिलों को दे रहे हैं। मेरे पास इस प्रकार की सूचना नहीं है कि कहीं–भी पूर्व, पश्चिम या मध्य-उत्तर प्रदेश में काश्तकारों ने कम कीमत पर मिल वालों को गन्ना दिया हो। पश्चिम के कुछ इलाके में काश्तकारों और मिल वालों ने बैठ कर अपना अपना कुछ पैसा बढ़ा लिया है। लेकिन कम होने की कोई सूचना हमारे पास इस समय नहीं है।

एक चीज उन्होंने और कही कि सारे विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं लाचार हूं इसका उत्तर देने में। मेरा यह दावा नहीं है कि यहां सब भले आदमी हैं, लेकिन जितने बुरे आदमी आज उत्तर प्रदेश में हैं उसी मात्रा में इस विभाग में भी होंगे। फिर भी अगर कोई निश्चित भ्रष्टाचार का चार्ज

गेंदा सिंह जी दें तो मैं देखूंगा । मैं यह नहीं कहता कि उनके पास केसेज नहीं होंगे, लेकिन अगर वह हमें सूचित करें तो जरूर हम ध्यान से देखेंगे ।

श्री अध्यक्ष--कोई व्यक्तिगत मामला इस सिलसिले में उनको कहने के लिये इजाजत नहीं दूंगा, आप उनको निमंत्रण दे रहे हैं ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--उन्होंने कहा कि ऐसे मामले हैं, तो अगर वह लिख कर देंगे.....

श्री अध्यक्ष--अगर उन्होंने कह दिया कि हम देंगे, तो मैं उनको यहां कहने की इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--एक बात, मान्यवर और कही गई कि फैक्टरियां काफी दबाव डाल रही हैं काश्तकारों पर गन्ना देने के लिये । हमें कोई एतराज नहीं है, गन्ना कोई दे....

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न करना चाहता हूं । यह दफा ५२ के अन्तर्गत मंत्री जी स्पष्टीकरण दे रहे हैं । १५ मिनट अब तक हो चुके हैं, तो क्या यह स्पष्टीकरण है या भाषण दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं, अगर संक्षेप में आप वक्तव्य दें तो अच्छा होगा । यह आपत्ति नहीं है ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर, यह दबाव डालने वाली बात सही नहीं है । सही बात यह है कि काश्तकार हम पर यह दबाव डालते हैं कि हमारा इस मिल से गन्ना क्रश करवा दीजिये, हमने ज्यादा पैदा कर दिया है । हमारी तरफ से दबाव नहीं है । लेकिन जहां कहीं काश्तकारों को ऐसी फैक्टरियों के कारण दिक्कत और परेशानी उठानी पड़ती है और उत्पादक शान्तिप्रिय रहकर अपना काम करना चाहते हैं तो उसको करने में सरकार से जो उचित प्रोटेक्शन चाहेंगे तो सरकार उनको जैसा कि अब तक मदद देती रही है, देगी । उसमें फैक्टरी को मदद देने का कोई प्रश्न नहीं उठता । इन शब्दों के साथ इतना ही कह सकता हूं कि हम काश्तकारों के हित में जितना कर सकते हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--श्रीमन्, मैं दो-तीन सवाल इकट्ठे किये देता हूं । एक बात तो यह कि उद्योग मंत्री जी का यह कहना है कि हमने सारी जिम्मेदारी गन्ने की नहीं ली है कि उसे मिलों से पिरवायें, तो क्या सरकार तैयार है कि जो रुकावटें और पाबन्दियां किसानों पर लगी हुई हैं रिजर्वेशन की या क्षेत्रों को सुरक्षित करने की, उनको उन क्षेत्रों में से उठा लेगी और काश्तकार को इजाजत दे देगी कि अपना गन्ना खुद पेरवायें ?

दूसरी बात यह कि अगर काश्तकार ने गन्ना ज्यादा बो लिया है तो सरकार कोल्हू या क्रशर लगाने में उसे सहायता करेगी कि वह अपना गन्ना खपा ले ? बस यही दो हैं फिलहाल ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर, जो पहले गेंदा सिंह जी ने पूछा है कि सारे के सारे गन्ने की जिम्मेदारी चूंकि हमने नहीं ली है तो क्या हम इजाजत देंगे कि वह गन्ना खुल जाय ? यह दो एक्सट्रीम्स की बात है । या तो हम यह करें कि पूरा गन्ना क्रश करवायें और वह भी किसी तारीख तक करवायें यह समय भी निश्चित नहीं है, काश्तकार जितना चाहें बढ़ावें और वह आगे आगे रहें और हम पीछे-पीछे गन्ना क्रश करने की व्यवस्था करें । मैं तो कहता हूं कि जिस ऐवरेज पर जितना गन्ना काश्तकार बोता है और उससे १० परसेंट ऊपर भी अगर वह बोये तो उसकी जिम्मेदारी सरकार लेती है, लेकिन अगर बेतहाशा गन्ना बोता चला जाता है तो वह प्रदेश के हित में नहीं है और उसकी मदद करने का सवाल नहीं, इस तरह की जिम्मेदारी हम लेने को तैयार नहीं । उस क्षेत्र में गन्ना कैसे मिल रहा है उसकी कैपेसिटी को देख कर रेशियो तय करेंगे ।

श्री अध्यक्ष--एक प्रश्न छूट गया कि अगर किसान ने गन्ना पैदा कर लिया ज्यादा और कहता है कि आप बिकवाइये और आप बिकवाने की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो जो उसका बच रहा उसको अगर वह स्वतंत्रता-पूर्वक बेच दे तो आप कोई रुकावट तो नहीं डालेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जी नहीं, जितना चाहे कास्ट से बेच सकें वह बेचे, हमारी ओर से कोई रुकावट नहीं है ।

श्री गेंदासिंह--कानून यह है कि किसी सुरक्षित क्षेत्र से गन्ना दूसरी जगह नहीं जा सकता, तो क्या सरकार ऐलान करने को तैयार है कि वह उतना गन्ना बाहर ले जाय ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मैंने अभी अर्ज किया कि जितना गन्ना बाउन्डेड है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है और १० परसेंट अधिक की है । हमारी व्यवस्था के अनुसार ८० फीसदी गन्ने की और जिम्मेदारी हमारे ऊपर है । अब २० परसेंट जो बच जाता है वह तो उसके बीज आदि के काम में आ जाता है ।

श्री गेंदासिंह--एक बात मैं और स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि क्या उनको इस बात की स्वतंत्रता है कि वे बाकी बचे हुये गन्ने को स्वतंत्रतापूर्वक जहां चाहें वहां बेच सकें ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--वह मिल में ही बेच सकता है, उसके बाहर गन्ना बचने की इजाजत उसको नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--जब उसको बाहर बेचने की इजाजत नहीं है तो क्या जो गन्ना उसके पास बच जाये उसको उसे जला देना चाहिये ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--वह उसका गुड़ बना सकता है ।

श्री अध्यक्ष--तो यह स्पष्ट है कि वह गन्ने की सूरत में बेच नहीं सकता है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जी हां ।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही नहीं है कि पिछले वर्षों से अब तक केन डिपार्टमेंट ने लाखों रुपया खर्च करके किसानों को प्रोत्साहित किया है कि तुम गन्ने की उपज बढ़ाओ ? अगर नहीं, तो क्या अपने फार्मों में और खासतौर से नैनीताल और किछा में, गन्ने की उपज बढ़ाई गई है या नहीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--पर एकड़ उपज बढ़ाने की कोशिश हमारी रही है और आगे भी रहेगी ।

श्री गेंदासिंह--सरकार के फार्मों में, विशेषकर किछा में, पिछले वर्षों में गन्ना बढ़ाया गया है या नहीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--इस वक्त किछा के मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी किसानों की उन कठिनाइयों की तरफ ध्यान देंगे जिनको उनकी यूनियन ने लिखा भी है कि जितना गन्ना मिलों को एलाट किया गया है उतना गन्ना भी वे नहीं लेते हैं ? क्या सरकार इसकी कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मैंने अभी अर्ज किया कि जितना गन्ना एलाट किया गया है उतना गन्ना मिलों को लेना पड़ेगा । इस बात की व्यवस्था हमारी है और अगर कोई नहीं लेगा तो उस के लिये हम देखेंगे और देख रहे हैं ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बात में सरकार को क्या आपत्ति है कि वह वहां पर, जहां कि मिलों के लिये सुरक्षित क्षेत्र हैं

किसानों को अपना गन्ना पेरने के लिये क्रशर लगाने की इजाजत दे दें ताकि कम्पेटीशन में किसान अधिक पैदा कर सकेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--इसके बारे में सदन में काफी बहस हो चुकी है, एक विधेयक भी आ चुका है, इस संबंध में उसमें सब लिखा हुआ है कि कब लगा सकता है, कब नहीं लगा सकता है । यह सब बातें सदन में बताई जा चुकी हैं ।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जो तीन साल का औसत लगाकर एलाटमेंट किया जाता है और उसके मुताबिक पिछले तीन सालों में पश्चिमी जिलों में यह होता रहा है कि गन्ने की उपज का जितना गन्ना मिलों को दिया है वह उसके अन्दर है जो गन्ना बच रहता है उसे किसान गुड़ या राब वगैरह बनाकर खर्च करता रहा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--पश्चिमी जिलों की यह विशेषता रही है कि गन्ना वहां मिलों को कम मिलता है और गुड़ उद्योग व खांडसारी शक्कर में ज्यादा खर्च होता है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या यह सही है कि केन डिपार्टमेंट इसी उद्देश्य से कायम किया गया है कि वह गन्ने की पैदावार को बढ़ाये ? और अगर सरकार गन्ने की पैदावार को रोकना चाहती है, और विभाग का यह उद्देश्य नहीं है तो इस बुनियाद पर वह इस विभाग को खत्म करेगी ?

श्री अध्यक्ष--यह वे नहीं कहते कि उपज बढ़ाना नहीं चाहते । वे एरिया नहीं बढ़ाना चाहते हैं बल्कि पर एकड़ पर उपज बढ़ाना चाहते हैं । आप दूसरा सवाल कर सकते हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--इस बात को ध्यान में रखते हुये कि अब सरकार कहती है कि वह क्षेत्रफल नहीं बढ़ाना चाहती है बल्कि वह कहती है कि हम पर-एकड़ गन्ने की पैदावार बढ़ायेंगे तो यह काम तो कृषि विभाग भी कर सकता है इसलिये अब केन डेवलपमेंट डिपार्टमेन्ट की क्या जरूरत है ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--केन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में केन के एक्सपर्ट हैं इसलिये उसको रखने की जरूरत है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या यह सही है कि किसी मितव्ययी उप-समिति ने सर्व-सम्मति से यह प्रस्ताव पास किया है और सिफारिश की है कि केन डेवलपमेंट डिपार्टमेन्ट की आवश्यकता नहीं है, इसको तोड़ देना चाहिये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इस वक्त तो मुझे याद नहीं, मुमकिन है कोई इस किस्म की सिफारिश भेजी हो लेकिन उस राय से गवर्नमेंट इत्तिफाक नहीं करती ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--गन्ना उत्पादकों का क्षेत्र सुरक्षित है मिलों के लिये, एक बात यह तय है । लेकिन अभी जैसा मंत्री जी ने कहा कि यहां एक विधेयक प्रस्तुत हुआ था क्रशर के सम्बन्ध में तो उसमें लाइसेन्स लगा-लगा करके सरकार ने क्रशर्स की शक्ति को भी सीमित कर दिया है । अब मूल प्रश्न केवल इतना ही रह जाता है कि सरकार को दिक्कत क्या पड़ रही है कि किसान अपना जो गन्ना मिल को नहीं दे पाता या जो गन्ना मिल नहीं खरीद पाती और उनके पास क्रशर लगाने की भी क्षमता नहीं रह गई है तो उसके लिये उसे मजबूर क्यों किया जाय कि वह गन्ना जला ही डाले, इसका ही उत्तर हम चाहते हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--यह जलाने वाली सूझ भले ही इस भवन में आई हो लेकिन वास्तव में आज तक एक बिस्वा भी गन्ना उत्तर प्रदेश में नहीं जलाया गया और दूसरे यह कि न कभी जलाने की जरूरत हो सकती है । मैंने बतला दिया कि अगर गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ता चला जाय तो गन्ने के उत्पादन पर भी उसका असर पड़ेगा । इसलिये कोई दिक्कत मेरी समझ में नहीं आती ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि जो नयी सहकारी मिलें या व्यक्तिगत मिलें किछा, बाजपुर, बागपत या मझौली में हैं वहां पर भी पर एकड़ गन्ना बढ़ाने से काम चल जायगा या क्षेत्रफल भी बढ़ाना पड़ेगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मैं सारे प्रदेश की बात कह रहा था। जो बात बाजपुर में या किछा में होने वाली है उससे भिन्न बात मझौली और बागपत में होने वाली है। इसलिये अलग-अलग फैक्टरियों को जवाब देना पड़ेगा। इन सब फैक्टरियों में गन्ने की जो पर एकड़ ईल्ड है उसको बढ़ाना पड़ेगा अगर प्रदेश की चीनी मिलों को और काश्तकारों को अपने जीवन को सुखी बनाना है समृद्ध बनाना है।

गोरखपुर तथा देवरिया में टेस्ट वर्क पर कार्य करने वाले अकाल-पीड़ित मजदूरों को निर्धारित मजदूरी न मिलने तथा उन पर जुर्माना कर देने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत न्याय मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब श्री उग्रसेन जी का जो प्रश्न है उसके संबंध में संबंधित मंत्री अपना वक्तव्य देंगे।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—मैंने कल देने के लिये कहा था।

श्री अध्यक्ष—अच्छी बात है।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष— मैं एक सूचना दे दूं कि श्री अवधेशकुमार सिनहा सेक्शन ३४१, ३४२, ३४३ और १४७, इंडियन पेनल कोड के मातहत गिरफ्तार हुये। जिस रोज कि यह खबर आई उसी रोज ९ बजकर १५ मिनट पर गिरफ्तार हुये। उनको सीतापुर जेल में रखा गया है। उनपर "रांगफुल रेस्ट्रेन्ट" यानी बेजाप्ता दूसरों को रोकने के बारे में, लोगों को रोकने के लिये और पुलिस को अपने कर्तव्य से रोकने के संबंध में आरोप लगाये गये हैं।

लखनऊ विश्वविद्यालय के उपकुलपति के इस्तीफे के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अभी श्री राजनारायण जी ने यह लिखकर भेजा है कि श्री अय्यर ने यह लिखा है कि युद्ध काल के वाइसचांसलर पद पर वे काम नहीं कर सकते हैं और इसीलिये उन्होंने अपना त्याग-पत्र कुलपति जी को दिया था और कुलपति जी ने उसको स्वीकार कर लिया है। इस विषय में नागरिकों और विद्यार्थियों में बड़ा असंतोष है। इसकी ओर उन्होंने सरकार का ध्यान दिलाया है। सरकार इस विषय में स्पष्टीकरण दे दें कि जो वाकया उन्होंने बताया है, वह कहां तक सही है और यह किस परिस्थिति में हुआ इसका स्पष्टीकरण करने की कृपा करें।

गृह-मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, यह युद्धकालीन वाइस-चांसलर वाला प्रश्न तो मेरे सामने आया नहीं। कानून के मुताबिक वाइस चांसलर ने अपना त्याग-पत्र दिया है।

श्री अध्यक्ष—इसकी कोई आवश्यकता नहीं। उनका कहना है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, क्या उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी——मेरे पास तो वाइस-चांसलर के इस्तीफे की सूचना चांसलर के सेक्रेटेरियट से उस पत्र की प्रतिलिपि के रूप में आयी है जो चांसलर ने रजिस्ट्रार लखनऊ यूनिवर्सिटी को लिखा है। मेरे पास वाइस-चांसलर की कोई विज्ञप्ति नहीं है। मुझे तो यह सूचना मिली है कि वाइस चांसलर ने विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा १०(५) के अन्तर्गत चांसलर को इस्तीफा दिया और उन्होंने उसको मंजूर कर लिया। इसके बारे में उन्होंने रजिस्ट्रार साहब को लिखा है तथा यह भी लिखा है कि नये वाइस चांसलर के चुनाव के संबंध में कानूनी कार्यवाही की जाय। उस पत्र की एक प्रतिलिपि चांसलर ने कृपाकर सरकार के पास भेज दी है। उन्होंने त्याग-पत्र क्यों दिया, क्या कारण उसका बताया, इसका सरकार से कोई संबंध नहीं है। मेरे पास उसकी इत्तिला नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)——क्या माननीय मंत्री जी ने उपकुलपति के इस्तीफे और बयान के मुताल्लिक अखबारों में नहीं पढ़ा या नहीं सुना कि उन्होंने स्पष्टरूप से यह कहा है कि वे युद्धकाल के कुलपति की भांति काम करने के लिये तैयार नहीं है और यही कारण है जिसके कारण वह त्याग-पत्र दे रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी——मान्यवर, संभव है उन्होंने ऐसा लिखा हो। अखबारों में क्या छपा उसके शब्द पूरी तरह से यही थे यह मैं नहीं जानता। लेकिन सरकार इसमें आती नहीं है। चांसलर ने वाइस-चांसलर का इस्तीफा मंजूर कर लिया और कानूनी कार्यवाही, नये चुनाव के संबंध में करने के लिये रजिस्ट्रार को लिख दिया। हमारे यहां केवल उसकी एक प्रतिलिपि ही आई है।

श्री राजनारायण——क्या सरकार इस बात को स्पष्ट करने की कृपा करेगी कि वाइस-चांसलर का इस्तीफा चांसलर महोदय ने किस तारीख को स्वीकार किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी——हमारे पास जो प्रतिलिपि है वह १६ फरवरी की है। उन्होंने जो पत्र लिखा है वह इस प्रकार है——

"I am directed to say that Professor K. A. S. Iyer has submitted his resignation to the Chancellor from the office of the Vice-Chancellor, Lucknow University. The Chancellor has been pleased to accept his resignation with effect from April 1, 1960."

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)——क्या शिक्षा मंत्री जी यह बतायेंगे कि वाइस चांसलर महोदय ने जो वक्तव्य दिया, जिसमें त्याग-पत्र देने के कारण बताये वह त्याग-पत्र के साथ ही था या अलग ?

श्री कमलापति त्रिपाठी——उनके त्याग-पत्र की कोई प्रतिलिपि मेरे पास नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)——क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि चांसलर के जिस पत्र की प्रति माननीय शिक्षा मंत्री के पास आयी है उसमें क्या उन्होंने वाइसचांसलर से ऐसा अनुरोध किया है कि फलां तारीख तक वे अभी वाइस-चांसलर के पद पर बने र- और नये वाइस-चांसलर के चुनाव के लिये कोई तिथि भी निर्धारित की गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी——श्रीमन्, इसमें लिखा है कि चांसलर ने १ अप्रैल, १९६० से उनका इस्तीफा स्वीकार किया है और इस बारे में उन्होंने रजिस्ट्रार को लिखा कि आवश्यक कार्यवाही की जाय।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)——क्या सरकार को यह जानकारी है कि लखनऊ विश्वविद्यालय की एक्जीक्यूटिव कौंसिल किसी दूसरे व्यक्ति को वाइस-चांसलर बनाना चाहती है इसलिये वाइस चांसलर को मजबूर किया गया कि वे इस्तीफा दें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को इस बात से खुशी होगी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर पुनः अपने पद पर रह जायं और उनके लिये विद्यार्थी जो प्रार्थना कर रहे हैं कि वे इस्तीफा न दें, इसके लिये सरकार अपनी ओर से भी कोई प्रयत्न करेगी ?

श्री अध्यक्ष—यह तो सुझाव है । मैं समझता हूं कि इससे यह प्रश्न उठता नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि जो सूचना-पत्र चांसलर ने सरकार के पास भेजा है उसके लिये कोई नियम नहीं है कि वे इस प्रकार की सूचना सरकार को दें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह कानून में भी स्पष्ट है कि यह बिलकुल उनके जूरिस्डक्शन में है । एक परम्परा ऐसी चली आ रही है कि जब वे कोई ऐक्शन लेते हैं तो उसकी सूचना सरकार को दे देते हैं ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब वाइस-चांसलर महोदय ने इस्तीफा देने का विचार किया तो वे माननीय मंत्री जी के पास आये और उन्होंने इस्तीफा देने के पूर्व कुछ कारणों पर प्रकाश डाला और कुछ मंत्रणा की, उसके बाद इस्तीफा दिया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या यह सत्य है कि सरकार चांसलर महोदय से आग्रह करने जा रही है कि अय्यर साहब को पुनः वाइस चांसलर पद पर रहने दिया जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, यह चांसलर और वाइस चांसलर के बीच का मामला है । जैसा चांसलर चाहें वैसा करें । इस बीच में दाल भात में मूसलचन्द बनने की सरकार को क्या जरूरत है ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक्जीक्यूटिव कौंसिल के कुछ मेम्बरों ने वाइस चांसलर पर इस बात के लिये दबाव डाला कि ७ विद्यार्थियों के निष्कासन वाले आर्डर को वापस न लिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—यह तो बहुत व्यापक है, मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यही तो इस्तीफे का कारण हो रहा है जिसको उन्होंने उसमें लिखा नहीं है ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्रीजी को इस बातकी सूचना है कि वाइस चांसलर ने मुख्य मंत्री जी को अपने इस्तीफे के बारे में सविस्तार सारी बातें बतलायीं कि वे क्यों इस्तीफा दे रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसका उत्तर तो माननीय मुख्य मंत्री जी ही दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—अब यह समाप्त किया जाता है ।

नियम ५२ के अन्तर्गत फ्रांस द्वारा सहारा में किये गये अणुबम विस्फोट के प्रभाव के सम्बन्ध में न्याय मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—माननीय मंत्री जी, सहारा में हुए बम विस्फोट से हुए प्रभाव के सम्बन्ध में आज यहां वक्तव्य देने वाले थे, तो आप बोलें ।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---श्रीमन्, उससे यहां कोई खतरा नहीं है।

श्री अध्यक्ष---वे जबरदस्ती घबड़ा रहे हैं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---श्रीमन्, उनके पास इसकी कोई सूचना नहीं है तो नैनीताल आब्जरवेटरी से सूचना मंगा कर देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वह आब्जरवेटरी इस काम के लिये नहीं है। वहां पर दूसरा ही काम होता है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मैंने सूचना मंगवायी है जहां के एक प्रोफेसर ने बतलाया है कि इस तरह का कोई खतरा हमारे यहां नहीं है।

श्री अध्यक्ष---उनका कहना है कि घबड़ाना जो है वह फेयर सेक्स का प्रिविलेज है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---श्रीमन् वे उसी सेक्स को ज्यादा बिलांग करते हैं। (हंसी)

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---घबड़ाने की कोई बात इसमें नहीं है। हम तो जानना चाहते हैं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जो बादल यू० पी० के ऊपर उधर से आ रहे हैं उससे इस तरह की उसे कोई सूचना मिली है ? जब लोकसभा में पंडित नेहरू को इसका जबाव देने में कोई दिक्कत नहीं है तो फिर माननीय उद्योग मंत्री जी को यहां क्या दिक्कत है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वे प्रधान हैं और जब प्रधान मंत्री ने इसका जबाव दे ही दिया है तो फिर दोबारा इस बात को यहां पूछने की क्या आवश्यकता है ?

१९६०-६१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ४---लेखा शीर्षक ९---स्टाम्प

श्री अध्यक्ष---अब वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान होगा।

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४---स्टाम्प---लेखा शीर्षक: ९---स्टाम्प के अन्तर्गत ८,३५,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---अध्यक्ष महोदय, वन के बारे में मैंने एक संशोधन रखा था, अगर वाद विवाद नहीं होना है तब भी वोटिंग के लिये तो वह रखे जाने चाहिये थे।

श्री अध्यक्ष---कटमोशन इसमें आने चाहिये थे ? जब कोई मूव नहीं करेगा तो कैसे होगा, आप विरोध करना चाहते हैं तो वोट खिलाफ दे सकते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---छपने में क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष---ठीक है, उसका प्रबन्ध आगे के लिये हो जायगा। जितने कटमोशन्स हैं वे छपने चाहिये चाहें उन पर विवाद न हो।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४---स्टाम्प---लेखा शीर्षक: ९---स्टाम्प के अन्तर्गत ८,३५,००० रुपए की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ६—लेखा शीर्षक: ११—निबन्धन

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६—निबन्धन (रजिस्ट्रेशन)—लेखा शीर्षक : ११—निबन्धन के अन्तर्गत १८,६०,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६—निबन्धन—लेखा शीर्षक : ११—निबन्धन के अन्तर्गत १८,६०,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ८—लेखा शीर्षक : १२-क—बिक्रीकर के कारण व्यय, अनुदान संख्या ४०—लेखा शीर्षक: ५५—बढ़ौती भत्ते और निवृत्ति वेतन (पेंशनें), अनुदान संख्या ५३—लेखा शीर्षक: ८३—पेंशनों की संराशि का भुगतान, अनुदान संख्या ५५—लेखा शीर्षक: त—ब्याज वाले ऋण और अग्रऋण

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८—बिक्री-कर के कारण व्यय—लेखा शीर्षक : १२-क—बिक्री-कर के अन्तर्गत ४०,९९,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं चाहता हूं कि पहले समय का बंटन हो जाय।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष भी शायद यही होता रहा हो, यह सब एक साथ पुट कर दी जायं और बहस होती रहे। अलग-अलग लेंगे तो हर समय जबाव उनको देना पड़ेगा और मंत्री जी को उठना पड़ेगा।

श्री सैयद अली जहीर—८, ४०, ५३ और ५५ साथ में ले ली जायं।

श्री अध्यक्ष—जो अनुदान मिल सकती हैं वही मिलायी जायं, ऐसा न हो कि एक तरफ 'लेजिस्लेटिव विभाग' हो और दूसरी तरफ 'जंगल' हो।

श्री सैयद अली जहीर—८ तो सेल्स-टैक्स की हैं, और जो ४० है वह और ५३ यह पेन्शन और पेंशनों को जो कम्पोजिट संराशि है उसकी हैं तथा एक ऋण का है।

श्री अध्यक्ष—अगर आप चारों पेश कर दें और लोगों को बोलने दें और फिर एक साथ जबाव दे दिया जाय तो हो सकता है। मैं राय अलग-अलग ले लूंगा।

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४०—बुढ़ौती भत्ते और निवृत्ति वेतन (पेंशनें)—लेखा शीर्षक: ५५—बुढ़ौती (superannuation) भत्ते और निवृत्ति वेतन (पेंशनें) के अन्तर्गत २,३८,९५,६०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

संख्या ८––लेखा शीर्षक : १२-क- बिक्रीकर के कारण व्यय, अनुदान संख्या ४०––लेखा शीर्षक ५५––बढ़ौती भत्ते और निवृत्ति वेतन (पेंशनें), अनुदान संख्या ५३––लेखा शीर्षक : ८३––पेन्शनों की संराशि का भुगतान–– अनुदान संख्या ५५––लेखा शीर्षक: त––ब्याज वाले ऋण और अग्रऋण

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५३––पेन्शनों की संराशि––लेखा शीर्षक: ८३––पेन्शनों की संराशि का भुगतान के अन्तर्गत ८,००,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष, १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५५––ब्याज वाले ऋण और अग्रऋण––लेखा शीर्षक: त––राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण (advances) के अन्तर्गत ८३,८८,४२,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष, १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष––मैं समझता हूं कि चारों के लिये प्रस्तावक को पहले २० मिनट का समय दे दिया जाय और बाकी लोगों को १० मिनट का।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)––मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। चारों का विवाद साथ-साथ चलेगा तो एक वक्ता चारों विषय पर बोलेगा या एक ही पर ?

श्री अध्यक्ष––एक पर बोल सकता है या चारों पर, लेकिन एक ही दफा बोलेगा। मैं २० मिनट प्रस्तावक के लिये रखता हूं और बाकी लोगों के लिये १० मिनट।

श्री मोतीलाल अवस्थी––जब चार विषय हैं तो १५ मिनट आम तौर से रखें।

श्री अध्यक्ष––आम तौर पर १० मिनट रखूंगा। जो लोग यह कहेंगे कि दो-तीन विषयों पर बोलना है तो उनको १५ मिनट दे दूंगा। श्री चन्द्रजीत यादव।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)––श्रीमन्, सदस्यों के लिये ५ मिनट और नेताओं के लिये एक घंटा। कम से कम ३० मिनट तो हों हम लोगों के लिये जो किसानों के चुने हुए आये हैं।

***श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़)––श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान संख्या ८––बिक्री-कर के कारण व्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि को घटाकर एक रुपया कर देने का प्रस्ताव करता हूं।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान संख्या ४०––बढ़ौती भत्ते और निवृत्ति वेतन (पेंशनें) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि को घटा कर एक रुपया कर देने का प्रस्ताव करता हूं।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान संख्या ५३––पेन्शनों की संराशि के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि को घटा कर एक रुपया कर देने का प्रस्ताव करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान संख्या ५५---ब्याज वाले ऋण और अग्र-ऋण के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि को घटा कर एक रुपया कर देने का प्रस्ताव करता हूं ।

श्रीमन्, यह ४ अनुदान जो वित्त मंत्री जी ने रखे हैं, मैं सबसे पहले ऋण और अग्र-ऋण वाले अनुदान पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं । हमारे देश के लिये यह एक बहुत बड़ी समस्या थी कि देश के उस भाग को जो पिछड़ा हुआ हो, या समाज का वह भाग जो आर्थिक दृष्टि-कोण से दबा हुआ हो उसके उत्थान के लिये ऋण देने की व्यवस्था बराबर राज्य करता चला आया है और जब इस प्रकार ऋण दिया जाता है तो उसके दो मुख्य उद्देश्य हुआ करते हैं । पहला यह कि ऐसे लोगों को जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हों उनको मुक्ति दिलाना, इकोनामिक इमैनसिपेशन जिसे कहते हैं, और दूसरे यह कि उनकी आर्थिक दशा को उन्नतिशील बनाना ।

इस सम्बन्ध में बहुत पहले से विचार किया गया और इसीलिये १८९५ में सर फ्रैड्रिक निकलसन की अध्यक्षता में कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के सम्बन्ध में जांच कमेटी बैठायी गई । उसने विस्तृत पैमाने पर जांच की और रिपोर्ट दी । उसी के आधार पर हमारे देश में बड़े पैमाने पर कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज की स्थापना हुई । अभी हाल ही में १९५४ में रिजर्व बैंक ने आल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कराया और जो रिपोर्ट दी उसमें बहुत से ऐसे सुझाव केन्द्रीय सरकार और राज्य की सरकारों को दिये गये हैं जिनके आधार पर इस प्रकार के ऋणों और अग्र-ऋणों को जनता को देना चाहिये । सरकार ने उन सुझावों में से कुछ को मान करके इम्प्लीमेंट किया है । लेकिन बहुत से ऐसे सुझाव कमेटी के हैं जिन्हें सरकार ने नहीं माना है ।

उस कमेटी के जो मुख्य सुझाव थे उसमें से एक यह था कि सरकार को जो ऋण देना चाहिये वह प्रदेश और देश के ऐसे हिस्से के विकास के लिये जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं ऋण देना चाहिये । इसको सरकार ने मान कर इसके अन्दर यह व्यवस्था की है कि जो पिछड़े हुए इलाके हैं उन्हें ऋण दिया जाय । लेकिन जितनी रकम चाहिये उन्हें देने के लिये यदि उस रकम को देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि वह बहुत कम रकम है । दूसरा जो मुख्य सुझाव उस कमेटी का था कि ऐसे ऋण कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये सरकार को देने चाहिये । लेकिन कोआपरेटिव सोसाइटीज का जो इतिहास हमारे मुल्क के अन्दर है, जिस प्रकार का उनका कार्यक्रम और कार्य-पद्धति रही है उसे देखते हुए लोगों का विश्वास कोआपरेटिव सोसाइटीज के वर्किंग के अन्दर दिन प्रति दिन घटता चला जा रहा है । उसके लिये उस रिपोर्ट में विस्तृत रूप से सुझाव दिया गया है कि वेस्टेड इंटरेस्ट इस परिस्थिति से फायदा उठा करके चाहते हैं कि कोआपरेटिव मूवमेंट प्रदेश में असफल हो ।

अगर समाजवादी व्यवस्था सरकार कायम करती है, पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित करना चाहती है, जो सही माने में सहायता चाहते हैं उनको देना चाहिये और सहकारी आन्दोलनों को मजबूत करना होगा और उसके लिये सरकार को निश्चित रूप से ऐसे कदम उठाने चाहिये जिनके जरिये हम बड़े पैमाने पर एक कैडर तैयार कर सकें जो कोआपरेटिव मूवमेंट को सफलतापूर्वक चला सकें । बड़े पैमाने पर प्रशासकीय सुधार कर सकें । मुझे खेद है कि अभी तक हमारे कोआपरेटिव मूवमेंट को सफल बनाने वालों को असफलता मिली है ।

दूसरी बात जो मुख्य रूप से इसके अन्दर आती है वह यह कि हमें देखना है कि सरकार जिस मकसद के लिये ऋण देती है वह पूरे होते हैं या नहीं । मेरा एक आरोप है कि जो ऋण दिये जाते हैं वे जिस मकसद के लिये विधान सभा स्वीकृत करती है उनका उल्लंघन होता है । जिस

मकसद के लिये ऋण दिया जाता है उसका ठीक से प्रयोग नहीं होता है। बल्कि सरकार समझती है हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है उस ऋण का इस्तेमाल किसी भी ढंग से कहीं भी करना चाहिये।

इसके लिये श्रीमन्, मैं और उदाहरण पेश करना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में पीलीभीत उपनिवेशन योजना बनायी गयी जिसके अन्दर सरकार पिछले कई वर्षों से ऋण की व्यवस्था करती चली आ रही है और इस वर्ष भी काफी बड़ी रकम उस योजना पर रखी गयी है। उस रकम का इस्तेमाल इस योजना में कैसे किया जा रहा है इस सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति ने एक उप-समिति बनाई थी जिसने उस योजना की छानबीन की। फिर प्राक्कलन समिति ने सुझाव दिया कि यह योजना बिलकुल निरर्थक है। इस योजना पर जो ८७ लाख रुपया खर्च होने जा रहा है वह रुपया पानी में फेंकने के बराबर होगा इसलिये इसे कार्यान्वित नहीं करना चाहिये।

पिछले दिनों जो बजट के लिये रुपया दिया था उसका इस्तेमाल कैसे किया गया है इस सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति ने जो रिपोर्ट दी है उसका एक अंश पढ़ देना चाहता हूं : "जो साक्ष्य समिति के सामने वैभागिक अधिकारियों ने दिया उससे मालूम पड़ता है कि ३१ मार्च, १९५९ के अन्त तक केवल एक हजार एकड़ भूमि का अभिन्यास हो सका है जिसमें १००व्यक्तियों को बसाया जा सकता है, परन्तु अभी तक एक को भी बसाया नहीं गया है। परन्तु व्यय के चार्ट से पता चलता है कि १९५७-५८ में ऋण और अग्र-ऋण के रूप में ५०,००० रुपया तथा १९५८-५९ में ४७,६०० रुपया बांटा गया है। समिति द्वारा यह पूछने पर कि जब वहां कोई व्यक्ति बसा ही नहीं, तो यह ऋण किसको दिया गया, यह बताया गया कि वहां पर जो पहले से बसे हुए लोग हैं, उन्होंने अपना एक संगठन बना रखा है और उनको सीड स्टोर आदि के लिये यह रुपया दिया गया है। समिति यह बात समझने में असमर्थ है कि उन व्यक्तियों का इस योजना से क्या सम्बन्ध है और किस आदेश तथा अधिकार के अन्तर्गत यह रुपया उनको दिया गया है। ऐसा लगता है कि चूंकि अधिकारियों के पास काफी पैसा था और उनको किसी तरह से उसको खर्च करना ही था, अतः उस पैसे को इस तरह से खर्च किया गया है। समिति इसको किसी तरह से भी उचित नहीं समझती।"

सदन ने एक योजना के लिये उस रुपये को ग्रान्ट किया लेकिन उस योजना के मातहत एक भी आदमी वहां बसा नहीं। सदन ने उस ऋण को ग्रान्ट कर दिया था और वहां के अधिकारी को उस ऋण को बांटना था। तो उस ऋण को ऐसे लोगों को बांट दिया गया जिनको स्वीकृति नहीं दी गयी। तो इस प्रकार से सदन के स्वीकृत रुपये से धोखे की बात करना और रुपये को बेजा ढंग से इस्तेमाल करना यह कहां का न्याय है, वित्त मंत्री इस बात का जवाब दें। जिस मकसद के लिये सदन ने उस रुपये को स्वीकृत किया था उस मकसद के खिलाफ ऋण और अग्रऋण क्यों दिया गया।

इस बार फिर पीलीभीत योजना के लिये ३ लाख ६१ हजार रुपया स्वीकृत किया गया है और समिति की सिफारिश है कि यह जो योजना है बिलकुल निरर्थक साबित हो रही है और सरकार को इस योजना को बिलकुल बन्द कर देना चाहिये। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, और विशेष रूप से इस क्षेत्र की जलवायु, स्थिति, वर्षा तथा भूमि की उर्वरा शक्ति को देखते हुए समिति को इस बात पर पूरा संदेह है कि यह उपनिवेशन योजना सफल भी हो सकेगी। उसका मत है कि ऐसी दशा में इतना व्यय करना उचित नहीं है और यह सिफारिश करती है कि इस योजना को आगे कार्यान्वित न किया जाय। जिस योजना के लिये यह सिफारिश कर चुकी है समिति उसको बन्द कर दिया जाय, उस पर रुपया खर्च करना निरर्थक है। उसी योजना पर बराबर खर्च करते जाना कहां का न्याय है और उचित है।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

समिति ने आगे कहा है चूंकि केन्द्रीय सरकार ने १३ लाख रुपये अनुदान के रूप में इस योजना को दे दिये हैं और केन्द्रीय सरकार बड़े पैमाने पर ऋण देने को तैयार है। लगभग ४० लाख रुपये का जो केन्द्रीय सरकार का है प्रान्तीय सरकार उसका बेजा फायदा उठाना चाहती है। रुपया किसी भी सरकार का हो उसका दुरुपयोग करना कहां तक उचित है। पीलीभीत योजना के अन्तर्गत ऋण और अग्र-ऋण दिया जा रहा है और प्रदेश के दूसरे जो पिछड़े हुए इलाके हैं उन पर यह ऋण खर्च किया जाता है। ये ऋण जो दिये जाते हैं इनके लिये आज नियम बने हुए हैं। इन नियमों को किस प्रकार से फ्लाउट किया जाता है उसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं।

लोक लेखा समिति ने अपनी इस वर्ष की रिपोर्ट में इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है इसमें ढाई लाख रुपया एक सज्जन को कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिये दिया गया। रुपया देते वक्त कुछ शर्तें रखी गयीं लेकिन वह शर्तें उन्होंने जान बूझ कर नहीं पूरी कीं। चार वर्षों में किस्तों में रुपया वापस करना था, वह भी नहीं दिया। ढाई लाख रुपये के अलावा १ लाख २० हजार का सूद हो गया, वह भी नहीं दिया। फिर उसमें लिखा है :—

"सरकार मई, १९५५ में बन्धक रखी हुई सम्पति का उपयोग कृषि विभाग के बीज का आलू रखने के लिये करता रहा और लगभग १५ हजार रुपये प्रतिवर्ष की औसत दर पर उसका किराया देती रही है। कृषि संचालक ने जनवरी, १९५४ में यह प्रस्ताव किया था कि किराये की इन धनराशियों को ऋण की अदायगी के सम्बन्ध में समय पर अदा न की गई किस्तों की ओर मुजरा कर लिया जाय परन्तु यह प्रस्ताव भी कार्यान्वित नहीं किया गया।"

कितनी बड़ी विडम्बना है कि सरकार ने ढाई लाख रुपया कर्ज दिया। उसकी शर्तें भी पूरी नहीं की गईं। उस पर १ लाख २० हजार रुपया ब्याज भी हो गया। न मूलधन की ही किस्तें दी गयीं और न ब्याज ही दिया गया और सरकार का कृषि विभाग १५ हजार रुपया प्रति वर्ष किराया देता रहा। जब डायरेक्टर ने इस बात की सिफारिश की कि इस रकम को मुजरा कर लिया जाय तो सरकार ने उसको भी कार्यान्वित नहीं किया। क्या श्रीमन, इस बात से यह नतीजा नहीं निकलता है कि सरकार कुछ ऐसे लोगों को जो किसी भी कारण से उसके प्रिय लोग हैं, इस प्रकार का सहारा देती है और जनता के रुपये का गलत ढंग से इस्तेमाल किया जाता है। आखिर सरकार का यह रवैया कब तक चलता रहेगा? इन दो उदाहरणों की सदन के अन्दर सफाई होनी चाहिए।

श्रीमन, उस रिपोर्ट में उन सज्जन का नाम भी दिया गया है जिनको रुपया कर्ज दिया गया। वह हैं राजा विश्वेश्वर दयाल सेठ। तो गरीब जनता के रुपये को राजाओं और बड़े-बड़े पूंजीपतियों को देना सरकार की एक नीति बन गई है।

श्री लालबहादुर (जिला वाराणसी)—यह कहां के हैं?

श्री चन्द्रजीत यादव—मंत्री जी से पूछिये कि यह कौन साहब हैं। तो श्रीमन् पिछले दिनों में सरकार की एक नीति रही है प्रदेश के बड़े-बड़े पूंजीपतियों को और ऐसे लोगों को जो पुराने सामन्त थे, जिनका किसी न किसी रूप में सरकार के लोगों से सम्बन्ध है, ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट्स के लोगों के साथ हाथ मिला कर सरकार जनता के रुपये को खर्च करती रही है।

दूसरी बात मुझे जो इस सम्बन्ध में कहनी है वह यह है कि सरकार ने इस बजट के अन्दर गृह-निर्माण योजना के अधीन चार मदों पर खर्च करने की व्यवस्था की है। ५० लाख रुपये ग्रमीण क्षेत्रों के कृषकों पर, ५० लाख रुपया मध्यम आय के लोगों पर, ५० लाख रुपया अल्पाय के लोगों पर और २० लाख ३४ हजार रुपया गन्दी बस्तियों की सफाई की योजना पर। मेरा कहना है कि प्रदेश की आवश्यकता को देखते हुये यह रकम बहुत कम है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने जो कहा है उस ओर जरा देखने की कृपा करें। उन्होंने लिखा है :—

"In the villages, the existing 54 million dwellings house 295 million people out of the country's total population of 357 million. Of these 54 million houses, some 50 million should be replaced by new dwellings."

१९६०–६१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या ६६३
८––लेखा शीर्षक-१२-क–– बिक्रीकर के कारण व्यय, अनुदान संख्या ४०––
लेखा शीर्षक ५५––बुढ़ौती भत्ते और निवृत्ति वेतन (पेंशनें), अनुदान संख्या
५३––लेखा शीर्षक-८३––पेंशनों की संराशि का भुगतान, अनुदान
संख्या ५५––लेखा शीर्षक:त––ब्याज वाले ऋण और अग्रऋण

तो यह प्रतीत होता है कि आज ९० प्रतिशत से भी अधिक ऐसे मकानात हमारे देहातों के अन्दर हैं जिनको फिर से बनाने की आवश्यकता है। आज वह इस योग्य नहीं हैं कि उनमें मनुष्य रह सकें।

आज हमारे शहरों और कस्बों की हालत यह है कि गंदी बस्तियों में छोटे मकानों में लोग रहते हैं। ऐसे मकानों में रहते हैं जो इंसान के रहने के योग्य नहीं हैं। केवल कानपुर के अन्दर जो सर्वे करवाया गया था उसके अनुसार ६० प्रतिशत आबादी कच्चे मकानों में रहती है जो स्लम एरियाज में हैं। इन स्लम्स में ६० प्रतिशत स्लम्स में सार्वजनिक पाखाने भी नहीं हैं और जहां पर एक पाखाने को औसतन १८ व्यक्ति प्रयोग करते हैं। इस प्रकार जो दैनिक दिनचर्या की आवश्यक चीजें हैं वह भी उपलब्ध नहीं हैं। इसलिये आवश्यक है कि सरकार इस मद पर अधिक धन खर्च करती ।

दूसरे गृह निर्माण के अन्तर्गत जो ऋण दिया जाता है उसके नियम इतने दुरूह हैं, उनमें इतनी पेचीदगियां हैं कि जिनको वाकई ऋण मिलना चाहिये उनको सहायता नहीं मिल पाती है। अगर किसी ने दरख्वास्त की और उसकी सिफारिश नहीं पहुंच सकी तो उसे धन मिलना मुश्किल है। इस लिये मैं प्रार्थना करूंगा कि वह इस प्रकार की व्यवस्था करें कि जो संस्था रुपया देने के लिये बैठती है वह उन्हीं लोगों को रुपया दे जो डिजर्व करते हैं। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की एक कमेटी ने सुझाव दिया है कि हर प्रदेश के अन्दर एक हाउसिंग कारपोरेशन बनाना चाहिये। हर सरकार में एक हाउसिंग डिपार्टमेंट खुलना चाहिए जो इन तमाम बातों पर विचार कर सके। इसलिये मेरा सुझाव है कि सरकार हाउसिंग कारपोरेशन और हाउसिंग डिपार्टमेंट की स्थापना करे।

जो ऋण उद्योगों के विकास के लिये दिये जाते हैं वे बड़े पैमाने पर कोआपरेटिव सोसाइटियों के जरिये दिये जायें। लेकिन जैसा कि मैं ने शुरू में कहा कि जब तक कोआपरेटिव सोसाइटियां ठीक से नहीं बनायी जातीं, उनमें सरल नियम नहीं बनाये जाते हैं, तब तक लोगों के अन्दर एक तरह का भय बना रहता है कि उस ऋण का ठीक उपयोग नहीं होगा।

(इस समय १ बजकर ९ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री गेंदासिंह पीठासीन हुये।)

सदन में रोज प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सोसाइटियों में बड़े पैमाने पर गबन होते हैं, जिस मकसद के लिए रूपया दिया जाता है उस मकसद में इस्तेमाल न हो कर दूसरे मकसद में इस्तेमाल होता है। मैं इस बात की भी दरख्वास्त करूंगा कि मंत्री जी इस बात को भी देखें कि धन का ठीक से इस्तेमाल हो सके।

तीसरे यह कि जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं जिनका कुछ न कुछ उद्योग करने का पेशा रहा है आज वह रुपये की कमी की वजह से उस उद्योग को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। सरकार का पहला कार्य यह होता है कि ऐसे लोगों को सहायता दी जाय। ऐसे लोगों को हमेशा प्राथमिकता मिलनी चाहिए जिनका शुरू से पेशा रहा है अगर उनको पैसा दिया जाता है तो वे ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन जो विकास खंडों के जरिये, या सोसाइटियों के जरिये, या विभाग के जरिये रुपया दिया जाता है, वह रुपया उनको नहीं मिल पाता है जो वस्तुतः उसके अधिकारी हैं।

वृद्धावस्था पेंशन का जहां तक प्रश्न है यह स्कीम सभी लोगों ने पसंद की। हम चाहते हैं कि सरकार इस स्कीम का विस्तार करे। परन्तु इसके नियम ऐसे बने हुये हैं कि जिस आदमी को वस्तुतः

[श्री चन्द्रजीत यादव]

मिलनी चाहिये उसको नहीं मिल पाती है। जो १५ रुपये मास की रकम रखी गयी है उसमें कोई आदमी जीवित नहीं रह सकता। इन नियमों का एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं और उससे मैं समझता हूं यह ज्यादा स्पष्ट हो जायगा। जिसकी साढ़े सात रुपये महीने की भी आमदनी होगी वह ओल्ड एज पेंशन नहीं पा सकता चाहे उसकी अवस्था ९० साल ही क्यों न हो। ऐसे कई आदमी जो तमाम नियमों और उप नियमों के अन्दर आते थे उनको केवल इस बिना पर पेंशन नहीं दी गई कि उनकी इस तरह की थोड़ी-सी आमदनी थी। श्रीमन्, १ मिनट और दे दिया जाय, यह उदाहरण बिल्कुल उसको साफ कर देने वाला है।

श्री अधिष्ठाता—आप का समय तो समाप्त हो गया। आप केवल एक मिनट चाहते हैं तो वह मैं आपको दिये देता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव—एक आदमी की पेंशन की दरख्वास्त पर जवाब दिया गया कि आप का वृद्धावस्था पेंशन के लिए प्रार्थना-पत्र दिनांक ५-११-५८ जो शासकीय पृष्ठांकन संख्या ९१५ (पी) / ३६-बी, दिनांक २०-११-५८ के साथ इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है के विषय में सूचित किया जाता है कि आप बिस्कुट बेच कर वह आदमी बिस्कुट बेचता था—बिस्कुट बेचकर चार आने की **रोज** आमदनी कर लेते हैं। इसलिये आप निराश्रितों की श्रेणी में नहीं आते और आपका आवेदन-पत्र वृद्धावस्था पेंशन योजना नियम २ के अनुसार अस्वीकृत कर दिया गया है।

चार आने की आमदनी थी बिस्कुट बेच कर कुल साढ़े सात रुपये महीने की, और सारी शर्तों को पूरा करता था, ७० वर्ष से ऊपर का भी था निराश्रित भी था, लेकिन केवल साढ़े सात रुपये महीने की आमदनी की वजह से उसकी दरख्वास्त नामंजूर कर दी गई। चूंकि आज के युग में चार आना पैसा कोई कमा लेता है इसलिये सरकार उसकी मदद करने के लिये तैयार नहीं है। बराबर हम लोग इस बात को कहते हैं कि सरकार लालफीताशाही के अन्दर बंधी हुई है, ऐसे नियमों उप-नियमों में बंधी हुई है इस बात को जानते हुये भी कि उसको सहायता करनी चाहिये नहीं कर पाती है। इसलिये हमारा यह चार्ज सरकार के ऊपर रहता है यह सरकार कानूनों के हाथ में, ब्यूरोक्रेसी के हाथ में, इस प्रकार फंस गई है कि प्रजातांत्रिक भावनायें उसके अन्दर पनपने नहीं पातीं। तो मैं अन्त में वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ये जो उदाहरण मैंने दिये हैं उन पर विचार करते हुये इन सब बातों के ऊपर ध्यान रखेंगे।

श्री अधिष्ठाता—आपने तो एक मिनट मांगा था एक मिनट की जगह सवा सात मिनट मैंने आपको दे दिया ताकि आप पर्दाफाश कर लें।

***श्री लालबहादुर**—माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी यह जो अनुदान संख्या ४०, ५३ और ५५ हमारे वित्त मंत्री जी ने स्वीकृति के लिये आप की आज्ञा से सदन के सामने रखे हैं उनका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आप के द्वारा मैं सदन से यह निवेदन करूंगा कि ये अनुदान शीघ्र से शीघ्र स्वीकृत कर लिये जाने चाहिये। अभी हमारे मित्र चन्द्रजीत यादव साहब ने फरमाया कि इन पेंशनों का तरीका बहुत लचर और गूढ़ है और यह सरकार ब्यूरोक्रेसी में फंसी हुई है लेकिन मान्यवर आपके द्वारा मैं निवेदन करूंगा कि तरीके लचर हों सरकार ब्यूरोक्रेसी में फंसी हुई है, फिर भी जो समाज हमारे सामने है उस समाज के लिये बहुत उपयोगी हैं, मान्यवर, आप ने भी शायद आज इस खबर को पढ़ा होगा कि एक बुड्ढे आदमी को १० रुपये पेंशन लेकर डाकिया जब पहुंचा तो बड़ा प्रसन्न हुआ और वह बहुत-बहुत आशीर्वाद दे रहा था। यह आज की ही खबर मैं बता रहा हूं। तो हमारे यहां यह मसल कही जाती है कि डूबते को तिनके का सहारा। आप खुद देखें, आप तो सर्वशक्तिसम्पन्न हैं, कि आप के फाइनेंसेज क्या हैं, आप के प्रदेश की हालत क्या है? टैक्सेशन की क्या हालत है? और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खर्चों की क्या हालत है ? उन सबको देखते हुये मैं तो आप के द्वारा निवेदन करूंगा कि जो कुछ भी हम कर सकें वही बहुत है।

इसके बाद मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि यह बुढ़ौती की ही पेंशन नहीं बल्कि जिस तरह से कि और दूसरे देशों में बड़े-बड़े सिविलाइज्ड कंट्रोज में बेकारों की पेंशन का इंतजाम होता है, उसी तरह से यहां भी बेकारों की पेंशन का इन्तजाम होना चाहिये। उसके लिये जब यह धनराशि बढ़ायी जाय, उसका विरोध न किया जाय और सदन उसके लिये सरकार को ऐसी शक्ति दे तभी यह चीज चल सकती है। इसके लिये हम लोगों को चाहिये कि सरकार जिस तरह से भी अनुदान चाहती है, उसे हम स्वीकृति दें ताकि वह काम कर सके। केवल यह कह देना कि कोई यहां बैठा है और कोई वहां बैठा है और हर मामले में सरकार का विरोध हो, उसके हर कामों के प्रति विरोध का प्रदर्शन हो, इससे इस प्रदेश का काम चलने वाला नहीं है।

दूसरी बात चन्द्रजोत यादव जी ने फरमायी अभी कि इतना रुपया राजा विश्वेश्वर दयाल सेठ को दे दिया गया। यह तो नहीं है इसमें कि वह नहीं दिया गया या जो रुपया दिया गया वह छोड़ दिया गया । वह रुपया वसूल होगा। हमारे देहात में तो यह मसल मशहूर है कि सबसे कर्जा लो लेकिन सरकार से कर्जा मत लो। कोआपरेटिव के रुपये के सिलसिले में तो यह हुआ है कि चाहे घर में खाने को न हो लेकिन वहां पर सुपरवाइजर कुर्की करके अपना रुपया वसूल कर लेते हैं। उनकी कुर्की भी जल्दी हो जाती है। यह सरकारी रुपया है और कहीं जाने वाला नहीं है।

आप सब इस बात को जानते हैं कि सरकारी रुपया किस तरह से वसूल होता हैं। राजा साहब से वसूल होगा। मेरी यह राय है कि यह धनराशि जो रखी गयी है इसको अच्छी तरह से पास किया जाय बल्कि सरकार से निवेदन है कि इसके लिये और धनराशि रखी जाय क्योंकि यदि लोगों को ऋण नहीं देते हैं और प्रोत्साहन नहीं देते हैं तो यहां पर उन्नति कैसे होगी।

आप देखें कि हमारे यहां इस प्रदेश में रोज शोर मचा रहता है कि कोई कल कारखाना नहीं है। यहां पर आबादी भी बराबर बढ़ती जाती है। सन् १९६१ में सेन्सस होने जा रहा है। आप देखेंगे कि यहां पर ७, ८ करोड़ की आबादी हो जायगी। यह रुपया जो वित्त मंत्री जी ने इस बजट में रखा है मैं इसके लिये उनको तारीफ करूंगा कि सोच समझ कर उन्होंने यह धनराशि रखी है ताकि लोगों को कर्जा दिया जा सके। अब अगर इस डर से कि कुछ आदमी बेईमान हो गये, यह कर्जा बन्द कर दिया जाय, यह बहुत गलत चीज होगी। कर्जा सब को जरूर देना चाहिये और एक तरीके के साथ देना चहिये और सुविधा के अनुसार उनसे उसको वसूल करना चाहिये।

मान्यवर, ब्यूरोक्रेसी कोई ऐसी चीज नहीं है कि कहीं बाहर से आई हो। वह भी हम और आप में से ही है। उनका सुधार कर सकते हैं। उनसे मिल कर बात कर सकते हैं कि जरा रहम के साथ लोगों से आप वसूल करें। मैं तो इसमें कोई फर्क नहीं मानता हूं चाहे वह इधर बैठता हो या उधर बैठता हो सभी देश भक्त हैं। इसमें किसी के कम या ज्यादा होने का सवाल नहीं है। हर एक आदमी देश भक्त है और हर एक आदमी देश समाज और मानवता के कल्याण के लिये कोशिश करता है। ऐसी हालत में यह जो अनुदान ५५ है यह सबसे महत्वपूर्ण अनुदान है और इसको बिना किसी आलोचना के समर्थन करें और समर्थन करके इसको जल्द से जल्द पास करें।

तीसरा अनुदान पेंशन का है। इसके विषय में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो पोलीटिकल पेंशन दी जाती है इनके सम्बन्ध में मैं यह समझता हूं कि कभी यह सोचा नहीं गया कि कौन किस पार्टी का है। मैं यह जानता हूं कि चाहे इस पार्टी का कोई आदमी हो या उस पार्टी

[श्री लालबहादुर]

का कोई आदमी हो या किसी पार्टी से कोई सम्बन्ध न रखता हो सब को बराबर पेंशन दी जाती है। कोई जेल गया हो या नहीं गया हो उन सब को यह दी जाती है। मेरे पास यह प्रमाण है और लाकर सदन के सामने दिखा दूंगा कि जो लोग जेलखाने नहीं गये थे और कुछ लोग ऐसे के जो उधर बैठते थे आपकी तरफ बैठते थे उनके प्रेशर पर उनको पेंशन दी गयी है।

मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं और मुझे इसकी बाबत मालूम है हमारे कहने पर लोग कम पाते हैं और आपके कहने पर ज्यादा मिलती है। हमारे कहने से इसलिये नहीं मिलती है कि यह समझा जाता है कि ये कहां जायेंगे और आप की पार्टी के विषय में तो यह समझा जाता है कि आप यहां पर क्वैश्चन करेंगे और उनको हैरस करेंगे। इसलिये आपके कहने से और अधिक देते हैं। तो ऐसी हालत में अधिष्ठाता महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह सदन इन तीनों अनुदानों को बिना बहस के स्वीकृत करे। ये जरूरी अनुदान हैं।

देखने में तो इसका महत्व कम है लेकिन पब्लिक यूटिलिटी के लिये यह सब से अच्छा अनुदान हैं। जितने और अनुदान आयेंगे उनमें आप चाहे जितनी बातें करें, चाहे जितने सुझाव दें, उनमें से किसी का फायदा और किसी का नुकसान होता है, लेकिन इन तीनों अनुदानों में तो जनता का फायदा ही फायदा नजर आता है। कहीं पर कोई बेईमान हो सकता है, चोर हो सकता है लेकिन ऐसा रेयर केसेज में होगा। अधिकतर आदमी इस प्रदेश के ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं और अच्छे तरीके से जनता के कामों में उस पैसे को लगाने की कोशिश करते हैं। तो इनको हम सहूलियत क्यों न दें? अगर सदन उनको मदद करेगा तो वह भी सदन और सरकार के प्रति अच्छी भावना रखेंगे।

एक और निवेदन यह करना है कि हमारे प्रदेश में बेकारी बहुत फैलती जा रही है। इसकी पेंशन भी हमको जरूर देनी चाहिये। और इसके लिये कुछ हमको करना चाहिये। बस इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने सदन के सम्मुख अपने विभागों के अनुदानों की स्वीकृति के लिये जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है तथा आदरणीय चन्द्रजीत यादव ने उसमें जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन रीति नीति की आलोचना करने हेतु कर रहा हूं। दुख है कि जिन मंत्री महोदय के विभाग के सम्बन्ध में इस समय सदन में चर्चा चल रही है वह स्वयं यहां अनुपस्थित हैं।

श्री अधिष्ठाता---डिप्टी मिनिस्टर साहब मौजूद हैं और एक मिनिस्टर साहब भी मौजूद हैं। सम्मिलित जिम्मेदारी है।

श्री जगन्नाथ लहरी---खैर ठीक है। सभा-सचिवों से भी अगर काम चल सकता है तो हमें मंत्रियों पर विशेष खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद, अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके सम्मुख वित्त मंत्री महोदय के उस विशेष विभाग की चर्चा करना चाहता हूं जिससे कि इस प्रदेश की सरकार को ७ करोड़ ६८ लाख ६० हजार की आमदनी होगी। यह है बिक्री कर विभाग। बिक्री कर के प्रति आज इस प्रदेश के जन-जन में जो असंतोष व्याप्त हो रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। जैसे-जैसे बिक्री कर का शिकंजा बढ़ता जा रहा है तैसे-तैसे व्यापारी वर्ग और प्रदेश की जनता में टैक्स की चोरी, बेईमानी करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। यदि वास्तविक तौर पर सरकार यह चाहती है कि प्रदेश को सही मानों में बिक्री कर प्राप्त हो तो उसको एक सही नीति अपनानी चाहिये और उसकी सही नीति यह है कि आज बिक्री कर जो कंज्यूमर से सीधा प्राप्त किया जाता है वह कंज्यूमर को तो देना ही पड़ेगा। वह अगर कंज्यूमर

से सीधे न लिया जा कर मैन्यूफैक्चरर से उत्पादन-कर के रूप में वसूल कर लिया जाय तो पूरा का पूरा बिक्री कर बड़े-बड़े उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर सरकार को प्राप्त हो जायगा और जनता को भी बिक्री कर देने में कोई कष्ट न होगा ।

आज बिक्री कर प्राप्त करने की जो नीति है, वह यह है कि जब एक दूकानदार से साधारण कंज्यूमर जो सामान खरीदता है तो उस समय दूकानदार ग्राहक से बिक्री कर वसूल करता है उस समय ग्राहक और दूकानदार के सामने कितनी भयावह परिस्थिति हो जाती है छुपी नहीं है। व्यापारी जब कहता है कि एक आना रुपया या २ पैसा रुपया बिक्री कर का दो तो ग्राहक कहता है कि हमें परचा नहीं चाहिए, बिक्री कर हम नहीं देंगे। दूकानदार कहता है कि अच्छा, अगर तुम परचा नहीं लोगे तो हम बिक्री कर नहीं लेंगे । बिक्री तो हो गयी लेकिन वह टैक्स कम हो गया, दूकानदार को ऊपरी बिक्री हो गयी और उसको बिक्री कर का रुपया सरकार को प्राप्त नहीं हुआ। आज व्यापारी वर्ग में दुहरे और तिहरे बही-खाते इसलिये चल रहे हैं । इसलिये अगर यह टैक्स उत्पादन कर के रूप में वसूल किया जाय तो फैक्टरी से माल निकलने के बाद ही एक्साइज ड्यूटी के साथ यह लग सकता है, उससे परचा लेने देने का झंझट ही नहीं रहेगा और टैक्स की वसूली में कोई चोरी नहीं होगी ।

अधिष्ठाता महोदय, आप जिस क्षेत्र से आ रहे हैं वह गन्ना उत्पादकों का क्षेत्र है और चीनी, खंडसारी, गुड़ का वहां पर एक विशेष उद्योग है। इन चीजों पर भी बिक्री कर कानून के मुताबिक कंज्यूमर से वसूल किया जायगा, छोटे किसानों से नहीं, लेकिन किसान जब गुड़ को बिक्री के लिये ले जाता है तो कच्चा अढ़तिया २ रुपया सैकड़ा उससे बिक्री कर का ले लेता है और पक्का अढ़तिया अलग से ले लेता है। अगर यह उत्पादन कर के रूप में होता तो किसान को टैक्स तो देना ही पड़ता। परन्तु यह बीच में करोड़ों रुपया जो टैक्स का अढ़तिये लोग बचा लेते हैं वह नहीं बचाया जा सकता है। २७ जनवरी को मेरठ जिले में चीनी, गन्ना उत्पादन का जो क्षेत्र है वहां पर वह एक विशेष उद्योग है उस जिले के बड़ौत नामक स्थान पर २०,००० से भी अधिक किसानों ने अपनी कान्फ्रेंस में इस असन्तोष को व्यक्त किया और खुल्लमखुल्ला कहा कि यह कैसा बिक्री कर है कि जो बिक्री करने वाले से न लेकर किसानों से लिया जाता है और सरकार को जो टैक्स मिलना चाहिये वह सरकार को भी नहीं मिलता अढ़तिये किसानों से वसूल करके बीच में खा जाते हैं। अतः इसमें ऐसा परिवर्तन आवश्यक है कि टैक्स किसानों से वसूल नहीं किया जाय तथा टैक्स की चोरी भी रोकी जा सके ।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और भी कह दूं। कुटीर उद्योग को हम बिक्री कर से मुक्त करने जा रहे हैं। मैं फीरोजाबाद का प्रतिनिधि हूं वहां कांच और चूड़ी का उद्योग होता है जो शत प्रतिशत कुटीर उद्योग है। मैंने १९५८ में उद्योग मंत्री से पूछा था कि काटेज इंडस्ट्रीज को ध्यान में रखते हुए क्या चूड़ी का उद्योग बिक्री कर से मुक्त किया जायगा ? मुझे अभी एक सप्ताह पूर्व एक पत्र मिला है जिसमें लिखा है सरकार इस संबंध में विचार कर रही है परन्तु बर्तन उद्योग को बिक्री कर से मुक्त नहीं किया जायगा। दो वर्ष से सरकार विचार कर रही है, लेकिन लोगों को कुछ पता नहीं ।

मेरे नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल फतेहपुर सीकरी की ओर से बिक्री कर कमिश्नर से मिला था कि फतेहपुर सीकरी आगरा जिला में राजस्थान के बार्डर पर स्थित है और वहां पत्थर की चक्कियों का काम होता है वह उद्योग बिक्री कर के कारण बरबाद हो रहा था। उस समय बिक्रीकर कमिश्नर ने इंटर प्रांविशियल और प्रांविशियल टैक्स मिलाकर २ रुपया सैकड़ा कर की घोषणा कर दी जिसके फलस्वरूप वह उद्योग पनप रहा है तथा

[श्री जगन्नाथ लहरी]

सरकार को भी टैक्स का पूरा-पूरा रुपया प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से और आप देखें कि फरोजाबाद में इंटर टैक्स और प्रांविंशियल टैक्स की जो चोरी होती है, अगर आप चाहते हैं कि आपको टैक्स के रूप में पूरा धन मिले तो आप यहां भी फतेहपुर सीकरी की तरह से एक फीसदी या दो फीसदी का टैक्स लगा दें। अगर आप चाहते हैं कि इस टैक्स का पूरा रुपया सरकारी कोष में आवे तो आपको इसके लिये अपनी रीतियों और नीतियों को बदलना पड़ेगा। जब तक आप अपनी रीति और नीति को नहीं बदलेंगे तब तक उस टैक्स का पूरा-पूरा रुपया सरकार के पास नहीं आयेगा और जनता को भी राहत नहीं मिलेगी।

(लाल बत्ती के जलने पर)

मुझे श्रीमन्, ५ मिनट का समय और दे दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—१० मिनट का समय नियत हो चुका है।

श्री जगन्नाथ लहरी—नियत तो हो चुका है पर आपको अधिकार है कुछ समय और देने का। आप चाहें तो कुछ समय दे दें।

मैं कर्ज के बारे में कहना चाहता हूं। काफी चर्चा कर्जे के बारे में हुई है। आज मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने कर्जा लेने व देने का एक व्यापार चालू कर दिया है। सरकार कर्जा देने के लिये कर्जा लेती है। वह तीन और साढ़े तीन फीसदी पर कर्जा लेती है और पांच या छः प्रतिशत पर कर्जा देती है। मुस्लिम तथा अन्य धर्मों की किताबों को अगर पढ़ा जाय तो उसमें सूदखोर के लिये काफी निन्दा की गयी है। इसके अलावा श्रीमन्, वह कर्जा मिलता किसे है, यह भी देखने की बात है। आज जिनको जरूरत है, जो बेचारे गरीब हैं, उनको कर्जा नहीं मिलता है। कर्जा मिलता है सेठ साहूकारों को, या जो पैसे वाले हैं जिनको कर्ज की जरूरत है वे इससे वंचित रह जाते हैं। आज सहकारिता का जब बोलबाला है, आप सहकारिता को प्रदेश में बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरी यह मांग है कि आप व्यक्तिगत कर्जा देना बन्द कर दें और सहकारिता समिति को ही कर्जा देकर सहकारिता के कार्य को बढ़ावें। हर प्रकार का कर्जा सहकारी समितियों को ही दिया जाना चाहिये मुझे आशा है सरकार इसको मानने की कृपा करेगी।

अब बुढ़ापे की पेन्शन का जहां तक प्रश्न है, उसकी भी बड़ी चर्चा हुई है। श्रीमन्, कुछ वर्ष पूर्व एक परिवार के एक-दो आदमी पैदा करते थे और उसी कमाई से सारे परिवार का खर्च चलता था। किन्तु आज परिस्थिति बदल गयी है। आज परिवार के सब लोग मेहनत करते हैं किन्तु फिर भी अपने पूरे परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। आज जनता को अपना पेट भरने में मुश्किल हो रही है तथा संयुक्त परिवार की प्रणाली छिन्न-भिन्न हो रही है। हर कमाऊ पूत बाप से अलग हो जाता है। जब यह हालत है तो बुढ़ापे के सहारे को कौन देखे। बुढ़ापे से पूर्व ही जब परिवार के जवान बच्चे बाप से अलग हो जाते हैं तो फिर बुढ़ापे में कोई उसको सहारा नहीं देता।

रूल्स में आपने यह रखा है कि अगर कोई भी उसका लड़का, भाई या भतीजा [जो २० वर्ष से अधिक आयु का है, उसके परिवार में है तो उसको पेन्शन नहीं मिलेगी। ७० वर्ष की आयु में वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ होगा और उसके अगर कोई भाई या भतीजा हुआ तो उसको पेन्शन नहीं दी जायगी मैं पूछता हूं कि फिर इस पेन्शन दिये जाने के निर्णय को क्यों कार्यान्वित किया जा रहा है? इससे क्या फायदा होगा? आज लोगों को लालायित करने के लिये सरकार एक नारा बुलन्द किया करती है कि बुढापे की पेंशन दे रहे हैं। दूसरे देशों में डिंडोरा पीटने के लिये यू० पी० की सरकार यह नारा बुलन्द करती है। अगर सरकार वास्तव में यह बुढ़ौती की पेंशन देना चाहती

है तो उसे यह नियम बनाना चाहिये कि ७० वर्ष से अधिक का कोई भी बूढ़ा अगर याचना करे तो उसको अवश्य पेंशन दी जायगी। इस १५ रुपये की पेंशन के लिये कोई भी व्यक्ति विवाश होकर ही आता है। इसलिये सरकार को उसकी विवशता का मजाक नहीं उड़ान चाहिये। अधिष्ठाता महोदय, आप देवरिया जिले और उधर की पूर्वी जनता के सर्वमान्य नेता हैं। आपके द्वारा मैं उधर की जनता की कठिनाइयों को सरकार के कानों में डालना चाहता हूं। आज सरकार अपने समाजवाद के नारे को भूलती चली जा रही है तथा प्रदेश में गरीबी बढ़रही है। इसलिये सरकार को ऐसी नीतियों की घोषणा करनी चाहिये कि जिनसे जनता की वास्तव में भलाई हो सके। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)––अधिष्ठाता महोदय, अनुदान संख्या ८, ४०, ५३, और ५५ में जो कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं, उनका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। सर्व प्रथम मैं बिक्री कर के बारे में दो-एक बातें कहूंगा। एक तो यह कि जिस समय यह बिक्री कर इस प्रदेश में आया और जिसको कि आज बहुत वर्ष हो गये हैं और उसके बाद जब-जब कभी संशोधन आते गये, तो वे ठीक उसी प्रकार आये जिस प्रकार किसी दर्द भरे फोड़े में एक नश्तर लगाया जाता हो। तो जब कभी यह ग्रान्ट अनुदान के रूप में सामने आती है, चाहे उस में किसी को कुछ देना लेना हो या न हो, मगर उसका नाम सुनते ही सारे प्रदेश के व्यापारी एक बार तिलमिला उठते हैं और बिलख उठते हैं। मैं अभी कल जब बाजार में घूमा और दूकानदारों के पास से गुजरा तो लोगों ने पूछा. .....

श्री अधिष्ठाता––कहां? लखीमपुर में या लखनऊ में?

श्री शिवप्रसाद नागर––लखनऊ में। तो लोग सहसा मुझसे पूछ बैठे कि क्या आप विधायक हैं। मैंने कहा, जी हां। तो उन्होंने पूछा कि क्या सेल्स-टैक्स भी आ रहा है? मने कहा, क्यों? कहने लगे बड़ा बुरा टैक्स है। तो मैं यह देख रहा हूं कि इस टैक्स के नाम से दूकानदारों में कितनीबुरी भावना पैदा हो जाती है इसको केवल वही बता सकते हैं जो वास्तव में दूकानदारी करते हैं। दूकानदारी तो वैसे उधर के बैठे हुए कुछ लोग भी करते हैं, लेकिन वे इस प्रकार की दूकानदारी करते हैं कि जिस पर टैक्स नहीं देना पड़ता, यद्यपि उसमें लेना देना करोड़ों रुपये का होता है।

अधिष्ठाता महोदय, इस बिक्री कर के बारे में इस प्रदेश की जनता की तरफ से और इस सदन के विधायकों की तरफ से जब से यह कर लागू हुआ है तब से लेकर आज तक हजारों बार इस बात की दरख्वास्त की गयी कि इसे मल्टी प्वाइंट टैक्स न रखकर, सिंगिल प्वाइंट टैक्स कर दिया जाय। परन्तु बात कुछ ऐसी है कि तीन प्रकार के हठ होते हैं राज हठ, बाल हठ और त्रिया हठ। राज हठ हमारे प्रदेश में कुछ इस प्रकार से चला आ रहा है कि उसके सामने किसी की आज तक कुछ नहीं चली है। राज हठ केवल राज हठ होकर ही नहीं रहा बल्कि इस प्रदेश की साढ़े ६ करोड़ जनता के हठ के सामने भी यह राज हठ, नहीं हटा।

एक बात और है। अधिष्ठाता महोदय, सारे संसार में सरकारें टैक्स लगाती ही हैं मगर ऐसा कोई टैक्स नहीं लगा जो मुंह और पेट दोनों पर हो। सारे हिन्दुस्तान में बल्कि सारे संसार में अगर कोई सब से दुखदायी टैक्स है तो वह सेल्स टैक्स है। जजिया कर के बारे में हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं तो एक बार खून में गर्मी आ जाती है। मगर बिक्री कर की बात से केवल खून में ही नहीं, इस जमीन के नीचे २५ फीट की गहराई पर जलमें और हमसे ऊपर ७ परत के ऊपर की हवा में भी गर्मी पैदा हो जाती है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवप्रसाद नागर]

अधिष्ठाता महोदय, एक बार आपने ही कहा था कि रावण के जमाने में एक कर लगा था, ऋषियों के रान से खून वसूल किया गया था चूंकि ऋषियों के पास कुछ था नहीं। मैं आप के पीछे बैठा था। आपने ही कहा था कि लाटूश रोड पर चारबाग को जाते हुए पुल पर कुछ भिखमंगे दोनों ओर बैठते हैं जो सुबह से शाम तक एक-एक पैसा मांग कर शाम को जब खाने को रोटी खरीदने चलते हैं तो उन्हें भी यह बिक्री कर देना पड़ता है, जिनके उंगलियां नहीं हैं और शरीर अपंगु है। रावण ने टैक्स वसूल किया था रानों में नश्तर लगवा कर। तो यह सरकार भी उन लोगों के खाने पर टैक्स लेती है जिनसे मवाद टपकता हो। उस टैक्स में से कुछ हमको और आपको भी मिलता है सरकार को उन पर तो रहम करना चाहिये। इस बिक्री कर ने नहीं मालूम कितने गरीबों के घर और दूकानें उजाड़ दी हैं। यह टैक्स हमारे प्रदेश में ऐसा लगा है जैसा कि कभी दैत्य और दानव लगाते थे। वैसे ही प्रदेश की जनता इस कर से भयभीत है।

इसमें स्थानीय निकायों को ऋण देने की बात है और सरकार का ध्यान केवल नगरपालिकाओं और नगर महापालिकाओं की ओर ही जाता है। बात यह है कि सरकार इस कदर लग्जूरियस हो गई है कि वह नगरपालिकाओं और नगरमहापालिकाओं के बिजली के बल्बों और पंखों से आगे नहीं जाना चाहती है। मैं सरकार को मोमबत्ती दिखाना चाहता हूं और उसकी रोशनी में उसे ले जाना चाहता हूं। सरकार नोटीफाइड एरिया और टाउन एरियाओं को क्या इसलिये कुछ नहीं देती है कि वहां के लोग अंधेरे में ही रहें, गन्दी बस्तियों में रहें और बीमारियों से मरते रहें? कभी भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने हजार रुपये भी अनुदान उनको यह कह कर नहीं दिया कि तुम नाली बनवा लो।

टाउन और नोटीफाइड एरिया वालों की ५,७ हजार की जनसंख्या इतनी समर्थ नहीं होती कि वह कोई बड़ा काम करवा सके। मैंने पिछली बार भी कहा था और फिर निवेदन करता हूं कि हमारे लखीमपुर जिले में ३ म्यूनिसिपैलिटी और ८ टाउन एरियज हैं। टाउन एरिया वाले हमसे तकाजा करते हैं कि नागर जी हमने भी तुमको उत्तर प्रदेश का विधायक बनाकर भेजा है, हमारा भी कुछ हक है। हम छाती पर हाथ रख कर स्वीकार करते हैं कि हम मजबूर हैं चूंकि हमारी सरकार में दया का भाव नहीं है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह छोटी बस्तियों का भी उद्धार करे।

गृह-उप-मन्त्री (श्री रामस्वरूप यादव)—१६,००० रुपया ८ टाउन एरियाओं को देते हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर—एक मसल है, लुच्चो को क्या मिला? लप्सी! तो यह २,००० फी टाउन एरिया कुछ नहीं है।

छोटे-छोटे उद्योगों को ऋण देने की बात कह कर बड़ी उदारता दिखाई गई है। जब उनको ऋण दिया जाता है तो उनसे पूछा जाता है कि क्यों जी तुम अपनी कमर से कितना लगाओगे। १०,००० रुपये के उद्योग में, वह कहते हैं, ५,००० रुपया तुम लगाओ। 'न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेंगी।' मगर बड़े उद्योग वालों को कर्ज देते समय कभी यह नहीं पूछा जाता कि तुम कितना रुपया लगाओगे। मैं आपके सामने बड़े उद्योग वालों के कुछ आंकड़े रखता हूं जो रुपया सरकार ने उनको दिया—

८ लाख रुपया गोंडा शुगर फैक्टरी को,

१० लाख रुपया गोरखपुर शुगर फैक्टरी को,

२० लाख रुपया नैनीताल इंडस्ट्रियल कारपोरेशन को,

२५ लाख रुपया नैनी स्वदेशी काटन मिल को,

५० लाख रुपया लक्ष्मी रतन काटन मिल को, ९० लाख रुपया जुग्गीलाल कमलापति को, १४५ लाख रुपया दिया गया सोडा ऐश फैक्ट्री को। इनसे किसी से सरकार ने नहीं पूछा कि तुमने कितना खर्च किया और कितना नहीं किया और खर्च किया भी या नहीं।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको बताऊं कि ये लोग खर्च नहीं करते हैं बल्कि सूद दर सूद पर रुपया देते हैं। इनको बड़ा भारी डर है कि जमींदारों की जमींदारी तो चली गयी और कहीं ऐसा न हो कि हमारी सरमायेदारी भी चली जाय और जैसे जमींदारी बाण्ड मिले जो बाद में कितनी कम कीमत पर बिके, कहीं ऐसे ही हमारी भी हालत न हो जाय। यह उनको डर है। इसलिये उन्होंने विदेशों में रुपया लगा रखा है। मिसाल के तौर पर बताऊं कि पालम हवाई अड्डे पर शान्ती प्रसाद जैन पकड़े गये। उनके पास निकला एक बटुआ। उस बटुए में ५० लाख रुपये के कागज मिले जिससे यह भंडा फूटा कि बड़े-बड़े पूंजीपति विदेशों के बैंकों में अपना रुपया जमा करते हैं इसलिये कि कहीं ऐसा न हो कि प्रजा समाजवादी सरकार बन जाय और इन सरमायेदारों के तख्ते को उलट दे और उनके कारखानों को नेशनलाइज कर दे।

एक बात और कर्जे की वसूली के बारे में बताना चाहता हूं। मैं यह देख रहा हूं कि जिन छोटे लोगों या किसानों के ऊपर कर्जा है वह बेवक्त वसूल हो रहा है। न वे दे पाते हैं और न उनके पास है। मोहलत मांगते हैं तो वह दी नहीं जाती। लेकिन बड़े-बड़े लोगों के ऊपर भी बकाया है, लेकिन वह आज तक वसूल नहीं हो पाया है। या तो वे उनसे डरते हैं या चाय के प्याले में उनको घोल लेते हैं।

श्री तिरमल सिंह (जिला एटा)—अधिष्ठाता महोदय, आज आपने जो वक्त दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं यह जो अनुदान वित्त मंत्री जी ने पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। ऋण और ऋणों के बारे में जो विकास के लिये दिये जाते हैं, उनके बारे में मैं सुझाव देना चाहता हूं।

जो ऋण हाउसिंग स्कीम के तहत में दिये जाते हैं और जो ऋण किसानों को दिये जाते हैं या प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये दिये जाते हैं उन दोनों में सरकार की दुहरी नीति चलती है। किसानों को जो कर्जा दिया जाता है उसमें ६ प्रतिशत तकावी कृषि के लिये, ९ प्रतिशत कोआपरेटिव से कृषि के लिये और २५ प्रतिशत पर बीज कृषि की उन्नति के लिये दिया जाता है, लेकिन इसके विरुद्ध उद्योग के लिये ३ प्रतिशत और ४ प्रतिशत पर कर्जा दिया जाता है। अब दोनों में देखना यह है कि दोनों की प्रति व्यक्ति आमदनी क्या है?

सरकारी आंकड़ों के अनुसार एग्रीकल्चर प्रोडक्शन गांव वालों की आमदनी १९३ और १८३ है। वह भिन्न-भिन्न है, लेकिन इसमें मैं जाना नहीं चाहता और जिनकी आमदनी उद्योग (शहर वालों) की ७०० और ६७३ है उनको कर्जा दिया जाता है ३, ४ और ५ प्रतिशत पर। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह इस विषमता को मिटाने के लिये इस बजट में कोई व्यवस्था करे। नियमों में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिये कम सूद पर कर्जा दिया जाय।

किसी देश को ऊंचा उठाने लिये दोनों ही प्रकार की कृषि उत्पादन और इन्डस्ट्रीज को बढ़ाने की आवश्यकता है। जब तक खेतों में कच्चा माल पैदा नहीं होगा तब तक फैक्टरियां

[श्री तिरमलसिंह]

स्थापित नहीं हो सकती । इसलिये एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिये मैं सरकार से विनम्र प्रार्थना करता हूं । तो सवाल यह है कि जो ब्याज लिया जाता है उससे १९३ नीचे जाता है और ७०० ऊपर जाता है ।

वैसे देश में दो तरह के लोग हैं जिनका सरकार से विशेष संबंध है । जैसे एक लड़का है जो किसान का है और एक है जो शक्ल बदलने वाला है । तो जहां तक शक्ल बदलने वाले का ताल्लुक है उसके ऊपर सरकार का करीब ४ करोड़ और ३ करोड़ कृषक का बाकी है और जो पैदा करने वाले हैं उन पर मुश्किल से दो-तीन लाख यू० पी० में बकाया होगा । इन दोनों के लिये सरकार के कानून में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये । जहां गरीबी है वहां काश्तकार श्रम करके उठेगा, इसमें कोई शक नहीं है । आवश्यकता इस बात की है कि जहां सरकार का कानून किसी को दबाता है वहां उसे कानून को बदलना चाहिये और समता का व्यवहार करना चाहिये । पूज्य महात्मा गांधी ने भी समता के व्यवहार के लिये ही कहा है, इसलिये जहां भी आर्थिक मांग आदि की बात हो, कानून सब के लिये एक होना चाहिये । सरकार से मेरी प्रार्थना है कि इस बात को बदलने के लिये वह पूरा प्रयास करे । अगर ऐसा नहीं किया गया तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जिसे देश की सरकार बढ़ाना चाहती है, नहीं बढ़ पावेगा ।

जहां तक उद्योगों के लिये कर्ज का सवाल है वह भी गांव और शहर में दो तरह से दिया जाता है । कहा यह जाता है कि आबादी जो बढ़ती चली जा रही है उस आबादी को उद्योगों में लगाया जायेगा । सही है, लेकिन जो रूरल एरियाज में उद्योग के लिये ऋण देने की बात है उसके लिये भी दोहरे नियम हैं। जहां रूरल एरियाज में उद्योग लगाने का सवाल आता है, वहां पावर देने के नियम भी दोहरे हैं। गावों में २६ रुपये माहवार लाइन गारंटी है शहर में नहीं । गांवों में ६६० रुपये की मिनिमम गारंटी है, लेकिन शहरों में नहीं है । गांवों में १,००० रुपये की सिक्योरिटी है, शहरों में नहीं है । इसके तहत में जो बिजली दी जाती है उससे १ हजार का ग्राम उद्योग पर तो प्रेशर वैसे ही गांवों में ज्यादा पड़ जाता है । सरकार की जो यह नीति है वह गांवों में छोटे-छोटे उद्योग धंधे चलाने के प्रयत्न को दबाती है । ऐसी दशा में पैदा करने के बाद और यातायात का खर्चा देने के बाद नजदीकी शहर में ही सरकार नियमों के कारण गांव वाले बराबरी नहीं कर सकते । इसलिये सरकार से मेरी प्रार्थना है कि वह अपनी इस नीति को बदले ।

जहां पावर देने का सवाल है वहां के लिये उसकी नीति एक होनी चाहिये । इतना ही नहीं कि पावर देने के संबंध में ही सरकार के दोहरे नियम हों बल्कि कर्जा देने में भी सरकार के दोहरे नियम हैं। मालूम नहीं होता कि गांव वालों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों होता है कि इस तरह का प्रोसीजर और नियम बनाया जाता है कि शहर और गांव में सरकार के प्रयत्न से आर्थिक व्यवस्था में इतना बड़ा अन्तर पैदा करना सरकार के लिये खेद का विषय है ।

कहा तो यह जाता है कि हम उन आदमियों को उठाने का प्रयास कर रहे हैं जो कि गरीब हैं, लेकिन गरीबों को उठाने के लिये जो प्रयास है और जो नियम हैं वे उसको दबाते हैं । सरकार को चाहिये कि वह इस बात पर सोचे और विचार करे कि यह जो आज की पालिसी के तहत में दो तरह की अर्थ व्यवस्था चल रही है उसको बदले । हम सभी मानते हैं कि गांव की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिये, लेकिन वह नहीं हो पाता है । जहां तक अग्र ऋण का ताल्लुक है शहरों में हाउसिंग स्कीम के तहत में लोगों को मकान बनाने के लिये ८,००० रुपये ३ प्रतिशत पर कर्जा दिया जाता है । उनको कर्जा दिया जाना चाहिये, अच्छा है, लेकिन देखना यह है कि ८,००० रुपये की जो बिल्डिंग बनी उसका ३० रुपया महीना किराया मिल

सकता है और साल में ३६० रुपये हुआ और सरकार इस कर्ज को ३० वर्ष में वसूल करती है। तो ३०० रुपये साल किस्त देने के बाद भी ६० रुपये मकान वाले की जेब में जाता है। इसलिये इस तरह की व्यवस्था जो है उसे सरकार को बदलनी चाहिये ।

इस तरह से लम्बे अर्से का कर्जा किसान को भी देना चाहिए जैसा कि शहर वालों को दिया जाता है इस लिहाज से कि देश की पैदावार बढ़ाने के विषय में विशेषज्ञों का कहना है कि हमारे देश की जमीन में नेत्र जन और यूरिया की कमी है और इसी कारण से हमारी पैदावार अधिक नहीं बढ़ती । हमारा सरकार से अनुरोध है कि वह किसानों को इस काम के लिये कम ब्याज पर कर्जा दे ताकि वह मवेशियों के लिये पक्के घर बना सकें और उनमें पक्की नालियां बनाकर पेशाब वगैरह एकत्र करने के लिये एक कुंड बना सकें––ताकि उसका इस्तेमाल खेतों में यूरिया बढ़ाने के लिये किया जा सके और वह बरबाद न जाय । इस तरह से पैदावार बढ़ सकती है ।

मकानदारों को भी कर्जा दिया जाता है, मुझे भी मालूम हो गया क्योंकि मैं गांव से चलकर शहर में आ गया हूं । हाउसिंग स्कीम से यह भी देखा जाय कि क्या लाभ लोगों को होता है, कुछ उन्हें घर का भी लगाना पड़ता होगा । उसको ८ हजार मिलता है और ३० रुपया किराये पर अगर मकान उठ जाता है तो साल में ३६० रुपया होता है और ३०० रुपया साल की सरकारी किस्त हुई तो भी वह ६० रुपया बचाता है ।

इस तरह से जहां औसत आय ६७३ रुपया है वहां तो उसको लाभ होता है, लेकिन जो कृषि में गांव में काम करने वाले हैं और जिनकी आय १९३ वार्षिक है उससे अधिक ब्याज लिया जाता है। इसका मतलब यह है कि गांव वालों को सरकारी नीति दबाती है और शहर वालों को उभारती है । अब क्योंकि लाल बत्ती हो गई इसलिये मैं कुछ नहीं कहूंगा और सरकार से प्रार्थना करूंगा कि ब्याज के विषय में ऋण के नियमों में वह शीघ्रातिशीघ्र परिवर्तन करें और किसानों को कम सूद पर रुपया देने की व्यवस्था की जाय जो कुंओं के लिये, बैलों आदि के लिये रुपया दिया जाता है उस के नियम बदले जायं और सूद की दर कम की जाय, किसानों को भी मकानों के लिये शहरों की भांति लम्बे अरसे और कम सूद पर रुपया दिया जाय । अगर यह असमानता और अधिक सूद की दर रही तो किसान अपनी पैदावार बढ़ाने में असमर्थ होंगे । इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

*श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)––अधिष्ठाता महोदय, यह जो मौजूदा बजट की व्यवस्था है और सरकार की नीति है इससे पैसे का दुरुपयोग होता है और इससे देश में बेकारी फैलती है और किसानों, नौजवानों, आदि सभी के लिये हानिकारक है । अंग्रेजों के जमाने के पुराने कानून जिस तरह से अंग्रेज बनाते थे उसी तरह से आज भी उन्हीं की सन्तानें क्लाइव और डयूप्ले की तरह आगे बढ़ रही हैं । पहले सरकारी कर्मचारियों को ५५ साल की आयु पर पेन्शन दी जाती थी, लेकिन अब वह अवधि ५८ साल कर दी गई है । इसका कारण यह है कि जब ३ साल में वह अधिक से अधिक वेतन पर पहुंच जायंगे तब उनको पेन्शन भी ज्यादा मिल जायगी । इस तरह से सरकारी पैसे का भी अधिक खर्च बढ़ गया और दूसरे नौजवानों को भी देश की सेवा करने का मौका नहीं रहेगा । हमारी मांग है कि यह अवधि ५८ साल के बजाय ५० साल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जंगबहादुर वर्मा]

कर दी जाय ताकि देश के नौजवानों को अधिक काम मिले और पैसे की भी बचत हो। सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया जबकि स्वयं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ५५ साल की ही सिफारिश की गई थी, लेकिन फिर भी सत्तारूढ़ दल ने वही रखा, हमारे श्री राजनारायण जी ने जेल से भी लिखा, लेकिन कुछ नहीं सुना गया।

हमारे यहां की औसत आयु भी ३० साल है, खाने-पीने और गिजा का भी प्रबन्ध अच्छा नहीं है, एक आदमी पर दूध १ तोला से अधिक नहीं पड़ता जब कि इंगलैंड में फी आदमी पर आधा सेर दूध पड़ता है, इस तरह से जब शारीरिक शक्ति घटेगी तो मानसिक शक्ति भी घटेगी और सरकारी काम-काज में भी इस तरह से आखीर में हानि ही होगी। नतीजा यह होगा कि विभागों का काम भी सुचारु रूप से नहीं चलेगा, उसमें लापरवाही होगी, दूसरे श्रमिक वर्ग का काम भी ठीक से पूरा नहीं होगा परन्तु सरकार ने नौकरशाही को खुश करने के लिये और रिश्तेदारी के चक्कर में ५८ वर्ष की सीमा कर दी। इसलिये मेरा सुझाव है कि यदि धन का सदुपयोग करना है, श्रमिकों के काम में उत्थान करना है और नौजवानों को काम में लगाना है तो यह सीमा ५८ वर्ष से घटाकर ५० साल कर दी जाय।

(इस समय २ बजकर ७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, पीठासीन हुए।)

दूसरी बात है कि जो राजनीतिक पेंशनें दी गई हैं उनमें भी बहुत पक्षपात किया गया है। हमारे देश के विद्यार्थियों ने स्वतंत्रता संग्राम में यह पूरा-पूरा हिस्सा लिया और उनका पढ़ाई का समय भी नष्ट हुआ। वे पढ़ न सके इसलिये कोई काम भी न पा सके। लेकिन सरकार ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। मैं अपने जिले की बात बतलाऊं। जिन आदमियों के नाम के आगे "वर्मा" लिखा हुआ है उन्हें यहां के सेक्रेटेरिएट...

श्री अधिष्ठाता---वर्मा जी, आपको तो शिकायत नहीं होनी चाहिए।

श्री जंगबहादुर वर्मा---सेक्रेटेरिएट के एक महोदय जो अधिकारी थे उन्होंने "वर्मा" नाम के जितने लोग थे उनको तो पेंशन दी, लेकिन जिनके नाम के साथ "वर्मा" नहीं था उनको पेंशन नहीं दी गई। उन्होंने अपना धन और जीवन नष्ट किया था। मैं नाम भी बता सकता हूं। एक मुरलीगंज के हैं, एक रसूलपुर के हैं। लड़कियों के ब्याह के लिये भी नहीं दिया गया। लोगों की जमीन तक छीन ली गई। जबकि सरकार ने यह कानून बनाया है कि ....

एक सदस्य---ये सब बातें तो असंगत कह रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता---जी नहीं, असंगत नहीं हैं।

श्री जंगबहादुर वर्मा---कानून में लिखा है कि जो दो बार जेल गये हैं उन्हें पेंशन दी जायेगी। लेकिन जो लोग एक बार में ही तबाह हो गये हैं, सरकार उनको पेंशन नहीं दे रही है। हमारी मांग है कि जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना जीवन और धन नष्ट किया हो चाहे वह एक बार सजा पाये हों या दो बार, उनको पेंशन देनी चाहिए।

बुढ़ापे की पेंशन के बारे में सरकार ने रखा है कि ७० वर्ष से जिनकी ज्यादा उम्र हो उनको दी जायेगी। ७० से ६५ कर दिया है। लेकिन सोशलिस्ट पार्टी का पहले भी कहना था और अब भी है कि हमारे देश में औसत आयु ३० वर्ष से आधिक नहीं है। खाने-पीने का, ठीक प्रबंध नहीं है तो कैसे ७० वर्ष जीवित रहेगा? जब खाने-पीने का, पहिनने के कपड़े का, मकान का और दवा-दारू का प्रबंध होगा तभी तो उनकी उम्र बढ़ेगी। आज हमारे देश में ५० वर्ष से अधिक लोग जी नहीं पाते हैं। अगर कुछ रहें भी तो वह काम करने के काबिल नहीं रहते....

श्री गयाप्रसाद (जिला प्रतापगढ़)––व्यवस्था का प्रश्न । हाउस में क्या अखबार पढ़ने की इजाजत है ?

श्री अधिष्ठाता––बिलकुल नहीं । जो माननीय सदस्य अखबार पढ़ रहे हों, वे कृपया अखबार न पढ़ें ।

श्री जंगबहादुर वर्मा––हमारी मांग है कि ५० वर्ष तक की उम्र वाले को पेंशन दी जाय । पेंशन १५ रुपये दी जाती है । उसमें तो खाने-पीने का साधन भी नहीं हो सकता । ३० रुपये से कम पेंशन नहीं होनी चाहिए । बुढ़ापे की पेंशन में सरकार ने एक बड़ा भारी कानून बनाया है कि जिसके कोई उद्योग-धंधा थोड़ा-सा भी हो, या रिश्तेदार हों तो पेंशन नहीं मिलेगी । आप जानते हैं कि आजकल ऐसा जमाना है कि जिसके पास धन नहीं तो उसको उसके लड़के तक नहीं पूछते, रिश्तेदार तो दूर रहे । लेकिन जिसके पास धन है, कोई कारोबार है तो नातेदार या रिश्तेदार उसको पूछेंगे ? तो मैं कहना चाहता हूं उन व्यक्तियों को ईमानदारी से पेंशन दी जाय ।

आज होता क्या है कि सरकारी अधिकारी जब जांच करने जाते हैं तो रिश्वत मांगते हैं । जिसने दे दी उसका काम ठीक हो गया और जिसने नहीं दी उसका काम बिगड़ गया चाहे वह पेंशन पाने का कायदे से भले ही मुस्तहक क्यों न हो । ६ करोड़ की आबादी में ३२ लाख रुपया पेंशन के लिये रखा गया जिसमें से १३ लाख ही खर्च हो पाया है । तो क्या सरकार के पास कोई ऐसी रिपोर्ट है जिससे पता लग सके कि प्रदेश में कितने ऐसे आदमी हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और वे बुढ़ापे की पेंशन पाने के काबिल हैं ? कोई रिपोर्ट नहीं है । रिश्वत लेकर सरकारी कर्मचारी अपने रिश्तेदारों को पेंशन देते हैं । बाराबंकी में ३० आदमियों को पेंशन मिली, लेकिन अगर जांच की जाय तो पता लगेगा कि कैसे आदमी वे हैं ।

श्री अधिष्ठाता––आप पेंशन में ही फंसे रहेंगे आगे नहीं आयेंगे ।

श्री जंगबहादुर वर्मा––बिक्री-कर अगर खाने-पीने की चीजों पर रहेगा तो आप हर आदमी के पेट में छुरा मारेंगे । सोशलिस्ट पार्टी कहती है कि ऐशो-आराम की चीजों पर बिक्री-कर लगाइये और खाने की चीजों पर नहीं ।

कर्जे के सम्बन्ध में बताऊं । बाराबंकी में उद्योग-धंधे चलाने के लिये कर्जा दिया गया, लेकिन वह रुपया ठीक से इस्तेमाल न होकर मकानों में लग गया । अंतरिम जिला परिषद् में इस सम्बन्ध में सवाल भी उठाया । लोहे के कारखाने नाममात्र के लिए खोले गये, २, ४ बक्से रखे हुए हैं, सप्लाई अफसर ऐसा करते हैं कि अव्वल तो टिन नहीं देते, कुछ की मियाद खत्म हो जाती है और फिर वह माल उन उद्योग-धंधों वालों को दे देते हैं जो नाम-मात्र को दुकान खोले हुए हैं, सारा माल कानपुर में बिकता है । मसौली में टिन पकड़ी गई । सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य या इससे संबंधित कार्यकर्ता ८, १० हजार रुपया परमिट वगैरह दिलाने के लिये ले रहे हैं । . . . .

श्री अधिष्ठाता––आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)––अधिष्ठाता महोदय, जिस अनुदान पर मैंने कटौती का प्रस्ताव दिया है उस सिलसिले में एक शब्द कह कर मैं दूसरे अनुदान पर बोलना चाहूंगा ।

[श्री ताराचन्द माहेश्वरी]

जहां तक बिक्री-कर विभाग के लिये पंखों की खरीद का प्रश्न है वह उचित ही है । लेकिन मेरा सुझाव है कि जिन कारणों से आप स्थायी तौर पर पंखे खरीदना चाहते हैं और आपने यह भी स्वीकार किया है कि अधिकतर सरकारी कर्मचारी इस कार्यालय में स्थायी हैं तो इसी कारण से बिक्री-कर विभाग की स्थायी इमारत का भी निर्माण क्यों नहीं कराते ? किराये के भवनों में कार्यालय हैं तो उनका किराया भी ज्यादा हो जायगा । अतः आप भवनों का निर्माण कराना भी शुरू कर दें इससे विभाग की बचत ही होगी ।

अब मैं पेंशनों के विषय में कुछ कहना चाहता हूं । मुझे भी इस बात की शिकायत है कि पेंशन कार्यालय पूरे तौर पर निष्पक्षता का बर्ताव नहीं करता । उदाहरण के तौर पर मैं श्री राजबिहारीसिंह जी जो इस समय पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हैं उनका एक पत्र १२-११-५७ का पढ़ देना चाहता हूं ।

"प्रिय माहेश्वरी जी, आपका पत्र मिला । श्री गुरुचरणसिंह यादव का प्रार्थना-पत्र उचित कार्यार्थ भेज दिया गया है ।" इसके लिये मैं बराबर प्रयत्न करता रहा और बहुत बड़ी फाइल बन गयी, लेकिन यह नहीं समझ पाया कि उनको पेंशन मिल पायेगी या नहीं। दमे के वे मरीज हैं और मुझे ऐसा खयाल हुआ कि दमे से दम निकल जायगा तब उनको पेंशन मिलेगी । इस व्यक्ति ने आजादी के लिये मेहनत की । दमे से पीड़ित होने से अपनी सरकार से उसने उम्मीद की कि पेंशन न मिले कम से कम जवाब तो मिले, लेकिन वह भी नहीं मिला । इस सम्बन्ध में मुझे केवल इतनी ही प्रार्थना करनी थी जो मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दी ।

एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि कुछ ऋण बड़े-बड़े पूंजीपतियों को दिया गया है । मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता मगर उनके इन अल्फाज पर मुझे आश्चर्य हुआ कि सरकार बदल जायगी तो इन चिमनियों में से धुआं निकलना बन्द हो जायगा । अगर प्रदेश की मिलों की चिमनियों से धुंआ निकलना बन्द हो जायगा तो मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश की तरक्की किस तरह से होगी। यह दूसरी बात है कि उनसे ब्याज कितना लिया जाय या उनको सहूलियत कितनी दी जाय । जैसा भाई तिरमलसिंह ने कहा है ब्याज की दरों में बहुत फर्क है । जैसे उत्पादन के लिये गांव म ऋण देते हैं तो उनसे अधिक ब्याज लेते हैं लेकिन बड़े-बड़े पूंजीपतियों को ऋण देते हैं तो ब्याज कम लेते हैं । तो संभव है कि इसमें विशेषज्ञों का कुछ सुझाव हो और उद्योग व कृषि उत्पादन में कुछ फर्क हो ।

श्री अधिष्ठाता—उनकी रकम बहुत ज्यादा होती है । १ लाख के ऊपर है तो फिर यह जरूरी है कि उस पर ब्याज कम लिया जाय ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—संभव है यही हो, लेकिन याज इतना ज्यादा लिया जाता है कि उसे कम किया जा सकता है । उनके उत्पादन को देखा जाय। कितनी मेहनत वे करते हैं तब कहीं कुछ पैदा कर पाते हैं तो उनके ऋण के ब्याज की दर को आपको घटाना चाहिये।

एक माननीय सदस्य बुढ़ौती की पेंशन पर बोल रहे थे । मैं उनसे निवेदन कर दूं कि यदि उनका यह खयाल है कि आज जितने बुढ़ौती की पेंशन पाने के हक़दार हैं इस प्रदेश में जितना धन है वह उन सभी को दे दिया जाये तो भी कार्य पूरा नहीं पड़ेगा तो मेरी और उनकी समझ में कुछ फर्क है प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा उत्तरदायित्व लिया है और एक नयी योजना प्रदेश के सामने प्रस्तुत की । इससे उन लोगों को ढांढस बंधा है जिनका इस वृद्धा-वस्था में कोई सहारा नहीं रह जाता है। पहले हम आंकड़े इकट्ठे करें । दो चार वर्ष आंकड़े इकट्ठा करने में लगायेंगे और क्या गारंटी है कि वे सारे आंकड़े सही इकट्ठा हो जायंगे ?

इन आंकड़ों को इकठ्ठा करने के बजाय प्रदेश की सरकार उस व्यवस्था को चालू कर दे तो आंकड़े खुद ब खुद अपने आप इकठ्ठा हो जायंगे ।

५–७ साल में जिन लोगों को पेंशन की आवश्यकता होगी वे धीरे-धीरे प्रार्थना-पत्र देंगे और उनको उसके लिये सहायता मिलती जायगी तो मेरा खयाल है कि यह तरीका ज्यादा अच्छा है कि हम पेंशन दें बजाय इसके कि हम आंकड़ों के लिये रुके रहें । इस तरह से जरूरत मंदों को पेंशन मिलती जायगी तो वह ज्यादा मुनासिब चीज है। इतनी बात जरूर है कि पेंशन देने के सिलसिले में थोड़ा और न्याय बरतना चाहिये ताकि जरा सिफारिश का जोर उसमें कम हो सके । कुछ इस तरह की व्यवस्था हो तो मेरा खयाल है कि वृद्धावस्था के लोगों के दिलों में यह सरकार अपना एक अच्छा स्थान बना पायेगी । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और अनुदान का समर्थन करता हूं

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का बहुत ही आभारी हूं कि एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपने हमको बोलने का अवसर प्रदान किया। जो यह अनुदान वित्त मंत्री जी ने बिक्री-कर, पेंशनों और कर्जा देने के सम्बन्ध में मांगा है उसको देने के पक्ष में हम नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता—पेन्शन देने के भी पक्ष में आप नहीं हैं ?

श्री अमरनाथ—पेंशन देने के पक्ष में तो हूं ही, लेकिन जो कर्जे वगैरह दिये जा रहे हैं और बिक्री-कर के लिये जो मांग की गयी है उसके बारे में हमारा विरोध है। इस विरोध करने का कारण यह है कि हम हर साल इतना धन इन विभागों के ऊपर व्यय करते हैं, लेकिन हमें देखना होगा कि उसे ठीक से इस्तेमाल किया जाता है या नहीं। साथ ही साथ बिक्री-कर की वसूली के सम्बन्ध में जो नीति बरती जाती है वह भी देखने की चीज है । हम देखते हैं कि बड़े-बड़े उद्योगपतियों और बड़े दूकानदारों को बिक्री कर से बचाने में तरह-तरह की सहायता दी जाती है। जहां तक छोटे दूकानदारों का सवाल है जाहिर है कि वह बहुत ही गरीब तबका है, लेकिन उनसे बिक्री-कर वसूल करते समय सरकार तरह-तरह के हथकण्डे इस्तेमाल करती है और जब बड़े-बड़े उद्योगपतियों और बड़े दूकानदारों से वसूल करने का समय आता है तो सरकार के पास न वह कानून रह जाता है न कोई नियम रह जाता है जो छोटे लोगों से वसूली के लिये इस्तेमाल किया जाता है । मैं मांग करूंगा कि छोटे दूकानदारों को जो निहायत ही गरीब हैं और जो बिक्री-कर नहीं दे सकते हैं उनको तो कम से कम बिक्री-कर से मुक्त कर दिया जाय । साथ ही साथ जो जीवन के लिये बहुत ही जरूरी सामान है जैसे खाने-पीने की सामग्री, उसको बिक्री-कर से जरूर मुक्त कर दिया जाय।

जहां तक राजनीतिक पेन्शनों के देने का सम्बन्ध है, जिस प्रकार उसमें भेद-भाव बरता जाता है वह सब को विदित है। हम अपने गोरखपुर जिले के बारे में इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सन् १९५५ में बहुत से लोगों ने पेंशन के लिये दरख्वास्तें दी थीं, लेकिन आज तक उनकी दरख्वास्तों का पता तक नहीं चला । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर वह पेन्शन नहीं दे सकती तो क्या उनको सूचना भी नहीं दे सकती है कि आपकी पेंशन किस कारण से नहीं मन्जूर हुई ? जिन लोगों ने गोलियां खायीं, उनके घर बरबाद हुये, जेलों में गये, तमाम यातनायें सहीं, लेकिन आजतक उनको पेंशन नहीं दी गयी महज इसलिये कि वे सरकारी दल में नहीं हैं। लेकिन जो आज सरकारी दल का कार्य करते हैं या सरकार से उनका किस प्रकार का सम्बन्ध है उनको अधिक से अधिक पेंशन दी गयी और जो दूसरे दलों के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जो जेलों में सड़े उनको पेंशनें नहीं दी गईं।

[श्री अमरनाथ]

दूसरे मैं कर्जों के बारे में कहना चाहता हूं। कर्जा देने में जिस प्रकार की भेदभाव की नीति बरती जाती है आप जानते हैं कि गरीब किसानों को कर्जा लेने में कितनी कठिनाई उठानी पड़ती है उनको ठीक समय से कर्जा नहीं दिया जाता है। मैं यह इस सरकार पर चार्ज लगाता हूं कि बार-बार कहने पर भी, सुझाव देने पर भी यह सरकार ध्यान नहीं देती है। कर्ज का बहुत सा हिस्सा उन लेने वालों को पहले ही सम्बन्धित अधिकारियों को दे देना पड़ता है तब जा कर उन को कर्जा मिलता है। जब कर्जे की वसूली होती है तो उस गरीब किसान से वसूल करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाती है, लेकिन अगर किसी उद्योग पति को कर्जा दिया गया तो उससे वसूली नहीं हो सकती।

मैं एक उदाहरण के तौर पर कहूंगा। सात करोड़ से ऊपर रुपया गन्ना मिलों पर इस सरकार का तथा किसानों का बाकी है, लेकिन यह सरकार आज तक वसूल नहीं कर पायी, अगर गरीब किसान के ऊपर बाकी होता है तो उसको मुर्गा बनाया जाता है, उस पर ईंट लदवायी जाती है, साफा लगवाया जाता है और पड़ोस के गांव में घुमाया जाता है। किस प्रकार उन पर ज्यादती की जाती है यह सभी माननीय सदस्य जानते हैं। अधिष्ठाता महोदय, मैं आप के द्वारा सरकार से माँग करूंगा कि किसानों को जो कर्जे दिये जायं चाहे उद्योग धंधे खोलने के लिये या पैदावार बढ़ाने के लिए अथवा किसी भी काम के लिये तो उसकी ऐसी किस्तें रखी जायं कि उनको एक लम्बा अरसा अदा करने के लिये हो, लेकिन किस्त इस प्रकार रखी गयी है जिससे कर्जा लेने वाले समय से नहीं चुका पाते। जिसके कारण उनका बैल कुर्क होता है, उनकी जायदाद कुर्क होती है। इसलिये श्रीमन्, मैं मांग करूंगा कि कर्जा देने का जो विधान बना हुआ है उसको बदला जाय और साथ ही यह भी कहूंगा कि जो माननीय सदस्यों के सुझाव आते हैं उन पर अमल किया जाय जिससे सहूलियत के साथ किसान कर्जा पा सकें। अगर ऐसा किया गया तो हम पैदावार बढ़ा सकेंगे और बेरोजगारी दूर कर सकेंगे।

कहा जाता है कि विरोधी दल के लोग केवल आलोचना करते हैं। हम यह कहते हैं कि हम आलोचना नहीं करते हैं बल्कि हम सरकार को सही रास्ते पर लाने की बात करते हैं। हमारा विरोध केवल सरकार के गलत कामों के लिए है। हमारे इस विरोध से सरकार को मदद मिलेगी और सरकार मजबूत होगी, अगर वह सही काम करेगी। हमारी भी जिम्मेदारी इस प्रदेश को सही रास्ते पर ले चलने की है। इसलिये ये जो आलोचनाएं की जाती हैं, कमियां बतायी जाती हैं इससे मंत्री जी को यह नहीं समझ लेना चाहिए कि हम पर सीधा अटैक किया जाता है। केवल मंत्री महोदय सारे काम को कर नहीं लेते हैं। उनका बहुत बड़ा विभाग है। उनमें तरह-तरह के कर्मचारी हैं। अगर वह कर्मचारी ठीक से काम नहीं करते तो हमें मंत्री महोदय से कहना होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का विरोध करता हूं

एक सदस्य—श्रीमन् कोरम पूरा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—कोरम तो है।

श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। इस सम्बन्ध में सदन के अनेक सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं सर्व प्रथम बिक्रीकर के सम्बन्ध में मैं यह आपसे निवेदन करूंगा कि जहां तक बिक्रीकर का सम्बन्ध है उसके लिये अगर केन्द्रीकरण करके एक जगह से बिक्रीकर लिया जाय तो ज्यादा अच्छा है। अक्सर कई चीजों पर ऐसा होता है कि बिक्रीकर दोहरा और तिहरा लग कर वसूल हो जाता है और उससे हमारे प्रदेश में बनने वाली चीजें जैसे छपा हुआ जो मिल का कपड़ा है जब वह छापा जाता

है तो छपाई के ऊपर अलग टैक्स लग जाता है और वही बिक्री-कर मिलों के कपड़ों पर अलग ले लिया जाता है। इस तरह से उस कपड़े पर दोहरा टैक्स पड़ जाता है। जिस तरह से हमारे वित्त मंत्री महोदय ने बनियाइन के ऊपर या करघे के कपड़े के ऊपर से टैक्स समाप्त कर दिया है उसी तरह से मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसे कपड़े पर भी चाहे वह हैंडलूम का छपा हुआ कपड़ा हो, चाहे मिल का छपा हुआ कपड़ा हो सभी प्रकार के छपे हुए कपड़े को बिक्री कर से मुक्त कर दें, तो बड़ी कृपा होगी।

दूसरी चीज यह है कि खाद्य की जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं से भी एकदम बिक्री-कर समाप्त कर देना चाहिये। एक किराने वाले की छोटी सी दुकान है उस छोटी सी दुकान पर यह अन्दाज नहीं लगता है कि कितना उसने खरीदा और कितना बेंचा, लेकिन हमारे बिक्री-कर अधिकारी उस पर एक मुश्त लम्प सम न मालूम कौन से हिसाब से बिक्रीकर लगा देते हैं और उनको वसूल करने की कोशिश करते हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि न सही आंकड़े मिल पाते हैं और न सही ढंग से ऐसी छोटी-छोटी दूकानों पर चाहे वह किराने की दूकान हो, चाहें हलवाई की दूकान हो, कोई हिसाब ही मिल पाता है। उन लोगों के ऊपर बिक्रीकर बांध दिया जाता है और उसे वसूल करने की कोशिश की जाती है।

इस बिक्री-कर के दबाव से ये छोटे-छोटे दूकानदार कहीं के नहीं रहते हैं और थोड़े दिनों के बाद उन्हें अपना कारोबार समाप्त कर देना पड़ता है। इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि बिक्रीकर लगाने के समय कुछ विशेष-रूप से छानबीन करा लिया करें। उसके बाद ही बिक्रीकर लेने की व्यवस्था होनी चाहिए खास कर ऐसी खाद्य की वस्तुएं जो हैं उनके ऊपर से तो यह बिक्री-कर की व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए।

मैं वित्त मन्त्री महोदय को इस बात के लिये धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह सकता कि जो उन्होंने छपे हुए कपड़े पर से, हैंडलूम के कपड़े पर से और मोजा बनियाइन पर से टैक्स समाप्त करके प्रदेश की आय में ५९ लाख रुपये का घाटा दिखलाने की बात कही है। घाटा और नफा तो होता ही है, लेकिन यह उन्होंने एक बड़ी उदारता का परिचय दिया है जिसके लिये मैं इस अनुदान पर भी उनका आभार प्रकट करता हूं।

दूसरी बात है ऋण देने के सम्बन्ध में। ऋण देने में एक अजीब सा तरीका चला करता है। जो कार्यालय है जहां से ऋण मिलता है, जहां से उसकी व्यवस्था होती है वहां एक तो घूस चला करती है, इसके अलावा जो छोटे-छोटे लोग हैं जिनके पास उन कर्मचारियों को खुश करने के पर्याप्त साधन नहीं हैं उन लोगों को बहुत देर से और बहुत विलम्ब करके ऋण दिया जाता है। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि ऋण कार्यालयों में थोड़ा सा सुधार किया जाय जिससे कि हर व्यक्ति को समय पर सुविधा से ऋण मिल सके।

जहां तक कि ऋण के व्याज की बात कही गयी उसके सम्बध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि व्याज का सिद्धांत, जो बड़े-बड़े पूंजीपतियों के लिये रखा जाता है ऋण देते समय, उस पर कुछ विचार होना चाहिये। वास्तव में बड़े पूंजीपतियों के पास बड़े-बड़े साधन होते हैं और उनके बड़े बड़े काम होते हैं। अगर उनको कम व्याज पर आप रकम देते हैं तो उसी दृष्टि से और समाजवादी व्यवस्था के सिद्धांत की दृष्टि से भी मैं यह निवेदन करूंगा कि जो ऋण छोटे लोगों को दिया जाय उसमें कम व्याज का सिद्धांत अवश्य अपनाया जाय और इसी दृष्टिकोण से उस ऋण को देने की बात की जाय।

[श्री रामकृष्ण सारस्वत]

तीसरी बात पेन्शन के सम्बन्ध में जो कि राजनीतिक पेशन या वृद्धावस्था वाली पेंशन कही जाती है के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि वृद्धावस्था पेन्शन के लिये तो.....

श्री जंगबहादुर वर्मा—श्रीमन्, मेरा वैधानिक प्रश्न यह है कि इस समय हाउस में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामकृष्ण सारस्वत—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिये जो नियम रखे गये हैं वे इतने कड़े नियम हैं कि वास्तव में जो अपाहिज हैं, जो लूले लंगड़े हैं जिनकी अवस्था ७० साल या इसके ऊपर है उनके लिये ऐसे तरीके अपनाये जाते हैं, इतना विलम्ब किया जाता है कि उनको पेंशन नहीं मिलती है। यही नहीं जो सिफारिश वाली बात है अगर किसी की सिफारिश किसी ने कर दी और किसी के साथ बर्ताव अच्छे ढंग से लोगों का हो गया तो उनको भी पेन्शन मिल जाती है। इस सम्बन्ध में मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पेंशन के सम्बन्ध में कुछ ढिलाई उन नियमों में की जाय। मुझे विश्वास है कि जिस सिद्धांत को लेकर वृद्धावस्था पेन्शन को शुरू किया गया था उस सिद्धात की रक्षा करते हुए वृद्धावस्था पेंशन नियमों में अवश्य ढिलाई करने की कृपा करेंगे।

अधिष्ठाता महोदय, जहां तक राजनीतिक पेन्शन का सम्बन्ध है उसके सिलसिले में मुझे आपसे यह निवेदन करना है कि इस सम्बन्ध में मैं गृह मंत्री जी से भी मिला और कई मन्त्रियों से और कई बुजुर्गों से कई बार मिला और इसके सम्बन्ध में बात भी की, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरी बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। जो भाई एक बार जेल गये उनके लिये यह कहा जाता है कि वह ३० के बाद दोबारा जेल नहीं गया इसलिये उनको यह राजनीतिक पेन्शन नहीं दी जायगी। लेकिन कई मामलों में यह भी देखा गया कि वैसा ही रोग, वैसी अवस्था और वही कारण होने पर भी केवल ३० में जे जाने वालों को पेंशन दी गई। यानी जो केवल सन् ३० के आन्दोलन में जेल गये उनको पेंशन दी गई। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो ४० के आंदोलन में जेल गये उनको पेन्शन नहीं दी गई बहुतों से यह कहा गया कि ३० के बाद कई मौके ऐसे आये कि जिन मौकों पर जेल जाने का अवसर था, लेकिन वे जेल नहीं गये इसलिये उनको नहीं दी जा सकती है। जो ३० में जेल नहीं गये और ३२ के आन्दोलन में जेल गये उनको भी दी गई।

मुझे खेद है कि ऐसे लोग, जो ४० में जेल गये, ४२ में जेल गये, उनको सरकार की ओर से पेन्शन नहीं दी गई। इसलिये मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वित्त मन्त्री महोदय एक निश्चित सिद्धान्त को अपनाने की कृपा करें। इसके लिये एक निश्चित सिद्धांत बना लिया जाय कि जो एक बार जेल गया हो, चाहे वह सन् ३० में गया हो, ३२ में गया हो, ४० में या ४२ में गया हो और चाहे वह ९ महीने के लिये गया हो अथवा ६ महीने के लिये उसको पेन्शन मिलेगी और अगर ऐसा कोई सिद्धांत रखा जाता है तो वह एक सा हर एक पर लागू होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त हो गया।

***श्री टीकाराम** (जिला बदायूं)—अधिष्ठाता महोदय, इस समय हमारे सामने तीन चीजें विचार के लिये हैं—बिक्री-कर, व्याज वाले ऋण और पेंशनें। बिक्री-कर का जहां तक ताल्लुक है वह उन दूकानदारों से लिया जाता है जिनकी बिक्री साल में २५,००० से ज्यादा होती है। अब चाहे उसकी बिक्री २५ हजार से कम ही होती हो और वह बिक्री-कर न भी देता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो, लेकिन एक रुपये की चीज पर भी वह उपभोक्ता से तो कर वसूल ही लेता है। इसके बाद यह भी दो तरीके के कर हैं---सिंगल प्वाइंट और दोहरा।

बिक्री किसी चीज की जितनी ही बढ़ती जाती है उसका दाम भी उपभोक्ता के लिये उतना ही बढ़ता जाता है। तो मैं यह चाहता हूं कि बिक्री-कर एक रखा जाय। जैसे कपड़े पर है, जब वह मिल से निकलता है उसी समय पर यह बिक्री-कर ले लिया जाय, सरकार जितना चाहे ले ले पेट भर के, लेकिन उस पर कर एक ही बार ले। जो आज कर का ढंग है उससे तो ८ आने गज की मारकीन उपभोक्ता को १८ आने गज की पड़ती है। तो कर सिंगल रखा जाय, दोहरा नहीं। वैसे कर की आमदनी भी ८ करोड़ २८ लाख है और खर्च है इस पर बहुत कम। यह व्यापारी माद्दा अच्छा है और इससे कई गुना बचत हो जाती है। तो इसलिये इसे तोड़ा जाय, कम किया जाय और दोहरा कर न लिया जाय।

इसके बाद पेंशनों में यह बात रखी गयी है कि ७० वर्ष की उम्र हो और उसका कोई रिश्तेदार न हो तो उसको पेंशन दी जायगी। अब रिश्तेदार कहीं न कहीं, कोई न कोई निकल ही आता है। मेरे गांव में एक आदमी ऐसा था कि जिसका लड़का मर गया और वह बुड्ढा और बुड्ढी जिनकी उम्र ९० और ९५ साल की होगी, थे। मैंने उनको तहसीलदार साहब के सामने पेश किया। बिलकुल भीख मांग कर गुजारा करते हैं। लेकिन उनके लड़के की बहू मौजूद है इसलिये उनको पेंशन नहीं दी गयी और उनकी दरख्वास्त खारिज हो गयी। तो रिश्तेदारों को देखते समय यह भी देख लिया जाय कि उनकी असली हालत क्या है और ऐसे भी बहुत से आदमी हैं कि जो लूले, लंगड़े हैं, अपाहिज हैं, कोई काम नहीं कर सकते और भीख मांग कर गुजारा करते हैं। ऐसे लोगों को भी सहारा दिया जाय और यह काम गांव सभाओं के सुपुर्द किया जाय और गांव सभाओं के प्रधान की यह ड्यूटी हो कि वह ऐसे लोगों की लिस्ट बनाये कि ऐसे कौन-कौन और कितने आदमी उसके यहां हैं जो भीख मांग कर गुजारा करते हैं और कोई काम नहीं कर सकते और उनकी क्या हालत है। अगर वह मदद करना चाहे तो सरकार से मांग कर भी उनकी मदद करे।

मेरा सुझाव है कि यह ड्यूटी गांव सभा के प्रधान को दी जाय कि वह ऐसे लूले लंगड़ों की परवरिश करे। सरकार तो हमारी बनायी हुई है। हम उससे लेंगे। लेकिन अगर यहां से उनको मदद नहीं मिलती तो नीचे से ही उनकी मदद करनी चाहिये। उनको हमें नीचे ही सम्हालना चाहिये। सरकार से कहना ही बिलकुल गलत है। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिये और जब हम सब काम अपने हाथों से करेंगे तो हम कह दें कि हम टैक्स नहीं देंगे और यह जमाना आ गया है कि हमें कहना पड़ेगा कि हम टैक्स नहीं देंगे। भीख मांगते फिरें कि सरकार यह खर्च करे, सरकार यह खर्च करे, यह क्या चीज है ?

अब कर्ज वाला मसला आता है। अरबों रुपये का कर्ज ले रखा है सरकार ने और हमारे बहुगुणा जी का कहना तो यह है कि वह हुकूमत बड़ी अच्छी है कि जिस पर ज्यादा कर्ज हो। उस हुकूमत का बजट बड़ा अच्छा है जो कर्ज वाला बजट हो। जिस घर के मालिक ने कर्ज लेकर खाया और काम चलाया वह कभी अच्छा कहलाता है ? कांग्रेस हुकूमत को फख्र है कि हम कर्जा खूब ले रहे हैं और उसे विकास के कामों में लगा रहे हैं। इन ३,५८,४६,९१,०००रुपये का कर्जा लिया है और दो तरह के कर्जे हैं। एक ब्याज वाले और दूसरे बिना ब्याज के। इसमें किसानों को, नगरपालिकाओं को, सामुदायिक विकास खंडों को, बिजली पर, फार्म पर, कारखानों पर, नलकूपों पर, नहरों में लगाया गया कर्जा शामिल है। इस रुपये को दो हिस्सों में बांटा। एक तो वह चीजें हैं जिनसे वसूली होती नहीं और दूसरे वह जिनसे उत्पादन बढ़ता है, पैसा हमको मिलता है। वसूली न होने की मदों में ज्यादा रुपया है और वसूली होने के मदों

[श्री टीकाराम]

में कम रुपया है। उत्पादन का सबसे बड़ा जरिया हुकूमत का किसान है। अब हमें यह देखना है कि किसान को कर्जा कितना देते हैं और किस-किस तरीके से देते हैं।

इस बजट में किसान के कर्जे की तादाद ३,५० लाख रुपया रखी गयी है। नगरपालिकाओं को १२,४७,९२,००० रुपया, सामुदायिक विकास खंडों पर और बिजली पर १९,८७, ३२,००० रुपया और नलकूपों पर ३,१३,६३,००० रुपया, नहरों पर ८२,१९,२०,००० रुपया। इस तरह से ५ नत्थियां हैं १, २, ३, ४, ५। इन सब में कर्जे की तफसील है। अब इसमें यह देखना है कि इसमें सब से बड़ी जड़ जो किसान है उसको किस तरह का कर्जा दिया जाता है? कर्जा उनको देने का ढंग है कुंओं की सिंचाई के लिये तकावी देना, सहकारी कमेटियां खोली हैं और साधन सहकारी समितियां १०,००० खोली गयी हैं। उनमें २० रुपये के मेम्बर बनो तो १६० रुपया देंगे। १०० नकद देंगे और ६० रुपये की खाद। वह खाद भी अमोनियम सल्फेट वगैरह, अगर उसमें देसी खाद न मिले तो जमीन को खराब कर देती है। मेरा सुझाव यह है कि जिस तरह से म्युनिसिपैलिटी में किया जाता है कि गांव का कूड़ा खड्ड में डलवाया जाय और फिर खाद की सूरत में इस्तेमाल किया जाय, वह ज्यादा फायदेमन्द होगा ब मुकाबले विदेशी खाद के। हमें ताज्जुब है कि बाजार की रोटी खिला.कर कब तक जिन्दा रखोगे? कबतक ल्यूकोरिया और अमोनिया डालकर जिलाओगे?

पानी को हालत यह है कि नहरें १९५६–५७ में २३,५०० मील थीं, ५७–५८ में २४,४४० मील हो गयीं और ५८–५९ में २५,३२९ मील हो गयीं और रकबा जो सींचा गया वह पहले साल १,१३,४५,००० था और दूसरे साल १,२१,२८,००० और तीसरे साल १,२०,६२,००० एकड़ है, यानी पहले से घटा है और उपज का क्या बढ़ा? करोड़ों रुपये का गल्ला बाहर से मंगाकर खिलाया जा रहा है। अगर उपज बढ़ी थी और तुम्हारे घर गल्ला था तो यह कर्जे का अनाज बाहर से क्यों मंगाया? सवालों में आया था कि आटा लाते हैं तो छानने पर कीड़ियां निकलती हैं और कुछ गेहूं मंगवाया कुछ को पिसवाकर बंटवाया और इस तरह से दोनों को मिलाकर देते हैं, यह हालत है अनाज की पैदावार की। अब मैं एक बात और खाद के बारे में कहना चाहता हूं . . .

श्री अधिष्ठाता––अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री बाबूराम (जिला बरेली)––अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज जो पेंशन का मसला हमारे सामने पेश है यह पेंशन दो प्रकार की होती है। एक तो बुढ़ापे की पेंशन कहा जाता है और दूसरी वे हैं जो राजनीतिक पीड़ितों को दी जाती हैं। बुढ़ापे वाली पेंशनों के बारे में मेरा सुझाव यह है कि जो उम्र ७० वर्ष की रखी गयी है वह बहुत ज्यादा है, उसको घटाकर ६० वर्ष कर दिया जाय। जहां तक राजनीतिक पीड़ितों को दी जाने वाली पेंशन का प्रश्न है, उसके बारे में यह सही है कि वह पेंशन उन को ही मिल पाती है जिनकी कुछ पहुंच होती है। दूसरे लोगों को वह नहीं मिल पाती है। हमारे सामने ऐसे बहुत से राजनीतिक पीड़ित लोग हैं जिनको यह पेंशन मिलनी चाहिये थी, किन्तु पहुंच न होने के कारण नहीं मिली।

श्री मोतीलाल अवस्थी––एक मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस समय जो अनुदान हमारे सामने पेश हैं वे हैं अनुदान संख्या ४०–५३ और ५५। अनुदान संख्या ४० बुढ़ापे की पेंशन से संबंध रखती है। राजनीतिक पेंशनों के लिये अलग अनुदान संख्या ३९ है। तो क्या इस समय राजनीतिक पेंशनों की चर्चा इस अनुदान संख्या ४० के अन्तर्गत हो सकती है?

श्री अधिष्ठाता––राजनीतिक पेंशनों के बारे में आपकी तरफ से भी बात कही गयी है और इधर से भी कही जा रही है। माननीय वित्त मंत्री जी कृपया बतायें कि क्या राजनीतिक पेंशनों के बारे में अलग से अनुदान है या इसके अन्तर्गत ही यह चर्चा हो सकती है।

श्री सैयद अली जहीर––अधिष्ठाता महोदय, एक ग्रान्ट नम्बर ३९ है जो पोलिटिकल पेंशंस के बारे में है। पोलिटिकल पेंशन्स का जहां तक ताल्लुक है वे इसके अन्तर्गत नहीं आती हैं। जहां तक और पोलिटिकल सफरर की पेंशन्स हैं उनकी चर्चा हो सकती है।

श्री अधिष्ठाता––जो राजनीतिक पेंशनर्स हैं, उनकी चर्चा इन अनुदान संख्या ४० के अन्तर्गत नहीं होनी चाहिये। पोलिटिकल सफरर की बात कही जा सकती है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)––इस पेंशन का क्या मतलब है। अगर माननीय वित्त मंत्री जी इसे स्पष्ट कर दें तो सदस्यों को बोलने में आसानी होगी। आपने कहा कि वह अनुदान अभी पेश नहीं है। तो इस अनुदान के अन्तर्गत कौन-कौन सी पेंशनें आती हैं।

श्री अधिष्ठाता––यह अनुदान संख्या ५३ में किस प्रकार की पेंशनें हैं, माननीय वित्त मंत्री जी, इसे स्पष्ट कर दें।

श्री सैयद अली जहीर––अधिष्ठाता महोदय, ग्रान्ट नं० ५३ में कम्यूटेशन आफ पेंशन का प्राविजन है। कुछ लोगों को रुपये की जरूरत होती है और वह अपनी पूरी पेंशन लेना नहीं चाहते उस हालत में आधी पेंशन तक कम्यूट हो जाती है और उसका उन्हें रुपया मिल जाता है। तो इस प्रकार की रकम का प्राविजन ग्रान्ट नं० ५३ में है।

जहां तक ओल्ड एज की पेंशन का सवाल है जिस पर कि लोगों ने बहस की वह ग्रान्ट नं० ४० में आती है।

श्री बाबूराम––अधिष्ठाता महोदय, श्री मोतीलाल अवस्थी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया उसका ज्ञान उन्हें तब हुआ जबकि बहुत से लोग उस पर बोल चुके हैं बहरहाल आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों की पेंशन के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि उनको इस समय ५८ साल के बाद पेंशन दी जाती है। इस सम्बन्ध में आल इंडिया कांग्रेस कमेटी और दूसरी जगहों से भी तय हो चुका है कि ५५ साल के बाद ही पेंशन मिलनी चाहिये। इसलिये आपके द्वारा मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि आज जो बेकारी फैली हुई है उसको ध्यान में रखत हुये, सरकार को ५८ के बजाय ५५ साल पर ही पेंशन देनी चाहिये।

इसके साथ ही साथ आज मैं देखता हूं कि सड़कों पर अंधे लूले–लंगड़े अपाहिज और कोढ़ी साधनहीन घूमा करते हैं वह अपनी रोजी नहीं कमा सकते हैं इसलिये सरकार को पेंशन के जरिये या किन्हीं और साधनों से उनका भी प्रबंध करना चाहिये। उन लोगों को छूत की बीमारी होती है जिससे कि लोग बचना चाहते हैं लेकिन बच नहीं पाते हैं। इसलिये सरकार को उनकी ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये।

जहां तक ऋण देने की बात है, मैं सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आज शहरों में मकान बनाने के लिये काफी ऋण दिया जाता है लेकिन गांवों में रहने वालों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आज गांवों में ७५ फीसदी से अधिक फूस के मकान होते हैं और आग लग जाने पर १०–१५ मिनट में ही सारा गांव जलकर खत्म हो जाता है और शहरों में जहां कि अच्छे खासे मकान होते हैं लेकिन फिर भी वहां ही ऋण देने की व्यवस्था की गई है। मेरा सुझाव है कि गांव वालों के लिये भी मकान बनाने के ऋण की व्यवस्था की जाय ताकि वह भी अपना जीवन सुखमय व्यतीत कर सकें।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि आबपाशी के कुओं के लिये सरकार जो ऋण देती है उसमें भी सरकार ने ब्याज की दर बढ़ा दी है इसलिये उसमें व्याज की दर कम होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त मुझे यह कहना है कि जो ऋण दिया जाता है वह वक्त से नहीं दिया जाता है इसलिये

[श्री बाबू राम]

मेरा सुझाव है कि वक्त से ऋण देने की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि किसान उससे फायदा उठा सकें। इसके अलावा खाद के लिये भी जो ऋण दिया जाता है वह वक्त से नहीं दिया जाता है। वह भी समय से दिया जाना चाहिये।

बिक्री-कर के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि अगर बिक्री-कर खाद्यान्नों पर से हटा दिया जायगा तो बहुत उचित होगा।

*श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)---अध्यक्षा महोदय, माननीय चन्द्रजीत यादव की तरफ से जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले ग्रान्ट नंबर ४० पर अपने ख्यालात का इजहार करूंगा। वह लगभग २ करोड़ ३८ लाख रुपये की है। इसमें एक चीज है जिसका अभी तक सदन में तजकिरा नहीं हुआ। हमारा उद्देश्य मंगलकारी राज्य बनाने का है। ऐसी सूरत में सरकार का यह फर्ज हो जाता है कि जहां तक हो सके हम जनता को सुविधायें उपलब्ध करायें। इसमें सरकार ने एक भत्ता रखा है जो अन्डर रूल्स नहीं है बल्कि यह ऐसा भत्ता है जो सरकार के डिस्क्रिशन पर है। यह एक फरमान शाहाना होगा जिसके जरिये से सरकार उन लोगों पर दयादृष्टि डालेगी, जिनको आवश्यकता है ऐसा नहीं है बल्कि जो गवर्नमेन्ट सर्वेंट मर जाते हैं उनके डिपेन्डेंट्स के लिये है। यह भत्ता सरकार की तरफ से रहम की शकल में दिया जायगा। मुझे खुशी है कि सरकार ऐसा कदम उठा रही है। रियासतों के गुजिश्ता ह्यूमर्स थे उनको भी इस तरह की पेंशनें दी गयीं। लेकिन अगर इसके अलावा हम देखें कि दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिनको उसकी निहायत जरूरत है। मैं यह किसी समालोचना के ख्याल से नहीं कहता हूं बल्कि एक दूसरा नुक्तेनजर आपके सामने रखने जा रहा हूं।

यह माना कि हमारे देश में योजनायें चल रही हैं और अपनी रीति के मुताबिक हम तरक्की के साधन जुटाने में लगे हुये हैं लेकिन इसके साथ ही साथ इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि हमारा जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में सरकार बहुत पीछे है। जबकि सरकार कुछ गवर्नमेन्ट सरवेन्ट्स के बच्चों को रुपया देने जा रही है वहां दूसरी तरफ हमारे यहां हजारों की तादाद में ऐसे रिक्शे चलाने वाले भी हैं। जब वे सुबह से शाम तक काम करते हैं तब तो शाम को रोटी उनको मिल सकती है वरना बासी रोटी भी उनको नसीब नहीं होती। क्या सरकार ने उनको सुध लेने के बारे में कभी सोचा है? क्या उनकी मुसीबत में सरकार ने कुछ बतौर इम्दाद देने के बारे में सोचा है? यह मंगलकारी राज्य तभी हो सकता है जबकि इस देश के ज्यादा से ज्यादा लोग खुशहाल हो सकें, पढ़ने-लिखने की सुविधा हो, उनका जीवन-स्तर ऊंचा हो और अच्छी हवा में सांस वे ले सकें।

बहुत सी बेवा स्त्रियां भी हैं जो अपनी जिन्दगी के पहले हिस्से में ही बेवा हो गयी हैं और दुबारा शादी वे करना नहीं चाहतीं। उनके पालन-पोषण का भी इन्तजाम होना चाहिये। उनके लिये सरकार इस समय अथवा बाद में कोई ग्रान्ट लाये तो बहुत अच्छा होगा। इसके साथ-साथ हमको यह भी देखना है कि ऐसे बहुत से लावारिस बच्चे हैं जिनके न मां हैं, न बाप हैं, सड़कों पर मारे-मारे फिरते हैं उनके लिये भी बहुत से स्टेट्स में गवर्नमेन्ट की तरफ से पालन-पोषण के लिये कुछ पेंशन दिया जाता है। तो इस तरह से लावारिस बच्चों के लिये भी कोई थोड़ा-सा फंड क्रिएट कर दिया जाय तो बहुत अच्छा होगा। और जो दूसरे किस्म की पेंशन है उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, यह मुनासिब है कि उनको दिया जाय।

दूसरी बात यह है कि ओल्ड एज पेंशन के सम्बन्ध में कई सदस्यों ने आपके सामने काफी तजकिरा किया है और उस सम्बन्ध में जो दलीलें दी गयी हैं उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। आप देखें कि हमारे देश की औसत उम्र बहुत कम है। मैं समझता हूं कि बहुत कम लोग

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऐसे हैं जो ७० साल की उम्र तक पहुंच पाते हैं। ७० साल की उम्र जो सरकार द्वारा बुढ़ौती पेंशन के लिये निर्धारित की गयी है वह बहुत ज्यादा है। पेंशन ऐसे लोगों को दी जाती है जो गरीब हैं, लाचार हैं और जिनका कोई सहारा नहीं है। ऐसे लोग ७० साल की उम्र तक नहीं पहुंच पाते हैं इसलिये सरकार को चाहिये कि उसके लिये वह अधिक से अधिक ५० साल की उम्र की कैद रखे। अब पेंशन की जो रकम रखी गयी है उससे मैं मुतमइन नहीं हूं, इस रकम में कुछ इजाफा होना चाहिये। कारण यह है कि ओल्ड एज पेंशन उनको दी जाती है जो गरीब हैं, जो कमजोर हैं, जो न कुछ पैदा कर सकते हैं और न हाथ पैर हिला सकते हैं। आज कल के मुश्किल जमाने में जो काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको काम ही नहीं मिल पाता, ऐसे लोगों को कुछ पेंशन देने के लिये भी सरकार की तरफ से कोई प्रावधान होना चाहिये ताकि जो गरीब हैं वे खाने बिना भूखों न मर सकें।

इसके बाद अब मैं ग्रान्ट नं० ५५ पर आपकी इजाजत से अपने ख्यालात का कुछ इजहार करना चाहता हूं। इस साल लगभग ८३ करोड़ ८८ लाख रुपया कर्जा देने का सरकार का विचार है। जब मैं पिछले साल का जायजा लेता हूं तो इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि सिर्फ १२ करोड़ और कुछ लाख रुपया ही ऐसा था जो गवर्नमेन्ट ने कर्जे के रूप में लोगों को दिया लेकिन इस साल इसमें ७ गुना इजाफा किया गया है। यानी यह जो इजाफा किया गया है इसके जरिये काफी रकम लोगों को कर्जे के तौर पर दी जायगी इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि उस कर्जे की तकसीम की पालिसी ऐसी होनी चाहिये जिससे ज्यादा से ज्यादा हमारे मुल्क की गरीबी दूर हो और ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सके। इसके साथ साथ हमको यह भी देखना है कि जो ज्यादा परेशांहाल हैं, जो खानाबदोश हैं और सड़कों पर मारे मारे फिरते हैं जिनके रहने के लिये कोई घर नहीं है उनके लिये-छोटे छोटे मकानों का इन्तजाम भी सरकार की तरफ से होना चाहिये।

मान्यवर, हमारे मुल्क की आबादी का तीन चौथाई हिस्सा किसानों का है जिनका जीवन खेती पर मुनहसिर है। ऐसी हालत में हमको यह भी देखना पड़ेगा कि जो कर्जा दिया जाता है वह उन काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा दिया जाय ताकि वे अपनी खेती की पैदावार को बढ़ा सकें। इस सिलसिले में मेरी अर्ज यह है कि अगर आप पिछले साल का तखमीना लें तो ३ करोड़ से कुछ ज्यादा की धनराशि ऐसी थी जो काश्तकारों को बतौर कर्जे के दी गयी और उसके बाद साल रवां में १ करोड़ ४४ लाख की रकम उनको दी गयी।

बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क का सारा दारोमदार इन किसानों के ऊपर ही है। इस साल हम देखते हैं कि इनके रुपये में काफी कमी कर दी गयी है। पहले साल से दूसरे साल कमी की गयी और दूसरे साल से तीसरे साल और कमी कर दी गयी। आपने कर्ज की रकम तो ७ गुनी कर दी है लेकिन किसानों को कर्जा देने की रकम में काफी कमी कर दी है। आपको मालूम है कि किसान बहुत तादाद में हैं और गरीब हैं और उनको इतना कर्जा अवश्य दिया जाना चाहिये जो उनके लिये जरूरी हो। लेकिन मालूम नहीं सरकार उनको कर्जा देने में क्यों असमर्थ है और इस तरफ अपनी तवज्जह क्यों नहीं करती है। इसलिये मेरी अर्ज है कि इस रकम को बढ़ाना चाहिये। साथ ही साथ किसानों को जो कर्जा दिया जाय वह कर्ज हस्ना की शक्ल में दिया जाना चाहिये। यानी उन किसानों से सूद बिलकुल न लिया जाय। सरकार जब कर्जा देती है तो उस पर सूद लेती है लेकिन उनका सूद माफ होना चाहिये।

मुझे तो हैरत हुई यह देख कर कि जहां बड़े-बड़े लोगों को कर्जा देने के लिये इन्तजाम किया गया है वहां उन डिस्प्लेस्ड परसंस के लिये जो खानाबदोश हो गये हैं, जो परेशांहाल हैं, उनके लिये ज्यादा रकम रखने की तरफ ख्याल नहीं किया गया है। मुझे उम्मीद है कि ऐसे लोगों

[श्री शिवराजबहादुर]

को ज्यादा से ज्यादा रकम दी जायगी साथ ही साथ मुझे यह देख कर भी हैरत हुई कि लो इनकम वालों के लिये मकान बनवाने के लिये जो रकम रखी गयी है उसमें काफी कटौती की गयी है। काफी रकम तो प्राइवेट सेक्टर में दी गयी है, लेकिन जहां किसानों को और डिस्प्लेस्ड परसंस को देने की बात है वहां कमी कर दी गयी है।

इसके साथ-साथ गरीब लोग मकानों की कमी की वजह से और इनसेनीटेशन की वजह से परेशान हैं। उनकी मकान बनाने की रकम भी कर्जे की कम कर दी गई। लखनऊ व आगरा महापालिकाओं के लिये तो रकम रखी गई है लेकिन इसमें इलाहाबाद और बनारस की तरफ कतई तवज्जह नहीं की गई है। इसी तरह से अगर आप देखें तो पता चलेगा कि यह जो सरकार की कर्जा देने की पालिसी है वह गरीब को और गरीब बनाने वाली और रईस को और रईस बनाने वाली है, इससे गरीब को लाभ न होगा और जो मकसद है वह भी इससे पूरा नहीं होता। जिस वक्त तक हमारे यहां के गरीब आदमी का जीवन-स्तर नहीं उठेगा, जब तक सब जिन्दगी का सामान उस के लिये उपलब्ध नहीं होगा तब तक जनकल्याणकारी राज्य का बनाना बहुत मुश्किल है।

मैं कुछ सदन का ध्यान ग्रांट नं० ८ की तरफ भी दिलाना चाहता हूं। सेल टैक्स के बारे में काफी कहा जा चुका है, मैं ज्यादा न कहकर सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि इस साल जो रकम रखी गई है इसमें वह पारसाल से कम नहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं है लेकिन इस में एक चीज अजीब है कि इंसपेक्टर और क्लार्क्स की पे के लिये १२ लाख ७० हजार रुपया पहले था वही अब है कोई इजाफा उसमें नहीं हुआ है। इजाफा हुआ है सेल्स टैक्स आफिसर का, असिस्टेंट सेल्स टैक्स आफिसर का, डिप्टी कमिश्नर का, उनकी पे के बारे में यह सब है। जहां जनता भूख से मर रही है, गल्ले तक पर बिक्री का कर है लेकिन इवेजन की वजह से टैक्स लगकर भी पूरा फायदा स्टेट को और जनता को नहीं हो रहा है।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अनुदान उपस्थित किये हैं उन का मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं बुढ़ौती की पेन्शन के सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो नियम सरकार ने बनाये हैं वह हमारे प्रदेश के जीवन स्तर को देखते हुये और यहां की औसत जिन्दगी को देखते हुये ठीक नहीं हैं। साथ ही यह जो शर्त लगाई गई है कि जिस का कोई दूर का रिश्तेदार भी मदद करने वाला न हो, जब कि आज लोगों को अपना ही पेट पालना मुश्किल है तो गरीब घर का आदमी जो पेन्शन का ख्वास्तगार होता है उस की मदद कौन कर सकता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह शर्त हटा दी जाय।

दूसरे ७० साल के बजाय कुछ कम उम्र रखी जाती। अक्सर यह होता है कि लड़की होती है कहीं दूर ब्याही होती है और उसके लड़के कहीं होते हैं, उन्हें पता भी नहीं रहता कि नाना कहां रहते हैं। इस तरह से बहुत ही कम लोग ऐसे हैं कि जिनको पेन्शन का लाभ मिल पाता है। जो उद्देश्य था कि प्रदेश के जो ऐसे लोग हैं जो बुढ़ापे के कारण कोई काम नहीं कर सकते और जिनका कोई सहारा नहीं है उन्हें कुछ लाभ पहुंच जाय वह नहीं पहुंच रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस तरफ जरूर विचार करेगी और उम्र कम करके यह सीमा ६५ कर देगी और वह रिश्तेदारों वाली शर्त भी हटा देगी। इससे अच्छी संख्या में बुड्ढे और असहाय लोगों को लाभ पहुंच जायगा।

कर्जा देने वाली बात का जहां तक सम्बन्ध है मैं इससे इत्तफाक करता हूं कि आप बड़ी बड़ी इण्डस्ट्री चलाने वाले कर्जख्वाहान को तो कम ब्याज पर रुपया दे देते हैं। और जो कम हैसियत के आदमी हैं, जिनकी आमदनी कम है, गरीब हैं छोटे काश्तकार या छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं, उनको जो कर्जा देते हैं उनमें ब्याज की दर ज्यादा होती है। मैं समझता हूं कि यह उल्टा है। अगर ब्याज की दर अधिक रुपया लेने वालों से थोड़ा कर्ज लेने वालों की कम न हो

तो कम से कम उतनी तो होनी ही चाहिये जिस दर पर अधिक कर्जा लेने वालों को रुपया दिया जाता है। सरकार की इस नीति का नतीजा यह है कि जो थोड़ा कर्ज चाहते हैं वे लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं।

जमींदारी उन्मूलन के बाद देहातों की हालत तो यह हो गई है कि जो रुपया लेने-देने का काम करते थे उनकी संख्या भी कम हो गई। वह ब्याज कम लिया करते थे। अब तो शहरों से बड़े-बड़े महाजनों के एजेन्ट पहुंचते हैं और बड़े ब्याज पर किसानों या छोटे व्यापार करने वालों को रुपया दिया करते हैं। नतीजा यह होता है कि वे कर्ज में फंसते जाते हैं और उनका उद्धार नहीं होता। खेती की उपज बढ़ाने के लिये जो तकावी मिलती है उसका भी ब्याज रेट ऊंचा है। तकावी के अलावा दूसरा कोई तरीका ऋण देने का है तो उसमें आपकी दरें ऊंची हैं। जो किसान अपनी छोटी जमीन पर तकावी में रुपया नहीं पा सकते हैं बैलों और औजारों के खरीदने के लिये उनके लिये क्या उपाय है जिससे कि वह अपनी खेती की उपज बढ़ा सकें? उसे दूसरे आदमी को हिस्सेदार बनाना पड़ता है या महाजन से ऊंचे ब्याज पर रुपया लेकर काम करना पड़ता है और इस तरह से एक मोटी रकम महाजन के घर चली जाती है और वह मन से खेती में लग भी नहीं पाता है। खेती की उपज बढ़ाने की बात इन कारणों से नहीं हो पाती।

कम आमदनी के लोगों को मकान बनाने के लिये ऋण दिया जाता है। उसमें भी दोहरी नीति है। शहर वालों को तो आप कर्ज में रुपया देते हैं, देहातवालों को नहीं देते। चाहे गांव का हो या शहर का, सरकार के लिये एक समान होना चाहिये। इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया में भी आप कम आमदनी वालों को मकान बनाने के लिये रुपया नहीं देते हैं।

हमारे तहसील हेडक्वार्टर घाटमपुर में चकबन्दी शुरू होने को है। लोग पहुंच गये हैं। लेकिन जो आपके कर्मचारी और आफिसर्स गये हुए हैं, वे परेशान हैं। कहीं उन्हे भी रहने के लिये स्थान नहीं मिल रहा है। छोटी-छोटी दुकानों में ही ठहर गये हैं। जिस चकबन्दी के काम में वर्षों लगन वाले हैं उसके लिये अधिकारियों को रहने की ठीक जगह भी न मिले तो वे कैसे काम करेंगे? देहातों में जो कच्चे और अस्वास्थकर मकान हैं उनकी वजह से लोगों का स्वास्थ्य भी गिरता जाता है। मैं समझता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और दोहरी नीति नहीं बरती जायगी। इन चन्द शब्दों के साथ मैं मंत्री जी की मांग का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता---कुंवर श्रीपालसिंह। लेकिन खत शिकस्त से न बोलियेगा।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---घसीट बोलने वाले तो केवल दो ही हैं। माननीय मोतीलाल अवस्थी जी और दीपनारायणमणि त्रिपाठी।

श्री अधिष्ठाता---कृपया नाम न लें।

कुंवर श्रीपाल सिंह---श्रीमन्, मैं सबसे पहले अनुदान संख्या ५५ के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं जिसमें ब्याज और अग्रऋण के बारे में सरकार ने कुछ कहा है। बहुत सही है कर्जा देना चाहिये लोगों को उन्नति करने के लिये, आवश्यकता है बगैर उसके तरक्की नहीं हो पायेगी। मगर कर्जा दिया किसको जा रहा है यह देखने की चीज है। जो रुपया लगाया जाता है वह किस तरफ जा रहा है, हवा का क्या रुख है यह इसी से मालूम पड़ता है।

श्रीमन्, देखा जाय १ आइटम रखा है खाद (उर्वरक) के बारे में कि कर्जा दिया जायगा। उस मद में सरकार ने ५०,००,००० रुपया रखा है। अब पिछले तीन वर्षों के

[कुंवर श्रीपालसिंह]

आंकड़े देखे जायं तो मालूम होगा कि १९५८ में ७०,००,००० रुपया था, १९५९ में भी ७०,००,००० रुपया था और १९६० में ५०,००,००० रुपया रखा गया है। १९५८ में यह अनुदान ७,१६,२८,००० रुपये का था और उसमें रुपया रखा गया ७०,००,००० खाद के लिये यानी १९.१ परसेंट। १९५९ में जब वह रकम बढ़ करके १२,७७,६४,००० रुपये हो गई तब भी खाद के लिये ७०,००,००० रुपया था, यानी ५.४ परसेंट। और अब १९६० में वह रकम बढ़ करके ८३,८८,४२,४०० रुपया हो गई तब खाद के लिये रुपया ५०,००,००० रखा गया, यानी .५९ परसेंट।

यह खेती की तरक्की की जा रही है और किसानों की उन्नति के लिये पूरी सुविधा दी जा रही है। किसान उन्नति करेगा जब खेती की अच्छी पैदावार हो और खेत में अन्न तब पैदा होगा जब उसे अच्छा बीज मिलेगा, सिंचाई के लिये पानी समय से मिलेगा और अच्छी खाद मिलेगी। तो खेती के बारे में सरकार की क्या नीयत है। तीन साल के आंकड़े प्रकट कर रहे हैं कि सरकार बराबर किसानों की तरफ सौतेली मां ऐसा व्यवहार करती जा रही है। अगर इसको इस ढंग से देखा जाय कि जो ५०,००,००० रुपया दिया है यह गांवों में पहुंच कर कितना हो जायगा अगर फी गांव रखा जाय तो कितना पड़ेगा ?

हमारे प्रदेश में १,११,७७२ गांव हैं जिसके माने होते हैं १ गांव में जा करके अधिक से अधिक ५० रुपये पड़ेगे जब कि ३८ रुपये की एक बोरी अमोनियम सल्फेट की आती है जिसमें से ८ या ९ सेर खाद एक बड़े बीघे में पड़ती है। तो इससे जोड़ लीजिये कि कितने क्षेत्रफल में खाद पड़ेगी। यह खेती की उन्नति हो रही है, किसानों की तरक्की की जा रही है, कल्याणकारी राज्य है। इसके अलावा दूसरी चीज देखी जाय किसानों के लिये जो अनुदान स्वीकृत किया गया है उसके अन्दर यह भी आ जाता है और वह २, ३, ४ आइटम्स हैं, वह सब मिला करके किस हद तक पहुंचा है।

१९५८ में वह था ७,१६,२८,००० तो उस वक्त कृषकों को अग्रऋण में १,४४,२५,००० रुपया दिया गया यानी २०.२ परसेंट। सन् ५९ में जब रकम बढ़ कर १२,७७,६४,००० हो गयी तो कृषकों को १,५५,३०,००० दिया गया यानी ११.१९ परसेंट और सन् ६० में ८३,८८,४२,००० हुआ तब वह हुआ १,४२,३०,००० यानी १.४८ परसेंट। तो किसानों की तरफ सरकार की कैसी नजर है, किस तरह से सरकार इनको देख रही है यह इन आंकड़ों से ही सिद्ध होता है।

श्रीमन्, कुछ वृद्धियां भी हुई हैं। पिछले सालों के हिसाब से इस साल के इस अनुदान में बढ़ोत्तरी भी हुई है। वह किस मद में हुई है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मध्यम वर्ग के लिये, गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋण देने के लिये ५० लाख की धनराशि की व्यवस्था की गयी है। एलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी को ऋण देने के लिये १० लाख रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है। तो यह बढ़ोत्तरी हुई है और ये कम्पनियां किस की हैं इसे सभी जानते हैं। किसान की नहीं है। ये उन्हीं की हैं जिनके ये बजट हैं। तो अब यह देखा जाय कि कमी कहां हुई है तब हमारी सरकार की नीयत मालूम होगी।

छोटे वर्ग के लिये गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋण देने के सम्बन्ध में २७.२५ की कमी की गयी है। दूसरी कमी हुई है गन्दी बस्तियों की सफाई में। शायद बुरा समझें वे लोग। योग्य पिता के अयोग्य पुत्रों ने किस जगह ले जा कर अपने पिता की बात को पटका है ? पूज्य बापू जी ने जिन गन्दी बस्तियों के लिये जीवन भर प्रयास किया उनके उत्थान के लिये उनके लायक पुत्रों ने उसी अनुदान में कमी कर दी है। पिछले सालों में २४ लाख ६५ हजार रुपया गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये दिया जाता था उसमें कमी कर दी गयी ह। कहा यह जाता है कि हम गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। यह सरकार कांग्रेस की है जो समाजवादी ढांचे की बात करती है।

१९६०–६१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान ६८९ संख्या ८––लेखा शीर्षक १२-क––बिक्री कर के कारण व्यय, अनुदान संख्या ४०––लेखा शीर्षक ५५––बुढ़ौती भत्ते और निवृत्ति वेतन (पेंशनें), अनुदान संख्या ५३––लेखा शीर्षक ८३––पेंशनों की संराशि का भुगतान, अनुदान संख्या ५५––लेखा शीर्षक त––ब्याज वाले ऋण और अग्रऋण

अनुदान संख्या ८ के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन्, १४ दिसम्बर, ५७ को चीनी, कपड़ा, तम्बाकू आदि पर प्रान्तीय बिक्रीकर के स्थान पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाई गयी। प्रान्तीय बिक्री–कर इस पर से हट गया। इसके माने यह हुये कि यह तीन चीजें जो बाजार में बहुत अधिक मात्रा में बिका करती थीं उन पर से बिक्री–कर हट जाने से कुछ न कुछ स्टाफ में कमी होनी चाहिये। मगर देखने से मालूम होता है कि कोई कमी नहीं की गयी बल्कि कुछ बढ़ोत्तरी ही हुई है। इसके अलावा, अपने प्रान्त में इस विभाग पर जो खर्चा होता है वह इससे होने वाली आमदनी का करीब ८ परसेंट आता है जबकि और सूबों में इस विभाग पर ५ परसेंट से अधिक का खर्चा कहीं नहीं है।

श्री सैयद अली जहीर––हमारे यहां ४ परसेंट है।

कुंवर श्रीपालसिंह––खैर, मुझे तो यही मालूम हुआ कि ८ परसेंट।

इसके अलावा, श्रीमन्, सहायक बिक्री–कर अधिकारी की नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिश से होनी चाहिये क्योंकि वह २००–४०० रुपये के ग्रेड में आता है मगर यहां ४० से अधिक सहायक बिक्री-कर अधिकारी ऐसे हैं जिनको पब्लिक सर्विस कमीशन की रेकमेन्डेशन नहीं मिली हुई ह और वे तीन साल से काम कर रहे हैं। उनके लिये एक नया तरीका सरकार ने ढूंढ निकाला है। साल भर तो सरकार पी० एस० सी० की सिफारिश के बगैर उनको रख सकती है। तो जब साल पूरा होने लगता है उस वक्त १५ दिन के लिये वे रिवर्ट कर दिये जाते हैं और उन १५ दिनों वे छुट्टी ले कर घर बैठ जाते हैं और जब छुट्टी से वापस आते हैं तो फिर उसी पद पर काम करने लगते हैं।

श्री अधिष्ठाता––अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)––माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय चन्द्रजीतजी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, किसी जमाने में इस भारतवर्ष के अन्दर न्याय घंटियों के द्वारा दिया जाता था। जिस पर अन्याय होता था वह न्याय पाने के लिये घंटी बजा देता था और उसके साथ हुये अन्याय को सुन लिया जाता था और वह न्याय पा जाता था। मगर आज यह सरकार जो अपने को कल्याणकारी सरकार कहती ह न्याय के जरिये रुपया कमाने पर लगी हुई है।

श्री अधिष्ठाता––लारी साहब, स्टैम्प का अनुदान तो खत्म हो चुका है, उस पर क्यों बहस कर रहे हैं ?

श्री अब्दुल रऊफ लारी––पेश तो आज ही हुआ।

श्री अधिष्ठाता––वह पेश हुआ, पास हो गया। उस पर अब आप बहस नहीं कर सकते।

श्री अब्दुल रऊफ लारी––अच्छी बात है। सरकार ने बुढ़ौती के लिये जो पेंशन मुकर्रर की है उसके लिये वह वाकई धन्यवाद की पात्र है, क्योंकि ऐसे लोगों का, जिनका कोई सहारा नहीं है, सरकार को ही सहारा बनना चाहिये। लेकिन इसी के साथ-साथ इसमें जो शर्तें रखी गयी हैं वे इतनी सख्त हैं कि सही लोगों को पेंशन नहीं मिल पाती।

श्री अधिष्ठाता––एक ही चीज को बार-बार कहने से क्या फायदा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—बहुत मामूली हिन्त है। उसके लिये मैं चाहूंगा कि जिस गलत ढंग की शर्तें रखी गयी हैं उनको हटा दिया जाय। बहुत दूर के रिश्तेदारों को ढूंढा जाता है या जो मामूली बिस्कुट बेंच कर ४ आने रोज कमा लेता है ७० वर्ष का बूढ़ा उसे महज इसलिये कि बिस्कुट बेंच रहा है पेंशन न देकर भीख मांगने पर मजबूर किया जाना उचित नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी को इस ओर संकेत करता हूं। वह इस पर ध्यान देंगे।

इसके बाद बिक्री कर आता है। बिक्री कर से राज्य की आमदनी बढ़ती है। लेकिन यह अनैतिकता को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। छोटे-छोटे दुकानदारों पर कर लगाने का जो ढंग है उससे अनैतिकता फैलती है।

श्री अधिष्ठाता—इसमें अनैतिकता क्या है?

श्री अब्दुल रऊफ लारी—मैं आगे बता रहा हूं। सुनिये बिक्रीकर अधिकारी द्वारा छोटे-छोटे व्यापारियों को मजबूर किया जाता है कि वह ही हिसाब रखें। वह लिखे-पढ़े हैं नहीं कि हिसाब रख सकें। साल में हजार, बारह सौ की आमदनी होती है, जिससे वह अपने बाल-बच्चों को खिलाते हैं। अगर वे १०० रुपये का मुनीम रखें तो जो कुछ कमाते हैं वह सब उसे दे दें। तो दो ही रास्ते हैं या तो बेईमानी करके, रिश्वत देकर अपने को बचायें या अपनी दूकान बन्द कर दें। इसलिये मैं चाहूंगा कि या तो बिक्रीकर को उत्पादन कर की सूरत में लगाया जाय या इसे थोक बिक्री वालों तक ही सीमित रखा जाय।

श्री सैयद अली जहीर—गलतफहमी हो रही है। हमारा बिक्री कर ऐसे ताजिर पर है जिसकी बिक्री १२ हजार रुपये से ज्यादा हो। जिसकी बिक्री इससे कम है उस पर नहीं है। तो यह कहना कि जिनकी १,२०० रुपये सालाना आमदनी है उनसे लिया जाता है यह ठीक नहीं है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—मंत्री जी ने कहा कि बिक्री कर १२,००० रुपये की बिक्री पर रखा गया है। देखने में यह रकम ज्यादा मालूम होती है लेकिन .. . ...

श्री रामस्वरूप वर्मा—माननीय मंत्री जी ने कहा कि १२,००० रुपये पर टैक्स लिया जाता है जब कि हमारी सूचना है कि २५ हजार के ऊपर लिया जाता है। तो क्या मंत्री जी ने कोई नया नियम बना दिया है?

श्री सैयद अली जहीर—मैंने जो कहा वह सही है। सिर्फ अनाज के व्यापारियों के लिये यह हद २५,००० रुपये की है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—जिसकी दस बारह हजार की बिक्री है उसको मुश्किल से हजार रुपया बचता है। वह हजार रुपया कमा कर अपने बाल-बच्चों की परवरिश कर रहा है तो अगर वह एक मुनीम रखे, मुनीम एक हजार रुपये सालाना से कम पर नहीं मिलेगा। तो सिवा इसके कि वह भ्रष्टाचार का मार्ग अपनावे और पाप का भागी हो और क्या कर सकता है? मंत्री जी इस ओर ध्यान दें। इसमें उनका भी लाभ है। जितना कर उनको मिलना चाहिये उतना नहीं मिल रहा है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि यह मंत्री जी भी जानते हैं कि जहां टक्स ग्राहक पर लगाया गया और ग्राहक ने देखा कि इतना कर पड़ रहा है तो व्यापारी से वह एतराज करता है, इस पर व्यापारी कहने लगता है कि आपको कैशमेमो नहीं मिलेगी। वह कहता है कि ठीक है। दो रुपये हमको बच रहे हैं कैशमेमो न दीजिये। इसको मंत्री लोग और सभी लोग जानते हैं। अगर वह इस तरफ ध्यान देंगे तो सरकार की टैक्स की जो रकम डूब जाती है वह भी बच जायगी और भ्रष्टाचार भी कम होगा और जो नैतिकता का हनन हो रहा है वह भी समाप्त हो जायगा। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि उत्पादक कर की शक्ल में सरकार बिक्री कर लगा ले और उत्पादकों से ले ले। या थोक बिक्री करने वालों पर इस कर को लगायें और खुदरा दुकानदारों पर से यह कर का बोझ बिलकुल हटा दें।

श्रीमन्, इसके बाद मैं उस बात की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं जिसकी यह कांग्रेसी सरकार बराबर दुहाई देती है कि हम चाहते हैं कि गृह उद्योग बढ़ें, कुटीर उद्योग बढ़ें, छोटे-छोटे लोग उन्नति करें। लेकिन इस बिक्रीकर का बोझ इन कुटीर उद्योगों को यों परेशान किये हुये है कि यह सारे काम बरबाद हुए जा रहे हैं। श्रीमन्, गुड़ के ऊपर/खांडसारी के ऊपर, मुरादाबाद के बर्त्तनों के ऊपर, चूड़ी और कांच के कामों के ऊपर जो कि अनपढ़ कारीगरों का खास पेशा है और हमारे भारतवर्ष तथा हमारे प्रांत का खास गृह उद्योग है उस पर इस कर के लगाने का क्या नतीजा है? वह उद्योग बिलकुल बरबाद हो रहे हैं।

माननीय मंत्री जी यह कह सकते हैं कि किसानों पर हम कर नहीं लगाते। लेकिन मैं कहूंगा कि वह जरा मंडियों में जाकर देखें जहां काश्तकार गुड़, राब, खांडसारी बेंचने के लिये ले जाता है तो वह कच्चे आढ़ती के बिक्रीकर के रुपये उनसे काट लेते हैं। तो मैं तो यह सुझाव देना चाहता हूं कि अगर वह कर थोक दूकानदारों के ऊपर ले जाकर आप लगायें तो वह किसी को अखरेगा भी नहीं, भ्रष्टाचार भी खत्म होगा और काम करने वालों का भी उत्साह बढ़ेगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ ले जाऊंगा कि यह गुड़, खांडसारी चूड़ी और कांच के काम तथा मुरादाबाद के बर्त्तन इन सबके उद्योगों पर से टैक्स हटा दें और थोक दूकानदारों के ऊपर इसको लगा दें तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि देना तो हर हालत में उन्हीं किसानों मजदूरों वगैरह को ही है जो कि उसके भोक्ता हैं। उसको देने से किसी को एतराज नहीं है (व्यवधान) श्रीमन्, अभी हमारे पांच मिनट तो बाकी होंगे.....

श्री अधिष्ठाता—पांच मिनट नहीं, दो मिनट हैं। आप लालबहादुर जी की बात न सुनें। अपना भाषण जारी रखें।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—इसके बाद मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अनुदान संख्या ५५ की ओर ले जाना चाहता हूं जिसमें अनुदान बढ़ने को तो सात गुना बढ़ गया है, रकम सात गुना बढ़ा दी गई है। लेकिन गरीबों का अनुदान घटा दिया गया है केवल पूंजीपतियों के लिये बढ़ा है। मैं तो कहूंगा कि इस अनुदान ने इस सरकार का सही रूप सामने लाकर रख दिया है। इस अनुदान को लाकर के अपने को समाजवादी कहने वाली सरकार ने बिलकुल प्रत्यक्ष यह दिखला दिया है कि वह पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। इसके अन्दर किसानों की इमदाद घटा दी गई, कृषि उत्पादन बढ़ाने की इमदाद हटा दी गई, गन्दी बस्तियों के सफाई के अनुदान का परसेंटेज कम कर दिया गया है, ऋण का अनुदान बढ़ा दिया गया है। लेकिन वह ऋण किसको मिलेगा? वह गरीब किसानों को नहीं मिल पाता, छोटे-छोटे उद्योग वालों को नहीं मिल पाता है, वह मिलता है उन बिजली कम्पनियों को जो मजदूरों का गला काट रहे हैं, शहर वालों को परेशान कर रखे हैं और मजदूरों को निकाल रहे हैं।

बार बार मांग की गई है कि इनका राष्ट्रीयकरण किया जाय। लेकिन उनको बराबर रुपया देकर बढ़ाया जाता है। उनको रुपये की कमी नहीं है वह नाजायज फायदा उठाने के लिये लेते हैं। उन पूंजीपतियों को जैसे अभी चन्द्रजीत यादव जी ने बताया था कि कोई राजा साहब जिनके आगे राजा और पीछे सेठ लगा है उनके यहां ढाई लाख रुपये का कर्जा, और डेढ़ लाख रुपये के करीब ब्याज का आज तक बाकी है, लेकिन कोई कार्यवाही उनसे उसे वसूल करने की अब तक नहीं हुई है। उस पर माननीय लालबहादुर जी ने यह कहा कि कर्जा कभी न कभी तो वसूल ही हो जायगा और वसूल किया जायगा। मगर गरीब किसानों के ऊपर अगर तीन महीने या ६ महीने की मियाद बीत गई है तो उनकी वसूली के लिए उन्हें पकड़कर

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

मारा जायगा, पीटा जायगा, उनकी पीठ पर ईंट लादी जायगी और वसूली की जायेगी लेकिन किसी भी सेठ की वसूली इस प्रकार की हुई हो तो सरकार बता दे। किसी भी पैसे वाले से वसूली में इस प्रकार की सख्ती हुई हो तो वह बताये। किसानों की गाढ़ी कमाई का रुपया लेकर सरकार अपने पालनहारों को इस तरह से बढ़ा रही है। कर्जा दे रही है।

(श्री मोतीलाल अवस्थी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—अधिष्ठाता महोदय, हम लोगों ने भी कटौती के प्रस्ताव दे रखे हैं। तो क्या जिन लोगों के कटौती के प्रस्ताव हैं उनको मौका मिलेगा या नहीं?

श्री अधिष्ठाता—इस पर डिस्कशन हो रहा है। चन्द्रजीत जी यादव ने सदन में अपना कटमोशन मूव कर रखा है। सब लोग उस पर बहस कर रहे हैं।

श्री मदन पांडेय—हर कटौती को पेश करने वाले के कुछ मसले भी होते हैं जिनका वह यहां पर जिक्र करना चाहते हैं मेरे नाम पर भी एक कटौती का प्रस्ताव है तो क्या मुझे मौका मिलेगा?

श्री अधिष्ठाता—मैं आपको मार्क कर रहा था लेकिन आप सदन में मौजूद नहीं थे। अब आप कह रहे हैं कि मुझे मौका नहीं दिया जाता।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—अधिष्ठाता महोदय, आज हमारे सामने चार मदें हैं। इन चार मदों के बारे में थोड़ा-थोड़ा कह देना चाहता हूं। पहले मैं बिक्री कर के संबंध में कहना चाहता हूं। इस बिक्रीकर की आमदनी पिछले दो सालों में हमारे यहां बढ़ गई है। इसी के साथ साथ खर्चा भी हमारे यहां काफी बढ़ गया है। जहां पहले हमारे यहां ५५-५६ में इस पर २५ लाख खर्च होता था वह अब वहां ४१ लाख तक खर्च हो चुका है। यह वसूलयाबी का खर्चा बढ़ता जाता है। लेकिन बिक्री कर का जो एरियर है वह जहां का जहां पड़ा हुआ है।

अभी पिछले बजट अधिवेशन में जनरल डिस्कशन के मौके पर माननीय वित्त मंत्री के द्वारा यह पता लगा कि करीब पांच करोड़ रुपया अभी ऐसा है जो बिक्री कर का एरियर पड़ा है और वसूल नहीं हुआ है। तो मैं तब यह समझ पाया कि बिक्री कर के संबंध में हमारे अधिकारियों का वही वसूल करने का क्रम जारी है जब कि बिक्री कर का व्यय पिछले दो साल से ड्योढ़ा हो चुका है। आज बिक्री कर के संबंध में मुझे पिछली दलीलों को दोहराना नहीं है जिसके कारण बिक्री कर विशेष तौर पर निर्धन कृषक और दुकानदारों पर ज्यादा पड़ता है तब भी मैं आपका ध्यान उस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कही है।

वित्त मंत्री जी के भाषण में यह बताया गया है कि पिछले दो सालों में उन्होंने अधिकाधिक धन बिक्रीकर से प्राप्त किया है। उन्होंने यह बताया है कि ६०-६१ में बिक्री कर से जो १,७७,००,००० रुपये की आमदनी होने वाली है उसमें ६९ लाख की वृद्धि होगी। यह बिक्रीकर की आमदनी ५९-६० में १,६३,००,००० की हुई थी। इस बिक्रीकर में दिन प्रति दिन वृद्धि होती जाती है। इसका कारण सरकार ने कुछ यह बताया है कि हम अब ज्यादा वसूलयाबी कर रहे हैं और साथ ही साथ यह भी बताया है कि हमने थोड़ी-सी छूट दे रखी है। इन सब बातों को देखते हुये मैं यह कह देना चाहता हूं कि इस बिक्रीकर में सबसे बड़ी पोल है।

किसानों के ऊपर जो आपत्ति आ जाती है वह यह है कि २५,००० रुपया तक खाद्यान्न पर बिक्रीकर में छूट दी गई है लेकिन तब भी खाद्यान्न की बिक्री करने वाले जो किसान हैं उनसे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाजारों में बड़े-बड़े आढ़ती हमेशा बिक्रीकर घुमा-फिराकर वसूल कर लेते हैं और वह रुपया उनसे किसी न किसी रूप में लेकर अपने खाते में जमा कर लेते हैं और किसानों को यह विश्वास दिलाते हैं कि हम वह रुपया वापस कर देंगे लेकिन कभी किसी किसान को रुपया वापस नहीं होता। इसलिये २५,००० रुपये तक जो यह खाद्यान्न पर छूट मिलने की बात है वह नहीं के बराबर है। मेरा निवेदन है कि खाद्यान्न पर किसी प्रकार का कर न लगे और अगर लगता है तो आढ़तियों से वसूल करके किसानों का कर दिलाया जाय या कानूनी तौर पर इसकी मनाही कर दी जाय।

इसके साथ-साथ जो मुख्य आइटम है, बुढ़ौती भत्ते और निवृत्ति वेतन के अनुदान उस पर कुछ कहना चाहता हूं। यह जो बुढ़ौती के भत्ते के सिलसिले में सरकार ने नीति अख्तियार की है कि ७० साल के बूढ़ों के लिये कुछ सहारा दिया जाय वह हम लोगों की पुरानी मांग के अधीन ह कि या तो उन बेकार लोगों को भत्ता दो या काम दो। आज हम चाहते हैं कि न केवल आप ७० साल के बूढ़ों को सहारा दें बल्कि हिन्दुस्तान में औसत आयु जो ३० साल की है, उसको दृष्टि में रखते हुए यह सहूलियत अन्य उन लोगों को भी मिलनी चाहिये जो आज अपाहिज या वृद्ध हैं और जिनके पास काम नहीं है।

आज हिन्दुस्तान की स्थिति ऐसी है कि यहां कम से कम स्त्रियों को ६० साल की आयु में ही यह पेंशन मिलनी चाहिये। इस देश में जो स्वास्थ्य के साधन उपलब्ध हैं उन्हें देखते हुये इससे और कम आयु वालों को भी पेंशन मिलनी चाहिये। हमारी सोशलिस्ट पार्टी की मांग तो यह रही है कि बेकारों को सरकार को भत्ता देना चाहिये यदि सरकार उनको काम नहीं दे सकती। और हमने देखा कि सरकार पंचवर्षीय योजना के बाद भी बहुत से लोगों को काम नहीं दे सकी। इसके अतिरिक्त जो और पेंशनों की संराशि हमारे सम्मुख है उसमें कुछ ऐसी धनराशि है कि जो हिन्दुस्तान के बाहर कुछ लोगों को दी जाती है और कुछ केन्द्रीय सरकार को दी जाती है पहले के कानूनों के आधार पर। हमें इसके अन्दर कुछ सुधार करना चाहिये और उसमें कुछ ऐसा फेर बदल होना चाहिये कि जो वह पैसा है वह हमारे अपाहिजों और असहाय लोगों को दिया जाय बजाय उन लोगों के जो एक उच्च स्तर पर अपना जीवन यापन करते हैं और जिनको अपने इस सरकारी खजाने से हमको पेंशनें देनी पड़ती हैं।

व्याजवाले ऋण और अग्रऋण का अनुदान है ५५। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि सरकार की पालिसी यह है कि हम क़र्ज़ लेकर बड़े-बड़े विकास के कार्यों में उसे लगायें। लेकिन ऐसा करने में वे किसान को भूल जाते हैं। मैं अपने साथी की बात का समर्थन करता हूं जिन्होंने इस सम्बन्ध में सरकार की शिकायत की। यह स्पष्ट है कि इस योजना में सरकार किसानों को रुपया, क़र्ज़ देने में हिचकती है, पिछड़ जाती है और उन्हीं लोगों को क़र्ज़ देती है कि जो अपने पैरों पर चलने की शक्ति रखते हैं। जो नहीं चल सकते उनको सहारा देना हमारा पहला कर्त्तव्य होना चाहिये।

इस अनुदान में जो किसानों का भाग है उसे मैं बताना चाहता हूं इसमें बताया गया है कि सन् १९५८–५९ में ३ करोड़ ८२ लाख दिया गया और वह १९५९–६० में बजट तखमीने में १ करोड़ ४४ लाख रह गया और दोहराये हुये तखमीनों में २ करोड़ १९ लाख वृद्धि हुई। लेकिन १९६०–६१ में किसानों को ऋण देने के लिये फिर १ करोड़ २४ लाख है। और इस घटी का जो हिसाब बताया गया है वह विचित्र है। इसमें बताया गया है कि जो उर्वरक की राशि थी उसमें से २० लाख की कमी कर दी गई है। मैं नहीं समझता कि ऐसा क्यों किया गया। इसके साथ-साथ किसानों में जो क़र्ज़ देने के आइटम हैं उनमें कोई वृद्धि नहीं की गयी है? जितनी रकम पहल थी वह ज्यों कि त्यों मौजूद है।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

ठीक इसी तरह से हमारे पूर्व वक्ता ने जो बात बतायी कि गृह निर्माण योजना में कमी की गई है--२४,६५,००० रुपये की कमी की गयी है, इससे साफ़ जाहिर है कि इन कार्यों में कमी की जा रही है। लेकिन इसके विरुद्ध अगर हम देखें तो इसमें यह भी योजना है कि १५ लाख रुपया इन नगरपालिकाओं को--१० लाख तो लखनऊ को और ४ लाख के करीब आगरा नगरपालिका को भवन निर्माण के लिये दिया जा रहा है। मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दो दिन हुए मैंने प्रश्न किया था कि क्या कानपुर नगरपालिका को भवन निर्माण करने के लिये कोई रकम मंजूर की गयी है, तो जवाब दिया गया कि नहीं दी जा रही है। लेकिन हमें इसी में स्पष्टीकरण जो मिला है उसमें दिया गया है कि कानपुर महापालिका को भवन निर्माण के लिये १० लाख रुपया दिया जा रहा है। तो इन दोनों में कौन सा सत्य है? साथ ही जबकि किसानों के आवश्यक कार्यों में कमी की गयी है और ५० लाख की कमी की गयी है और उधर भवन निर्माण के लिए १५ लाख रुपया देना, यह सरकार की किस तरह की नीति है? मैं कहना चाहूंगा सरकार से कि जो अनुदान पेश हुये हैं उन्हें हम मान्य नहीं समझते और नामुनासिब समझते हैं।

*श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करते हुये उनसे एक विनम्र निवेदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सरकार की एक निश्चित नीति है कि छोटे उद्योगों पर किसी प्रकार का कर का बोझ न डालने के साथ-साथ उनके प्रोत्साहन के लिए जो कुछ भी हो सके वह संरक्षण दे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप जानते हैं कि मैं ऐसी जगह से आता हूं जहां का उद्योग न केवल अपने हिन्दुस्तान में बल्कि दुनिया में एक अपना प्रमुख स्थान रखता है और वह है मुरादाबाद के बर्तनों का उद्योग। यह उद्योग बहुत कुछ देखने से ताल्लुक रखता है। मैं आपको विशेषरूप से निमंत्रित करूंगा कि आप भी उसे देखें कि किस तरीके से इसके द्वारा लोग एक रा-मैटिरियल से, कांसे, पीतल और ताम्बे से खूबसूरत चीजें तैयार कर के, आपके कमरों की आरायश के लिये, जरूरत के लिये बर्तनों को तैयार करते हैं, और न केवल बर्तनों को, बल्कि आज इस जमाने में जब राष्ट्र के सामने विदेशी मुद्रा की कमी है, तब यह मुरादाबाद का उद्योग करीब ३ करोड़ के आसपास विदेशी मुद्रा आप के राष्ट्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिये देता है।

(इस समय ४ बज कर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

इस उद्योग के लिये जितना भी ज्यादा संरक्षण मिल सके उतना ही कम है और जितना ही सरकार इस पर धन दे उतनी ही राष्ट्र की बहुत बड़ी कमी को पूरा करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में मैं माननीय मंत्री जी और सदन की जानकारी के लिये इतना निवेदन और कर दूं कि यह उद्योग कोई मामूली उद्योग नहीं है। मुरादाबाद की सवा लाख के करीब आबादी में से ८० हज़ार के क़रीब आदमी इस उद्योग पर निर्भर करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मिट्टी के तैयार किये हुए सांचे में उस माल को गला कर भरते हैं, कुछ एसे हैं जो तांबे और पीतल को गलाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मिट्टी के सांचे तैयार करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो उनकी झलाई करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो उसके ऊपर पालिश करते हैं।

इस तरीके से पांच छः जगह से निकलने के बाद वह बर्तन अपने असली रूप में आ पाते हैं। उसके बाद व सजावट के बर्तन अपने असली रूप में हमारे सामने आते हैं। इसलिय अध्यक्ष महोदय, मेरे निवेदन करने का अभिप्राय यह था कि इस वर्ष सरकार कुछ विशेष कृपा बिक्री कर लगाकर इस उद्योग पर करने जा रही है। मेरा निवेदन है कि माननीय मन्त्री जी जरा गम्भीरता के साथ इस पर विचार करें। जैसा मैंने निवेदन किया इस कार्य को करने वाले जो लोग हैं, ये वे लोग हैं जो लिखना-पढ़ना नहीं जानते हैं। करीब ७०--८० फीसदी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनपढ़ लोग हैं। यह न एक तरह से गरीब मजदूरों की जिन्दगी का प्रश्न है, बल्कि हमारे पूरे राष्ट्र का सवाल है। यदि इस उद्योग पर आपने बिक्रीकर लगाया तो इससे वे कारीगर लोग बहुत परेशानी में पड़ जायंगे। यह भी ठीक है कि इससे कोई बहुत भारी रक़म आप को कर के रूप में नहीं मिलेगी। लेकिन वह बच्चे जो ६,७ साल की उम्र से इस उद्योग को सीखते हैं, और ८,७ वर्ष में उस उद्योग को करने योग्य हो जाते हैं। जो लिखा-पढ़ी करना जानते ही नहीं, एक मुसीबत में पड़ जायेंगे।

बिक्री कर देने में सब से बड़ी परेशानी उनके लिये यह होगी कि वे हिसाब-किताब नहीं रख पायेंगे। वे यह नहीं बता पायेंगे कि कितना माल उन्होंने खरीद कर बेचा है और कितना मजदूरी पर तैयार किया है। मैंने और वहां के अन्य लोगों ने भी इस तरफ माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया है कि वे लोग जो कच्चा माल देते हैं, माल ले कर मजदूरी पर उसको तैयार करते हैं, उनको इस बिक्री कर के जाल में न डाला जाय वे गरीब कारीगर एक घर में रहते हैं, एक ही छोटी सी भट्ठी लगाते हैं, सब मिलकर काम करते हैं इस तरह से एक मुसीबत में पड़ जायेंगे। वे तो ज्यादातर दूकानदारों से कच्चा माल ले जाकर मजदूरी पर ही चीजें तैयार करते हैं और अपनी मजदूरी ले लेते हैं।

अतः इन तमाम परेशानियों को माननीय मन्त्री जी ध्यान में रख कर जरा गम्भीरता के साथ सोचें, और उनकी स्थिति को समझ कर उन गरीब लोगों को इस कर से मुक्त करने की कृपा करें। यह उस शहर के उत्थान के लिये और लोगों को मुसीबत से बचाने के लिये जरूरी है कि सरकार अपनी थोड़ी सी आमदनी के लिये मुरादाबाद के ब्रासवेयर और बरतनों के ऊपर सेल्स टैक्स न लगावे। मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि कोई भी सरकार बिना टैक्स लगाये चल सकती है। लेकिन मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि टैक्स ऐसी जगह लगाना चाहिये जहां कि लोग आसानी से दे सकें और उसका भार सहन कर सकें।

एक बात और मैं इसी सिलसिले में निवेदन कर दूं कि पिछली बार खांडसारी पर टैक्स लगाया गया था, उसके बाद वह वापस ले लिया गया। उसका नतीजा यह हुआ कि हमारे किसानों से दूकानदारों ने वह सेल्स टैक्स वसूल कर लिया। सरकार के नाम से उन्होंने वह धनराशि लेकर अपनी जेबों में रख ली। इसलिये इस टैक्स की नीति में एक क्रान्ति की आवश्यकता है और वह यह कि जिन लोगों पर टैक्स लगाया जाय उनसे शीघ्रता से वसूल किया जाय। सख्ती के साथ उनसे वसूल होना चाहिये और उन्हीं पर टैक्स लगाया जाय जोकि टैक्स देने के काबिल हैं और इससे वह अपने को बचा न सकें। इन शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय मन्त्री जी के अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री मदन पांडेय--अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि हक़ न होते हुये भी आपने मुझे बोलने का मौक़ा दिया।

श्री अध्यक्ष--आपने तो आल्हा ऊदल को छिपा दिया इसलिये समय आप को मिल गया।

श्री मदन पांडेय--चूंकि माननीय मंत्री जी जोर जोर से बोलने पर नाराज होते हैं इसलिये मैं कोशिश करूंगा कि धीरे २ बोल कर उनको पिघलाने की कोशिश करूं। आज चार अनुदान सदन के समक्ष पेश हैं, इसमें सब से पहला बिक्री कर से संबंधित है। बिक्री कर के सम्बन्ध में मैं दो बातों की तरफ विशेष रूप से मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा। एक तो अभी गल्ले पर सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में जिक्र आया तो मन्त्री जी ने बताया कि पहले १२ हजार से ऊपर की बिक्री पर था और फिर इसको बढ़ाकर २५ हजार किया गया। अब २५ हजार से

[श्री मदन पाण्डेय]

ऊपर की बिक्री करने वालों को लाइसेन्स लेना पड़ता है। इस बारे में मैं उनसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस वक्त आपने १२ हजार की बिक्री पर टैक्स लगाया तो उस वक्त कुछ दलीलें दी गईं और फिर उसे बढ़ाकर आपने २५ हजार किया, लेकिन वह दलीलें आज भी ज्यों की त्यों हैं।

१२ हजार की बिक्री पर जब टैक्स था तब जिसकी मासिक एक हजार की बिक्री हुई उस पर टैक्स लगा यानी जिसने रोज ३० रुपये की बिक्री की वह टैक्स का देनदार हो जाता था फिर २५ हजार की वार्षिक बिक्री के माने हुये कि जो ६० रुपये की रोजाना बिक्री कर ले वह टैक्स का देनदार है। ६० रुपये में मुश्किल से एक बोरा मोटा अनाज खरीदकर वह बेच सकता है जिसमें कि उस को मुश्किल से एक रुपया या डेढ़ रुपया मुनाफा हो सकता है। तो अगर इतना मुनाफा कमाने वाले से सेल्स टैक्स मांगा जाय और उस को हिसाब रखने के लिये कहा जाय तो जिस प्रकार का कि हिसाब रखा जाना चाहिये उस को रखने के लिये ५०–६० रुपये से कम का मुनीम उसको नहीं मिलेगा अन्यथा उसको जिले के सेल्स टैक्स अधिकारी जिनको कि सम्बन्धित ऐक्ट के अन्तर्गत बहुत से अधिकार दिये हुये हैं वह परेशान करेंगे। तो अध्यक्ष महोदय, आप के जरिये मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, धीरे बोलकर, कि उन गरीब फुटकर व्यापारियों पर वह कृपा करें और इस २५ हजार की रकम को ऊंचा करने की कृपा करें।

दूसरे मुझे गुड़ और खंडसारी के बारे में निवेदन करना है। खंडसारी पर जो टैक्स लगाया गया वह दो रुपया सैकड़ा लगाया गया। इस समय जहां पर खंडसारी का व्यापार हो रहा है और जिस प्रकार से कर की वसूली हो रही है उसकी ओर मैं मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहले तो जो खंडसारी बनाकर प्रोड्यूसर लाता है वह जिसके हाथ बेचता है उस को कच्चा आढ़ती या ब्रोकर कहते हैं और फिर वह जिसके हाथ बेचता है उस को पक्का आढ़ती कहते हैं। इसलिये अगर यह व्यवस्था हो जाय कि पक्के आढ़ती से ही सेल्स टैक्स लिया जायगा तो उचित होगा। प्रोड्यूसर पर टैक्स नहीं लगना चाहिये। इसको सिद्धान्ततः सरकार भी स्वीकार करती है इसलिये मैं समझता हूं कि इसमें कोई झंझट नहीं होना चाहिये। सरकार की तरफ से यह आदेश निकलना चाहिये कि जो पक्के आढ़ती हैं उन्हीं से सेल्स टैक्स का सम्बन्ध है और किसी दूसरे से नहीं है।

दूसरी बात मुझे बुढ़ौती भत्ते के सम्बन्ध में कहनी है। मैं बड़ा आभारी हूं माननीय मन्त्री जी का कि उन्होंने सफेद बाल वालों पर कुछ थोड़ी-सी मेहरबानी की है और उनको यह आशा दिलाई है कि अगर वे कभी निराश्रित हुए तो उनको मदद मिलेगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आप के जरिये मैं मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि वास्तव में जो लोग इस सुविधा के अधिकारी हैं उनको यह नहीं मिल रही है। इसमें कुछ ऐसी बाधायें और पाबन्दियां लगाई गई हैं कि अगर प्रार्थी का कोई दूर का रिश्तेदार हो तो प्रार्थना अस्वीकृत हो जाय, उसके कारण वास्तव में जिन लोगों को यह पेंशन मिलनी चाहिये उनको इसका फायदा नहीं पहुंच रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस तरह का आदेश दें कि जो आदमी रुपये के लिये अर्जी देता है, तहसीलदार या जो भी जांच के लिये जावें वे उसे पैराफरनैलिया में न फंसाकर स्वयं इसकी जांच करें, वरना उचित व्यक्ति भी उससे लाभान्वित होने से रह जावेंगे।

मैं कर्ज व्यवस्था के लिये भी कुछ कहना चाहता हूं जिसके लिये बहुत बड़ा अनुदान है। हमें यह जानकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि पूर्वी क्षेत्रों के लिये कुल २ लाख रुपया कुओं के लिये रखा गया है। बड़ी कृपा की है। यह नहीं बताया कि इतने अधिक पिछड़े हुये इलाके के लिये केवल २ लाख रुपया किस हिसाब से रखा गया है। लगभग २ करोड़ की आबादी पूर्वी जिलों में रहती है, काफ़ी संख्या में काश्तकार भी हैं और काफ़ी जमीन असिंचित है। पक्के कुएं बनाने का मंशा खास तौर से सिंचाई के लिये ही होता है। हमने आज के अखबार में देखा कि इस मद में ४० लाख रुपया अतिरिक्त रखा गया है। अगर यह सही है तो मन्त्री

जी कनफ़र्म करें। इससे वहां के लोगों को बड़ा सन्तोष होगा। इसके अलावा यदि ४० लाख की जगह ४ करोड़ भी हो तो इसके उन लोगों तक पहुंचने में जिनको आवश्यकता है, सुविधा देनी चाहिये। अगर मैं भ्रष्टाचार शब्द कहता हूं तो मुख्य मंत्री जी नाराज़ होते हैं और शायद वित्त मंत्री भी नाराज़ हो जावें, मगर मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इसके लिये जो प्रोसीज्योर है उसे सादा बनाने की कृपा करें। बजाय इसके कि क़र्ज़ लेने वाला गांव के सेक्रेटरी साहब से लिखावे, पंचायत से सिफारिश करावे और फिर ब्लाक में दौड़े और फिर ऊपर आवे, ऐसा करें कि जो क़र्ज़ लेवे उनकी दरख़्वास्तें लेने के लिये जिले के स्तर पर एक अधिकारी नियत करें जो स्वयं गांव सभा या पंचायत आदि से पूछे। अगर यह नहीं होता है तो क़र्ज़ा स्वीकार हो जाने पर भी लेने वाले के पास आधी ही रकम पहुंच जाती है।

औद्योगिक विकास के लिये पूर्वी जिलों में मुझे देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि जहां ५९–६० में मन्त्री जी ने ५ लाख रुपया रखा था, वहां ६०–६१ के बजट के खाने में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं द रहा है। क्या इकानामिक रिसर्च की रिपोर्ट देखकर मंत्री जी को यह तो आभास नहीं हो गया कि पूर्वी जिलों की आमदनी बहुत काफ़ी है? मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जैसे यह ४० लाख रुपये वाली खबर है, भले ही वह बजट बनाते समय छूट गई हो, उसे भी साफ़ करने की कृपा करें क्योंकि पूर्वी जिले हर प्रकार से बैकवर्ड है और इसके बारे में कोई दो राय नहीं हैं। इसके अलावा पर्वतीय ज़िलों के लिये या बुन्देलखंड के लिये विशेष योजनाओं के लिये बराबर इस सदन में अनुरोध किया जाता रहा है। अब तक जो रकम रखी गई है वह पर्याप्त नहीं है। इतना कह कर सफेद बाल वालों की तरफ से मैं सरकार को धन्यवाद देकर अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

***श्री चन्द्रजीत यादव**––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने उन तमाम माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है। मैंने प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय बहुत सी बातों की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था और मुझे इस बात का विश्वास है कि जब तक सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन न करेगी तब तक सरकार जिस मकसद को लेकर चल रही है वह पूरा न होगा इसलिये मुझे विश्वास है कि मंत्री जी उनकी तरफ ध्यान देंगे।

कर्ज़ा देते समय पिछड़े हुये देशों में इस बात की आवश्यकता होती है कि कर्ज़ा उन बातों के लिये दिया जाना चाहिये जो प्रोडक्टिव आइटम्स हों और नानप्रोडक्टिव आइटम्स के लिये कर्ज़ा देने के बारे में हतोत्साहित किया जाना चाहिये। लेकिन यदि हम बजट को देखें तो आपको ऐसे आइटम्स मिलेंगे जो नान प्रोडक्टिव आइटम्स हैं और जिनको एवायड किया जा सकता था। इसमें १५ लाख रुपया महानगरपालिकाओं के भवन निर्माण के लिये दिया जा रहा है। इसमें लखनऊ नगरपालिका को १० लाख रुपया दिया जा रहा है। जिस किसी ने उसकी पुरानी बिल्डिग को देखा है वह बिना संशय के इस बात को कह सकता है कि उससे महापालिका का काम चल सकता है।

श्री सैयद अली जहीर––गालिबन अंग्रेजी की कापी में मिसप्रिण्ट हो गया है। वह रुपया लखनऊ की महापालिका के लिये नहीं है बल्कि कानपुर के लिये है।

श्री चन्द्रजीत यादव––श्रीमन्, मैं बड़ा आभारी हूं माननीय मंत्री जी का कि उन्होंने ठीक बात बता दी। श्रीमन्, इसी सदन में कई बार प्रश्न उठ चुका है वाराणसी महापालिका के बारे में। उसको सरकार ने २० लाख रुपया दिया था जब कि वहां के म्युनिसिपल बोर्ड के पास बड़ी अच्छी इमारत है। वहां के नागरिकों ने इसका बार-बार विरोध किया। इस

*वक्त ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

प्रकार से १ करोड़ रुपये के दिये जाने के लिये ५ महापालिकाओं की दरख्वास्तें सरकार के विचाराधीन हैं और १४ लाख रुपया इस साल भी दिया गया है। इस प्रकार की नीति इस तरह के पिछड़े हुये देशों में उचित नहीं है।

हमारे एक मित्र यूगोस्लेविया गये थे जब वे ऐरोड्रोम पर उत्तरे तो उन्होंने देखा कि उस विकसित हुए देश की बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स टिन से छायी हुई हैं। जब उन्होंने इस बात का कारण जानना चाहा तो बताया गया कि हम अपना धन अधिक से अधिक उन कामों पर खर्च करते हैं जिससे जनता की संवृद्धि का गहरा सम्बन्ध है, उसके जीवन का गहरा सम्बन्ध है। उत्पादन को बढ़ाना, उद्योगों की उन्नति करना आदि की व्यवस्था हो जायगी तो हम अच्छी इमारतों को भी बना लेंगे। लेकिन हमारे देश में तो ऐसी प्रथा है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा इमारतों पर खर्च करते हैं।

इसी तरह से इस बजट में १३ लाख रुपया सरकारी अधिकारियों की कारों के लिये रखा गया है इसके अलावा एक शख्स ने प्रार्थना-पत्र दिया था वृद्धावस्था की पेंशन के लिये। उसकी अवस्था ७४ साल की है, आय का कोई साधन नहीं है, गठिया की बीमारी है, आंखों से कम दीखता है, लेकिन सरकारी अधिकारी ने जवाब दिया कि चूंकि आपकी आमदनी ४ आना रोज की है इसलिये आपको पेंशन नहीं दी जा सकती है। तो जहां एक ओर कारों के लिये लाखों रुपया मंजूर करते हैं वहां क्यों नहीं ऐसे लोगों को और गरीब किसानों को खाद के लिये रुपया देते हैं जिससे उत्पादन बढ़े? आप उस हरिजन को रुपया की सहायता क्यों नहीं देते हैं जो अपने पैत्रिक पेशे को कायम रखना चाहता है? इसलिये आपको अपनी इन तमाम नीतियों में परिवर्तन करना होगा।

इसके अतिरिक्त उद्योगों के लिये ८३ करोड़ रुपया रखा गया है, लेकिन उसमें से बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो पहले से बिजली कम्पनियों को ऋण दिये जाने के लिये रखा गया था अब क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बन गया है इसलिये उसको ट्रांसफर कर दिया गया है और उसको १४ लाख रुपया दिया गया है। आशा है कि इस रकम से छोटे-छोटे उद्योगों और किसानों को मदद मिलेगी। यह रकम कम है सरकार को और इसे बढ़ाना चाहिये सरकार को उदारता के साथ इस बात पर भी विचार करना चाहिये कि सरकार केवल ऋण की व्यवस्था करके ही संतोष न कर ले, लेकिन उसको यह भी देखना चाहिये कि जो ऋण सरकार देती है उसका उपयोग कैसे होता है? जब तक उसके सदुपयोग के लिये नियम नहीं बनते तब तक चाहे ऋण १४ लाख का हो या ११४ लाख का, उसका कोई अर्थ नहीं हो सकता। उसके लिये आपके पास रुपया नहीं है, लेकिन इन तमाम बातों पर आप रुपया खर्च कर रहे हैं। इसलिये मैं नम्रतापूर्वक सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपनी इस प्रकार की नीति में परिवर्तन करे।

मेरा दूसरा अनुरोध श्रीमन्, कृषि और उद्योग के ऊपर है कि सरकार उसके लिये जो ऋण देती है उस सम्बन्ध में अपनी पालिसी को सही ढंग से निश्चित करे। अगर कोई इस साल के बजट को देखेगा तो उसे मालूम होगा कि इस साल ८३ करोड़ से अधिक रुपया सरकार ने ऋण के रूप में लोगों को देने के लिये रखा है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा भाग वह है जो बिजली कम्पनीज को ऋण के रूप में दिया गया है। अब चूंकि एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बन गया है इसलिये उसको ट्रांसफर कर दिया जायगा। इस तरह से ट्रांसफर करने के बाद वस्तुतः १४ करोड़ की रकम ऋण देने के लिये बच जाती है। इस तरह से मैं समझता हूं कि यह रकम बहुत कम है। जिस प्रकार सरकार ने घोषणा की है कि छोटे-छोटे उद्योग करने वालों को सरकार सहायता देगी, उसको देखते हुए उसे इस रकम को बढ़ाना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि सरकार को उदारता के साथ आवश्यक ऋण की व्यवस्था करनी चाहिये और उसे इस बात को देखना चाहिये कि जो ऋण वह देती है उसका उपयोग कैसे होता है। जब तक उसके सदुपयोग के नियम नहीं बनेंगे तब तक उसका ठीक उपयोग नहीं हो सकेगा ऋण की रकम आप १४ करोड़ से ११४ करोड़ भले ही कर दें, लेकिन अगर उसका सदुपयोग

नहीं होता है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। अभी एक माननीय सदस्य ने एटा के एक सज्जन श्री बाबूराम वर्मा जो कांग्रेसी हैं उनको सरकार द्वारा जो सहायता दी गई थी उसका जिक्र किया। उन्होंने बतलाया कि उक्त सज्जन को ८० हजार की रकम ऋण के रूप में दी गयी, लेकिन उस रकम को सरकार द्वारा माफ कर दिया गया। उनके पास देने के लिये दूसरे साधन थे, लेकिन उनको माफ कर दिया गया इसी तरह से कुछ लोगों को ट्यूबवेल्स बनाने के लिये रुपये दिये गय, लेकिन वे ट्यूबबेल्स नहीं बन सके। सरकार से जब इसकी शिकायत की गयी तो कहा गया कि कार्यवाही हो रही है, लेकिन अभी तक उस रुपये की वसूली नहीं हो सकी है। इससे साफ है कि सरकार की नीति कहने में तो कुछ और है और उसको कार्यान्वित करने का ढंग कुछ दसरा ही है। इस तरह से यह एक विरोधाभास है जो किसी भी देश और प्रदेश के विकास के लिये ठीक नहीं है।

छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये भी गवर्नमेंट की तरफ से ऋण देने का प्रबन्ध है। १६ लाख रुपया तो पक्के कुएं बनवाने के लिये रखा गया है और साढ़े २२ लाख रुपया ट्यूबवेल्स बनबाने के लिये रखा गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार की घोषित नीति तो यह है कि वह छोट-छोट पक्के कुएं बनवाने को प्राथमिकता देगी और यहां उन धनी किसानों के लिये जो अपने पास से भी पैसा लगा सकते हैं, ट्यूबवेल्स बनवाने के लिये साढ़े २२ लाख की रकम रखी गयी है, तो प्राथमिकता किसको हुई? मैं समझता हूं कि इस तरह से सरकार की नीति और उसके व्यवहार के ढंग में इस तरह का विरोधाभास नहीं होना चाहिये।

एक बात मुझे और कहनी है कुटीर उद्योग के सम्बन्ध में कि सरकार ने उसके लिये जो सेल्स टैक्स की नीति अपनायी है वह ठीक है। यह सही है कि कुछ चीजों पर सरकार ने छूट दी है, लेकिन देखने में यह आया है कि एक आइटम पर तो सरकार अभी छूट देती है और ६ महीने बाद फिर दूसरे आइटम पर छूट देती है। तो मेरा कहना यह है कि यह सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिये जिससे देश और प्रदेश के अन्दर कुटीर उद्योग आगे बढ़ सकें। अभी तीन, चार दिन पहले मैंने एक कमेटी का उद्धरण पेश करते हुए बतलाया था कि पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर १० परसेंट लोग उद्योग में लगे हुए हैं जब कि उत्तर प्रदेश जो पिछड़ा हुआ इलाका है, केवल २ प्रतिशत जनता ही उद्योग में लगी हुई है जब तक अधिक से अधिक जनता का भाग उद्योगों में नहीं लगता तब तक प्रदेश की जनता की आर्थिक स्थिति जो उसकी कमर टूट गयी है, जो आर्थिक बोझ उसके ऊपर पड़ा है, वह सुधर नहीं सकेगी।

सरकार को कुटीर उद्योगों के लिये ऋण देने में भी उदारता बरतनी चाहिये। इसके लिये मेरा सुझाव यह है कि तमाम कुटीर उद्योगों पर से सेल्स टैक्स हटा लेने की नीति सरकार को घोषित करनी चाहिये ताकि तमाम कुटीर उद्योग आगे बढ़ें। इससे सरकार की आमदनी में कुछ कमी हो जायगी, लेकिन हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जायगी और सुधर जायगी। यह कहा गया है कि १२ हजार की आय के ऊपर ही सेल्स टैक्स लगाया गया है, लेकिन श्रीमन्, सोचने की बात है कि एक व्यापारी जो एक बोरी गेहूं रोज बेंचता है, जो ५० रुपये का कम से कम गेहूं होता है जिस पर उसे प्रति दिन तीन, चार रुपया मिल जाता है, अब साल भर का हिसाब जोड़ें तो करीब १५ हजार के जाकर पड़ जाता है। तो यह तो कहने की बात है कि आपने १२ हजार की बिक्री के ऊपर ही सेल्स टैक्स रखा है, यह कह कर आप लोगों को भुलावे में न रखें।

महंगाई का जमाना है, ऐसे बढ़ते हुए भावों के जमाने में, शिक्षा तथा खाने तक का व्यय उठाना कठिन है तो जो छोटे व्यापारी हैं उनको कुछ और अधिक सीमा तक मुक्त करना चाहिये।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

मेरे विचार से कम से कम यह १२,००० की रकम बढ़ाकर लिमिट २०,००० तक कर दी जाय। यही विचार है कि जिन को आखिर में मैं माननीय वित्त मंत्री जी की सेवा में फिर प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि वह अपनी ऋण देने की नीति में भी परिवर्तन करेंगे।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि जो और भी ऐसी गलतियां छपाई वगैरा की हो गई हैं उन को पहले से ही गवर्नमेंट की तरफ से बता दिया जाय तो उचित होगा, उस से आसानी हो जायगी।

श्री सैयद अली जहीर---श्रीमन्, अगर कोई मेरे इल्म में आयेगी तो मैं पहले से ही बता दूंगा।

अध्यक्ष महोदय आज मेरे चारों अनुदानों पर एक साथ ही बहस हुई ह। इन अनुदानों के सम्बन्ध में जो बातें कहीं गई हैं मैं उन का जवाब मुखतसिर में सदन के सामने पेश करूंगा। यह मैं पहले ही अर्ज कर दूं कि जो बहुत से सुझाव दिये गये हैं वह मैंने नोट किये हैं और उन पर गौर भी किया जायगा। बहरहाल जैसा कि मैंने अपनी हर तकरीर में कहा कि हम बराबर इस बात के लिये तैयार रहते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज हमको बताई जाय जिसको हम दुरुस्त कर के जनता को ज्यादा सुभीता दे सकते हैं, उन को अधिक आराम पहुंचा सकते हैं तो उसके लिये हम हर तरह से और हर वक्त तैयार रहते हैं। इसी तरह से आज भी कुछ हवाले दिये गये, अगर कहीं पर किसी तरह का भ्रष्टाचार है या बदउन्वानी है हमारे अफसरों की और वह अगर हमारी इत्तिला में आयेंगे तो उस के लिये हम हर तरह का कदम उठाने के लिये और ऐक्शन लेने के लिये तैयार हैं।

एक बात मैं पहले ही अर्ज कर दूं कि जो अनुदान मैंने पेश किये हैं उन में कितना रुपया होना चाहिये, पुराना जो रुपया उन में था उस के मुकाबले में अब के कितना है वहां तक तो इस की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन आप ने जैसा कि खुद देखा होगा कि बहुत से ऐसे कर्जे हैं कि जिन का मसलन कोआपरेटिव विभाग का उस से ताल्लुक है, वह उन को चलाता है, बहुत से ऐसे हैं कि जो रेवेन्यू से चलाये जाते हैं, कुछ हैं जो लोकल-सेल्फ गवर्नमेंट के हैं वह कर्जा देते हैं हाउसिंग वगैरा के लिये देते हैं, उस में कोई कर्जा दिया गया और वह वापस नहीं लिया गया या उस में देर हुई या कोई और वजह हुई, यह बातें ऐसी हैं कि अगर हमारे माननीय सदस्य जब उन विभागों की मांग आये तो वह उन का ज्यादा इत्मीनान बख्श जवाब पा सकेंगे और जानकारी हासिल कर सकेंगे। मैं तो बहैसियत इस के कि क्योंकि इन मदों में रुपया रखा गया है, कितना कमोबेश हुआ वह सब आप के सामने पेश करके उस के लिये आप की सैंक्शन चाहता हूं। बाकी जब वह मांगें मुहकमों की आयेंगी और आप के सामने हर विभाग की तफसील व पूरी शक्ल सामने आयेगी तब आप को ज्यादा तसल्लीबख्श जवाब मिल सकेंगे।

पीलीभीत कालोनाइजेशन स्कीम के बारे में भी यहां कुछ कहा गया। उसके बारे में मैंने बजट देखा। मुझे मालूम होता है कि यह कोई खर्च था जो सन् ५८-५९ में खत्म हो गया और उसके बाद कम से कम इस साल मुझे उस के लिये कोई प्राविजन इस बजट में नहीं मिला। इस साल तो बजट में नहीं है, पुराने २ सालों में क्या खर्च हुआ और वह सही था या गलत था, इसका जवाब इस वक्त देना मेरे खयाल से मुमकिन नहीं है और न मैं बता सकता हूं कि क्या हुआ।

श्री चन्द्रजीत यादव---पीलीभीत का इस साल भी है। विकास योजनाओं में ११ नम्बर के आइटम पर देखिये।

श्री सैयद अली जहीर---४६४ सफे पर लखीमपुर खीरी कालोनाइजेशन स्कीम है। पीलीभीत का किस पेज पर है?

श्री चन्द्र जीत यादव--६०८। ग्रान्ट नं० ५५। ३ लाख ६१ हजार का है।

श्री सैयद अली जहीर--बहरहाल, मुझे मालूम नहीं कि किस डिपार्टमेंट से डोल किया जाता है। या तो प्लानिंग में होगा या किसी और में। राजा विशेश्वरदयाल सेठ का जो कर्जा है उसके मुताल्लिक प्रोपोजल यह था कि एक नया ऐग्रीमेंट कर लिया जाय। इस किस्म को तजवीज पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी में जहां कि इसको देखा गया था, आई थी। उसके लिये फायनेन्स डिपार्टमेंट ने लिखा कि इसके ऊपर अमलदरामद किया जाय और वह हुआ होगा। इसके मुताल्लिक ज्यादा तफसील डिपार्टमेंट मुताल्लिका आपको दे सकेगा।

यह कहा गया कि कल्टीवेटर्स के लिये कर्जे का कम इंतजाम किया गया। मुझे इसकी भी खास वजह नहीं मालूम है। लेकिन एक बात खुली हुई है कि कोआपरेटिव के जरिये से ज्यादा कर्जे देने का काम बढ़ रहा है। जहां तक गवर्नमेंट के डाइरेक्ट लोन का ताल्लुक है उसमें कमी आई हो और कोआपरेटिव से जो दिया जा रहा है जो रिजर्व बैंक वगैरह से मिलेगा उसमें बढ़े तो यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है। आपने देखा होगा कि अगर किसी किस्म की जरूरत पड़ती है जैसे बाढ़ वगैरह आ जाती है और ज्यादा खर्चा करना पड़ता है तो हम बराबर आपके सामने सप्लीमेण्ट्री ग्राण्ट के लिये आते हैं। लेकिन जहां तक ओरीजनल ग्रण्ट की बात है, एक एमाउण्ट रख दिया जाता है। उसी तरह से इस साल भी रखा गया है।

एडवान्स टु कल्टीवेटर्स में ५८-५९ में एक्चुअल था ३ करोड़ ८२ लाख। ५९-६० में १ करोड़ ४४ रखा गया था, लेकिन रिवाइज्ड हुआ २ करोड़ १९ लाख। इसी तरह से इस साल १ करोड़ २४ लाख रखा गया है। अगर जरूरत होगी तो और नहीं दिया जायगा, ऐसी बात नहीं है। बजाय इसके कि गवर्नमेंट उनको कर्जा दे बहुत कुछ उनको कोआपरेटिव्ज के जरिये से और खासतौर से सर्विस कोआपरेटिव्ज जो खुल रही हैं उनके जरिये से मिल जाएगा और फिर गवर्नमेंट को देने की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह से यह भी एतराज किया गया कि कर्ज की रकम बहुत बढ़ गई है। जैसा कि यादव जी ने अपने जवाब में कहा, ६८ करोड़ ८७ लाख की एक रकम है जो यू० पी० इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दी गई है। यह तो एक बुक ट्रांसफर है और उसकी वजह से लोन की रकम इतनी ज्यादा है। असल में यह वह सामान था जो इलेक्ट्रिसिटी का था गवर्नमेंट का और इसको बोर्ड को दे दिया है। बोर्ड को कर्जे की शक्ल में दे दिया गया है कि इतना रुपया गवर्नमेंट का बोर्ड के जिम्मे है इस तरह यह दिखलाया गया है। यह बुक ट्रांसफर है इसकी वजह से कोई बहुत ज्यादा इनफ्लेशन लोन का नहीं है।

एक बात और कही गई कि अफसरों को कर्जा क्यों दिया जा रहा है? जाहिर है कि इसका मुकाबला आप करते हैं ओल्ड एज पेंशन से, तो ओल्ड एज पेंशन तो अलग चीज है, लेकिन जो कर्जे अफसरों को दिये जाते हैं वह इसलिये ताकि वे अपने फरायज को ज्यादा अच्छी तरह से अदा कर सकें। उनसे सूद लिया जाता है और बराबर वह रुपया सरकार को मिलता रहता है और सरकार उस रुपये को अन्य कामों में लगाती रहती है। जिस तरह से हमारे बहुत से कर्जे हैं उसी तरह से यह कर्जा भी है और चलता है .....

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--कार तो आप वापस ले रहे थे आप कर्जा क्यों दे रहे हैं?

श्री सैयद अली जहीर--अब आप बैठे-बैठे सवाल करेंगे तो मैं कहां तक जवाब दे पाऊंगा।

श्री अध्यक्ष---वह कार के बारे में कह रहे थे।

श्री सैयद अली जहीर--मैं कार के ही कर्जे का जिक्र कर रहा था। जो कार हमने वापस ली हैं वे तो स्टाफ कारें हैं, लेकिन इसके माने यह नहीं हैं कि उनके पास अपनी भी कार न हो। जो कारों की कीमत आज हो गई है कोई अफसर अपनी तनख्वाह में से नहीं खरीद सकता। उसको लोन लेना पड़ता है इसलिये उसको कर्जा दिया जाता है कार खरीदने के लिये ताकि काम ऐफीशियेंसी के साथ कर सकें।

ओल्ड एज पेंशन का जिक्र किया गया। मैं एक बात बतला दूं, गालिबन माननीय सदस्य उससे वाकिफ नहीं हैं....

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि वित्त मंत्री जवाब दे रहे हैं अनुदानों के बारे में और हर मामले में कहते हैं 'गालिबन यह है' तो इस तरह तो जवाब स्पष्ट नहीं होता।

श्री अध्यक्ष--'गालिबन' वह आदतन कहते हैं। जो गालिबन वह कहें आप उस बात को सही समझ लीजिये।

श्री सैयद अली जहीर--जहां तक ओल्ड एज पेंशन का ताल्लुक है इसके मुताल्लिक मुझे यह कहना है कि कुछ रूल्स अब बदल गये हैं और जो पहले लम्बी लिस्ट थी दूर तक के रिश्तेदारों की जिनके होने की वजह से पेंशन नहीं मिलती थी वह कुछ तरमीम हो गई है जैसे लड़का हो या पिता हो, असली भाई हो या असली भाई का लड़का हो, शौहर हो या बीबी हो या शौहर का असली भाई या चचा का लड़का हो, यह इतने अजीज हैं। पहले तो बहुत दूर तक के अजीज होने पर पेंशन नहीं मिलती थी।

श्री चन्द्रजीत यादव--रूल बदल गये हैं?

श्री सैयद अली जहीर--वह भी मैं बताता हूं। ७० साल की उम्र है, देखने की चीज यह है कि अपने सूबे में हमने नई स्कीम चलायी है, गालिबन यह कहीं और किसी सूबे में रायज नहीं है। देखना यह है कि हम इसको किस हद तक ले जा सकते हैं। गरीबी इतनी ज्यादा है कि अगर उसको पेंशन के जरिये से देश की गरीबी को कम करना चाहें तो नहीं हो सकती हमारी कोशिश यह है कि हमारे यहां की गरीबी लोगों की आर्थिक दशा अच्छी करके दूर की जाय। अब जो लोग हैं उनको कुछ न कुछ तकलीफें हैं जिनको रफा करना है तो हमने उनके लिये ऐसी, ऐसी हालतों में, जो मैं पहले बता चुका हूं, हम १५ रुपया पेंशन देंगे। मैं और आप सब जानते हैं कि १५ रुपया आज के जमाने में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी करीब १३ या १४ लाख रुपया खर्च करना पड़ता है और लोग बराबर उसमें आ रहे हैं और तादाद बढ़ती चली जा रही है।

कहा गया है कि किसी की आमदनी चार आने प्रतिदिन है तो उसको क्यों नहीं देते हैं, किसी की ८ आने है तो उसको क्यों नहीं देते हैं। लेकिन बहस यह है कि एक तरफ वह आदमी है जिसको कोई आमदनी नहीं है और एक तरफ वह है जिसको चार आने आमदनी है तो उसके मुकाबले में जिसकी कोई आमदनी नहीं है आप किसको देंगे? अगर आप ४ आने की आमदनी वालों को देने लगेंगे तो सवाल यह होगा कि जो आमदनी है वह इसकी जिन्दगी के लिये काफी है या नहीं है। तो इस तरह से एक लम्बा सवाल पैदा हो जायगा कि अगर किसी की आमदनी कम है तो वह आमदनी उसके लिये काफी है या नहीं यानी इसकी इंक्वायरी शुरू की जाय और यह किसी के डिस्क्रिशन पर छोड़ा जाय। तो फिर यह एक लम्बा सवाल पैदा हो जाता

है। इसलिये हमने क्लीयर कट पाबन्दी के साथ यह तय किया है कि हम इस टाइप के आदमियों को दे सकते हैं और इस तरह के पेंशन के रूल्स बनाये गये हैं, उसमें बहस की कोई गुंजायश नहीं है।

पोलिटिकल पेंशन देते हैं तो कितनी शिकायतें होती हैं कि सन् ३० वाले को नहीं देते। ३० के बाद जो जेल गये उनको नहीं देते हैं। इस तरह की शिकायतें पैदा हो जाती हैं। तो कम से कम यह एक एक्सपेरिमेंट है। जैसे जैसे हमारे रिसोर्सेज बढ़ेंगे और हम समझेंगे कि इसकी जरूरत है तो इसे हम आगे परिवर्तन करते रहेंगे। एक कमेटी बनी हुई है जो इसकी वर्किंग को देखा करती है और जरूरत होती है तो रिकमेंडेशन्स देती है। अजीजों की फेहरिस्त बहुत लम्बी थी उस फेहरिस्त को छोटा कर दिया है।

इसके बाद एतराजात सेल्स टैक्स पर हुए। अच्छा होता कि हम बगैर सेल्स टैक्स के अपना काम चला सकते, लेकिन टैक्स एक लाजमी चीज है उसे लगाना पड़ता है। लेकिन जैसा अर्ज किया मैंने अपनी बजट स्पीच में जब प्लानिंग हो रही है तो हमको किसी न किसी तरह से रुपया हासिल करना है। सेल्स टैक्स के बहुत छोटे इंसीडेंस हैं। थोड़ा सा रुपया है, लेकिन मिलता है बहुत बड़ी तादाद से। जो खरीदने जाता है, २, ५ या १० रुपये की चीज वह उसको अदा करता है। जो बेचने वाला है वह हमारा एजेंट है।

बार बार यह सवाल उठता है कि वह जो दूकानदार है, वह बेचारा हिसाब किताब रखना नहीं जानता, वह कैसे सेल्स टैक्स का हिसाब रखेगा ? मेरी समझ में नहीं आता जितने भी व्यापारी हैं इसमें तो उनसे गलती नहीं होती कि ५ हजार का माल अगर उन्होंने खरीदा है तो उसे ४ हजार में उन्होंने बेच दिया। ५ हजार पर सवा ५ हजार वे वसूल कर लेंगे, लेकिन हमारा जो १ पैसा रुपया या २ पैसे रुपये में उनको लेने पड़ते हैं उसके लिये उनको हजार कठिनाइयां आ जाती हैं। अगर उनकी कोई चीज है, ४ आने दाम पड़ते हैं उसमें मुनाफा कुछ न कुछ जोड़ेंगे, दूकान का किराया जोड़ेंगे और अपना खर्चा शामिल करेंगे तो उसके बाद १ पैसा सेल्स टैक्स का भी जोड़ सकते हैं और इस तरह से मुनाफे के साथ उसे भी शामिल कर सकते हैं। यह कह देना कि हिसाब किताब रखना पड़ेगा यह समझ में नहीं आता। २५ हजार का कारोबार वह कैसे करेगा अगर उसे यह नहीं मालूम है कि मेरा कितना रुपया लगा हुआ है और कितना वापस आ गया ?

यह एक ऐसी बहस है जो महज एक हंगामा पैदा करने और एतराज करने के लिये है। मैंने तो खुद कहा कि अगर सेल्स टैक्स न लगे तो बहुत अच्छा है मगर मजबूरी भी तो कोई चीज है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि इस पर एतराज की कोई गुंजायश नहीं है।

एक माननीय सदस्य ने मुरादाबाद का जिक्र करते हुये कहा कि वहां के बर्तनों पर और मजदूरों पर सरकार सेल्स टैक्स लेती है और कहा कि ५ वर्ष की उम्र से ही वहां लोग काम करना शुरू कर देते हैं। बहरहाल, मैंने कई दफा इस मामले पर गौर किया और महीलाल जी से खुद बातचीत भी की और उनसे कहा कि आप यकीन रखिये, मजदूरी करके चाहे आदमी १० हजार रुपये भी कमा ले तो भी हम सेल्स टैक्स उस पर नहीं लगायेंगे, इन्कम टैक्स भले ही उसे देना पड़े। मगर जो शख्स माल बेचेगा उसके ऊपर हम जरूर सेल्स टैक्स लेंगे। खुद ही उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान में कहा कि माल दूसरे का होता है, बड़े बड़े महाजनों का जो मुरादाबाद, लखनऊ और दिल्ली में ही अपना माल नहीं बेचते बल्कि इस मुल्क के बाहर दूसरे मुल्कों को अपना माल भेजते हैं, लेकिन जब वे मजदूरों को अपना माल देंगे तो कहेंगे कि हमने बैनामा किया। तो खाली मजदूरी तो उस बेचारे को मिलेगी

[श्री सैयद अली जहीर]

और बाद में लिखेंगे कि हमने उससे खरीद लिया । तो असल में जो हजारों और लाखों रुपये का कारोबार करने वाले हैं वे ही सेल्स टैक्स बचाना चाहते हैं, लेकिन हमारे महीलाल जी को हमदर्दियां हासिल करने के लिये उन गरीबों को सामने लाते हैं । मैं तो कहता हूं कि मजदूरी, मेहनत करने वाला या कोई तस्वीर बनाने वाला या चिकन कढ़ाई करने वाला, इस तरह का कोई आदमी अगर १२ हजार क्या ५० हजार रुपये भी कमा ले तो भी एक पैसा सेल्स टैक्स का हम उससे नहीं लेंगे । सेल्स टैक्स तो किसी चीज़ की बिक्री पर लगता है और वह भी १२ हजार रुपये से ज्यादा की हो ।

फूडग्रेन्स के ऊपर बार बार एतराज किया गया कि हम फूडग्रेन्स पर सेल्स टैक्स लेते हैं । फूडग्रेन्स पर तो हमने बहुत दिनों के बाद, सन् ४८–४९ से सेल्स टैक्स लगाया है, और सूबों में तो बहुत पहले से लगा हुआ था, जैसे बम्बई, मद्रास वगैरह और वहां टैक्स भी इससे बहुत ज्यादा है । जैसा मैंने बार बार कहा, अपने डेवलपमेंट परपजेज के लिये हमारी मजबूरी है, हमको रुपया कहीं न कहीं से रेज करना है और फूडग्रेन्स से ९५ लाख के करीब हमको मिलता है । तो यह ऐसी रकम नहीं है कि इसको हम छोड़ सकें । अगर हम छोड़ सकते और कोई दूसरा टैक्स लगा सकते तो हम जरूर छोड़ देते ।

कुछ सदस्यों ने बार बार कहा कि सिंगिल प्वाइंट टैक्स लगाइये, जैसे किसी ने कहा कि धोती के ऊपर टैक्स लगता है । तो धोती पर अब टैक्स नहीं रह गया । इसी तरह खांडसारी के लिये शिकायत की । उस पर भी हम सेल्स टैक्स नहीं लगाते क्योंकि उस पर तो फैक्ट्री में एक्साइज ड्यूटी ले लेते हैं । जिस पर एक्साइज ड्यूटी ले लेते हैं उस पर सेल्स टैक्स नहीं लेते और गवर्नमेंट आफ इंडिया की भी यही पालिसी है । लेकिन बाजची जों पर हमें मल्टी प्वाइंट टैक्स लगाना पड़ता है । उन पर मजबूरन हम लगाते हैं । मुझे यही अर्ज करना है और आप लोगों से मेरी यह दरख्वास्त है कि कटौती को नामंजूर किया जाय और मांग स्वीकार की जाय ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)––मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं । क्या माननीय मंत्री जी इस बात का ध्यान रखते हुए कि हिन्दुस्तान की औसत उम्र बहुत कम है जो उम्र की पाबन्दी बुढ़ौती पेंशन पर लगायी गयी है उसको कम करने की कृपा करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर––वह तो जैसा कि मैंने अर्ज किया इसको एक्सपेरीमेंटल तरीके पर जारी किया है । हम भी जानते हैं कि यह नाकाफी है, लेकिन ७० वर्ष की जगह अगर ६५ वर्ष कर दिया जाय तो डेढ़ करोड़ रुपया हमें देना पड़ेगा । इस वजह से हम इसको घटा नहीं सकते ।

श्री अध्यक्ष––मैं एक-एक करके कटौती के प्रस्तावों तथा अनुदानों को लेता हूं ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८––बिक्री–कर के कारण व्यय लेखा शीर्षक : १२–क––बिक्री–कर के अन्तर्गत ४०,९९,५०० रुपये के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८––बिक्री–कर के कारण व्यय–लेखा शीर्षक: १२–क––बिक्री–कर के अन्तर्गत ४०,९९,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

१९६०–११ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान––अनुदान ७०५ संख्या ८–लेखा शीषक १२-क–बिक्री-कर के कारण व्यय, अनुदान संख्या ४०–– लेखा शीर्षक ५५–बुढ़ौती भत्ते और निवृत्ति वेतन (पेंशनें), अनुदान संख्या ५३–लेखा शीर्षक ८३–पेंशनों की संराशि का भुगतान, अनुदान संख्या ५५–लेखा शीर्षक त– ब्याज वाले ऋण और अग्र-ऋण

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०––बुढ़ौती भत्ते और निवृत्ति वेतन (पेंशनें)––लेखा शीर्षक ५५––बुढ़ौती (superannuation) भत्ते और निवृत्ति वेतन (पेंशनें) के अन्तर्गत २,३८,९५,६०० रुपयों के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट)––सदन का समय बढ़ाने की आवश्यकता होगी ?

श्री अध्यक्ष––१५ मिनट मैं बढ़ा सकता हूं । अगर आवश्यकता होगी तो बढ़ा दूंगा ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०––बुढ़ौती भत्ते और निवृत्ति वेतन (पेंशनें)––लेखा शीर्षकः ५५––बुढ़ौती (superannuation) भत्ते और निवृत्ति वेतन (पेंशनें) के अन्तर्गत २,३८,९५,६०० रुपये के मांग वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५३––पेंशनों की संराशि-लेखा शीर्षक : ८३––पेंशनों की संराशि का भुगतान के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५३––पेंशनों की संराशि लेखा शीर्षकः ८३––पेंशनों की संराशि का भुगतान के अन्तर्गत ८,००,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५५––व्याज वाले ऋण और अग्र-ऋण ––लेखा शीर्षकः त––राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्र-ऋण (advances) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५५––व्याज वाले ऋण और अग्र-ऋण लेखा शीर्षकः त––राज्य सरकार द्वारा दिये गए ऋण और अग्रऋण (advances) के अन्तर्गत ८३,८८,४२,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६० –६१ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ ;
२२ फरवरी, १९६० ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२८ पर)

दुकानों की सूची

स्थान का नाम	दूकानों की सं०	स्थान का नाम	दूकानों की सं०
मैनपुरी तहसील		२८—डिहुली ..	१
१—मैनपुरी ..	१०	२९—चंदीकारा ..	१
२—कुरनोली ..	४	**भोंनगांव तहसील**	
३—घिरोर ..	१	३०—भोंनगांव ..	४
४—गंगा जमनी ..	१	३१—बेवर ..	३
५—मदहन ..	१	३२—छाछा ..	१
६—अकबरपुर ओंछा ..	१	३३—अलीपुर खेरा ..	१
७—ज्योती ..	१	३४—सुल्तानगंज ..	१
८—कोसमा ..	१	३५—सिमरई ..	१
जसराना तहसील		३६—लालोपुरा ..	१
९—जसराना ..	३	३७—रकारी ..	१
१०—खेरगढ़ ..	१	३८—अलाहाबंस ..	१
११—मुस्तफाबाद ..	१	३९—पुन्दारी ..	१
१२—फरिहा ..	२	४०—कुरी बारा ..	१
१३—इका ..	१	४१—अराम सराय ..	१
१४—परहम ..	१	४२—रतनपुर बारा ..	१
शिकोहाबाद तहसील		४३—लेखराजपुर ..	१
१५—शिकोहाबाद ..	८	४४—नवीगंज ..	१
१६—माखनपुर ..	१	४५—कुसमारा ..	१
१७—सिरखागंज ..	३	४६—किसहानी ..	१
१८—मदनपुर ..	१	४७—सामन ..	१
१९—आजमबाद अरौन ..	१	४८—शमशेरगंज ..	१
२०—मादन ..	१	४९—रामनगर ..	१
२१—मरौल ..	१	५०—ऊंचा इस्लामाबाद ..	१
करहल तहसील		५१—छितयान ..	१
२२—करहल (टाउन एरिया) ..	४	५२—बीरपुर कलां ..	१
२३—कुरैह ..	१	५३—कुमहौल ..	१
२४—बरनाहल ..	१	५४—हिंदूपुर ..	१
२५—नावा डेरहा ..	१	५५—चौराईपुर ..	१
२६—रामपुरा ..	१	५६—मुन्दई ..	१
२७—सौज ..	१	५७—अलोपुर पट्टी ..	१

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२८ पर)

राज्य के बूढ़े तथा बेकार पशुओं की रक्षा व रखाव की व्यवस्था जिन गोसदनों में है उनकी सूची

क्रम–संख्या	गोसदन का स्थान व नाम	जिला
	राजकीय गोसदन	
१	.. गरजियासोत रामनगर ..	नैनीताल
२	.. मलगवां ..	इटावा
३	.. रानीपुर ..	बांदा
४	.. विछिया ..	बहराइच
५	.. वरवर ..	खीरी
	निजी गोसदन	
१	.. बढ़ा पचपेरा ..	पीलीभीत
२	.. श्री देहरादून गोशाला ..	देहरादून
३	.. श्री गंगा बिहारी गढ़ ..	सहारनपुर
४	.. सिकटही ..	मिरजापुर
५	.. श्री बेनी माधो नियाज ट्रस्ट ..	मिजापुर
	जिला गोसदन	
१	एटा .. २—मेरठ ..	३—मुजफ्फरनगर
४	बाराबंकी .. ५—उन्नाव ..	६—फर्रुखाबाद
७	सुल्तानपुर .. ८—फैजाबाद ..	९—अलीगढ़
१०	रायबरेली .. ११—गोंडा ..	१२—हरदोई
१३	इलाहाबाद .. १४—गोरखपुर	

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३६ पर)

बस्ती जिले में लोहे तथा सीमेंट के स्टाकिस्ट्स की सूची

लोहे के स्टाकिस्ट्स का नाम

१—गनेश प्रसाद राम लोचन राम	बस्ती
२—रामलोचन राम लक्ष्मी प्रसाद	,,

सीमेंट स्टाकिस्ट्स की सूची

१—गोकुलराम रामफल	बस्ती
२—डी०सी०डी०एफ०	,,
३—राधेकिशन बिमलकुमार	,,
४—गनेशप्रसाद रामलोचन राम	,,
५—रामलखन बाबूलाल	,,
६—गनेशराम रामप्रसाद	,,
७—हरनाथप्रसाद परशोत्तम प्रसाद	,,
८—काशीनाथ सरजूप्रसाद	,,
९—बनवारीलाल मुरारीलाल	,,
१०—यन०एस०लक्षमानी	,,
११—ठाकुरलाल सदनलाल	,,
१२—चत्तुरराम रामग्रासरे	खलीलाबाद
१३—सीताराम रामलखन	,,
१४—मोहनराम हीरालाल	,,
१५—राधेकिशन बिमलकुमार	,,
१६—नगेश्वरराम जगमोहन राम	,,
१७—विंध्याचलप्रसाद	तेतरी बाजार
१८—त्रिपाठी ब्रादर्स एन्ड क०	तेतरी बाजार
१९—सीताराम परसरामका	,,
२०—विभूतीराम पारसनाथ	,,
२१—बनारसीलाल खेतान	,,
२२—वंशीधर दुर्गादत्त	शोहरतगढ़
२३—रामकुमार किशनलाल	,,
२४—लादूराम बलरामदास	,,
२५—वंशीधर पीरामल	बढ़नी
२६—चिम्मनलाल बाबूलाल	,,
२७—महावीरप्रसाद राधेश्याम	,,
२८—परसोत्तमदास बालमुकुन्द	उस्का
२९—सीताराम परसरामका	,,
३०—रामदासराम ग्रात्माराम	,,
३१—गनेशप्रसाद रामलोचन राम	मुन्डेरवा
३२—रामदास दसरथप्रसाद	हरैया
३३—सुखईराम बजरंगीलाल	डुमरियागंज
३४—श्री दुर्गादत्त	मगहर
३५—शिवदीन रामगंगाप्रसाद	बभनान
३६—बनारसीलाल खेतान	कनवा बाजार
३७—श्री दुर्गादत्त	मेहदयावल
३८—भवानीदीन दुर्गाप्रसाद	,,
३९—गोकुलराम रामफल	महराजगंज
४०—गोकुलराम रामफल	गोविंद नगर
४१—चतुरराम रामग्रासरे	हरीहरपुर
४२—चतुरराम रामग्रासरे	,,
४३—चतुरराम रामग्रासरे	नाथनगर

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४० पर)

क्रम-संख्या	सहकारी समिति का नाम तथा क्षेत्र	रद्द की गई दूकानों के विरुद्ध आरोपों का विवरण
१	को० सोसाइटी, सब एरिया एमियांपुर, जौनपुर शहर	चल रही हैं ।
२	डि० को० डे० फेड्रेशन, शक्कर मंडी, जौनपुर	
३	को० यूनियन, मल्हनी	
४	को० सोसाइटी, रन्जीतपुर	
५	को० यूनियन, मखदूमपुर (जाफराबाद)	
६	को० सोसाइटी, नरौली (आदमपुर)	
७	को० सोसाइटी, कुद्दूपुर	
८	को० यूनियम, मड़ियाहू	
९	को० सोसाइटी, गोपालपुर	
१०	को० सोसाइटी, आलमगंज	
११	को० यूनियन, गुलजारगंज	
१२	को० सोसाइटी, हरद्वारी	
१३	को० सोसाइटी, अंडियार, कैरोदीखुर्द	
१४	को० सोसाइटी, बर्नाडीह	
१५	को० सोसाइटी, लूत्तीपुर, नरहन	
१६	को० यूनियन, बसगित	
१७	ग्रामीण तैल उद्योग स०सं०, मुफ्तीगंज	
१८	को० सोसाइटी, कनवानी	
१९	को० सोसाइटी, पुरेंब	
२०	को० यूनियन, शाहगंज	
२१	क्षेत्र सहकारी समिति, खेतासराय, उसरहटा	
२२	को० यूनियन, गमीरन	
२३	को० यूनियन, बदलापुर	
२४	को० यूनियन, महराजगंज, लोहरियांव	
२५	को० यूनियन, सुजान गंज, हिम्मतनगर	
२६	को० यूनियन, मछली शहर	चल रही है ।
२७	कं०को० सोसाइटी, सब एरिया सी रब्बान्तगी टोला, जौनपुर	ऋण ग्रस्त होने तथा पूंजी के अभाव वश त्याग-पत्र दे दिया ।

क्रम-संख्या	सहकारी समिति का नाम तथा क्षेत्र	रद्द की गई दुकानों के विरुद्ध आरोपों का विवरण
२८	को० यूनियन, शम्भूगंज, लसौउवां	गल्ला उठाने में असमर्थ ।
२९	को० यूनियन, बक्सा	त्याग पत्र दे दिया ।
३०	को० यूनियन, नौपेड़वा	गल्ला उठाने में असमर्थ ।
३१	को० यूनियन, गोनापार, खपरहां	जिला सहकारी अधिकारी ने दुकान समिति द्वारा किराये चलाने (subletting) के कारण रद्द करने की सिफारिश की ।
३२	को० यूनियन, भंकुरा	गल्ला उठाने में असमर्थ ।
३३	को० सोसाइटी, गौरा बादशाहपुर	विक्रय सीमा का उल्लंघन, गल्ले में निर्धारित मात्रा से अधिक छीजन स्टाक रजिस्टर में अंकित गल्ले को न दिखाना, बिना आज्ञा गल्ले को दुकान के अलावा अन्यत्र रखना ।
३४	को० यूनियन, सिकरारा	गल्ला उठाने में असमर्थ ।
३५	को० सोसाइटी, बसालतपुर, शम्भूगंज	आदेशों का उल्लंघन दूकान सिर्फ मुनाफे का कुछ अंश लेकर दूसरे से चलवाना ।
३६	को० सोसाइटी, सदनपुर	गल्ला उठाने में असमर्थ ।
३७	को० सोसाइटी, मोकलपुर	त्याग पत्र दे दिया ।
३८	जयसिंह को० फा० सोसाइटी, नोनारी	निर्धारित मात्रा से अधिक छीजन स्वीकृत केन्द्र के अलावा अन्य स्थान पर बिक्री करना बार बार चेतावनी देने पर भी कोई फल नहीं ।
३९	को० यूनियन, जमालापुर	असाधारण त्रुटियों बिक्रय रजिस्टर में मिलीं, निर्धारित मात्रा से अधिक छीजन भागीदारों ने अपने हिस्से का रुपया वापस ले लिया, दूकान बहुत दिनों तक बन्द रही ।
४०	को० यूनियन, बहेरी, अतहरपार	मुनाफे के कुछ अंश लेकर दुकान दूसरे से चलवाना उपयुक्त मात्रा में अन्न का स्टाक रखने में असमर्थ सप्ताह तक दुकान में कोई अन्न का न होना ।
४१	को० सोसाइटी डोंभो चन्दबल	गल्ला उठाने में असमर्थ ।
४२	को० यूनियन मुफ्तीगंज	गल्ला उठाने में असमर्थ ।
४३	को० यूनियन जलालपुर	निर्धारित बिकी की सीमा की अवहेलना, बारम्बार आदेश देने पर भी आज्ञाओं का उल्लंघन ।
४४	को० यूनियन सिरकोती	भागीदारों ने अपना रुपया वापस कर लिया, अनेक दिनों तक दूकानों में माल का न होना, निर्धारित सीमा से अधिक छीजन धनाभाव के कारण दुकान चलाने मे असमर्थ विक्रय सीमा का उल्लंघन ।

क्रम-संख्या	समिति का नाम तथा क्षेत्र	रद्द की गई दूकानों के विरुद्ध आरोपों का विवरण
४५	को० यूनियन, खुटहन	सेल्स रजिस्टर में फर्जी इन्दराज, स्टाक अधिक पाया गया, बारम्बार आदेश के बावजूद त्रुटियों को ठीक न करना एवं त्रुटियों का कारण बताने से इन्कार ।
४६	को० यूनियन, खेतासराय	उपयुक्त मात्रा में स्टाक न रखना, दुकानदारी के कर्त्तव्यों की अवहेलना, आदेशों की अवहेलना, निर्धारित विक्रय सीमा का उल्लंघन, बारम्बार आदेश देने पर भी त्रुटियों का न सुधारना, असमय दुकान खोलना ।
४७	को० यूनियन, मेंहरावां	गल्ला उठाने में असमर्थ ।
४८	को० यूनियन, पंवारा	गल्ला उठाने में असमर्थ ।
४९	को० यूनियन, मटहर	गल्ला उठाने में असमर्थ ।
५०	को० यूनियन, मुगरहाबादशाहपुर	गल्ला उठाने में असमर्थ ।
५१	क्षे० सहकारी समिति, धौरहरा	त्याग पत्र दे दिया ।
५२	को० यूनियन, गरियाब	गल्ला उठाने में असमर्थ ।

नोट—क्रम सं० १–२६ तक की दूकानें चल रही हैं, शेष रद्द कर दी गई हैं।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४१ पर)

सूची

जलकुम्भी के खाद बनानें की योजना पूर्वीय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित १५ जिलों में चलाई जा रही है---

१—वाराणसी
२—जौनपुर
३—गाजीपुर
४—मिर्जापुर
५—बलिया
६—गोरखपुर
७—देवरिया
८—बस्ती
९—आजमगढ़
१०—फैजाबाद
११—गोंडा
१२—सुल्तानपुर
१३—प्रतापगढ़
१४—बहराइच
१५—इलाहाबाद

२—इस योजना की मुख्य रूप-रेखा तथा जलकुम्भी खाद बनाने की विधि निम्न प्रकार है:

इस योजना में जलकुंभी को एकत्रित किया जाता है जिसकी प्रति टन लागत लगभग ८ रु० आंकी जाती है। लगभग १० टन जलकुंभी से एक टन खाद निकलती है और इस प्रकार जलकुंभी खाद की कीमत लगभग ८० रु० प्रति टन होती है। ३०,००० टन जलकुंभी से ३,०००टन खाद के बनाने का लक्ष्य है और ८ रु० प्रतिटन की राज्य सहायता (subsidy) के हिसाब से २४,००० रु० राज्य सहायता के लिये तथा १,००० आकस्मिक व्यय के लिये अनुमानित खर्चा है, अतएव इस योजना पर २५,००० रु० प्रति वर्ष का व्यय निर्धारित किया गया है।

३---खाद बनाने की विधि यह है कि जलकुंभी तालाबों से एकत्रित करके सुखा ली जाती है और फिर गड्ढों में अथवा ढेर में नाप कर इकट्ठी की जाती है और इस जलकुभी का १/३ हिस्सा खाद का वजन माना जाता है। ८×६×३ का गड्ढा लगभग ३ टन सूखी जलकुंभी के लिये पर्याप्त समझा जाता है और इस में लगभग १ से २ टन तक खाद प्राप्त होती है।

४---विगत वित्तीय वर्ष अर्थात् १९५८–५९ में जब से यह योजना कार्यान्वित हुई है। १३,२६० रुपया खर्च हुआ और चालू वर्ष (अर्थात् १९५९–६०) के व्यय की रकम अभी ज्ञात नहीं है।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४२ पर)

हरदोई जिले में माह नवम्बर, १९५९ में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा दिये गये लोहे के कोटे का विवरण

क्रम-संख्या	प्रार्थी का नाम व पता	लोहे की श्रेणी	मात्रा जो दी गई	किस कार्य के निमित्त दिया गया
१	२	३	४	५
	जिले का कोटा			
१	श्री गौरीशंकर गुप्ता, मंलावां	एम०एस०प्लेट	१०	हाडखेट ईंट का भट्ठा
२	सर्वश्री पुत्तूलाल महाबीरप्रसाद, सदर बाजार।	कांटेदार तार	४	„ बाउन्डरी
३	सर्वश्री बच्चू लाल मोहनलाल, मालिक ईंट भट्ठा	काली चद्दर	३ हं०१३ पौंड	ईंट भट्ठे की चिमनी
	नियोजन कोटा			
१	डा० ए०पी० सिन्हा, सराई थोक	लोहे की सरिया	हंडरवेट ७	मकान बनाने के लिये
२	श्री सुरेंद्रसिंह, पलिया पश्चिम	नालीदार चद्दर	६	छप्पर
३	श्री राजेश नाथ कपूर, बिलग्राम	„	१०	ईंट भट्ठा
४	श्री जोग राम पाठक, क्लर्क हेड, पो०आ०	लोहे की सरिया	७	मकान बनाने के लिये
५	श्री राम भगत अग्रवाल, रेलवे गंज	नालीदार चद्दर	६	छप्पर
६	श्री माया राम, रेलवे गंज	„	६	„
७	श्री जमीर हुसैन खां, मालिक ईंट भट्ठा	„	५	ईंट भट्ठा
८	श्री त्रिवेणी सहाय अस्थाना, मैनेजर, बलबिहार	ऐंगिल लोहा	२	मोटर गैराज
९	श्री छोटे सिंह, दलेल नगर	नालीदार चद्दर	४	छप्पर
१०	श्री जी०वी० गुप्ता, मंलावा	„	८	ईंट भट्ठा
११	श्री पारस राम, सुरेंद्र सदन	„	२	छप्पर
१२	हानेरेरी सेक्रेटरी, डी०सी०डी०एफ०	एंगिल आयरन	१०	ईंट भट्ठा
१३	श्री नरेंद्र नारायण मिश्रा, वकील	लोहे की सरिया	२	मकान बनाने के लिये
१४	जिला हरिजन कल्याण अधिकारी	सरिया	१०	मकानों को बनाने केलिये
१५	श्री बाबू लाल, नई बस्ती, रेलवेगंज	नालीदार चद्दर	३	छप्पर
१६	श्री जी०वी० गुप्ता, चेयरमैन, टाउन एरिया, मंलांवा	ऐंगिल आयरन	४	ईंट भट्टा
१७	श्री सियाराम, रेलवेगंज	नालीदार चद्दर	६	छप्पर
१८	हानरेरी सेक्रेटरी, डी०सी०डी०एफ०	„	२	ब्रिक क्लिन
१९	श्री राम नाथ, एम०एल०सी०	सरिया	२	मकान के मरम्मत

क्रम संख्या	प्रार्थी का नाम व पता	लोहे की श्रेणी	मात्रा जो दी गई	किस कार्य के निमित्त दिया गया
१	२	३	४	५
			हंडरवेट	
२०	श्री सवरन सिंह, शकतपुर	नालीदार चद्दर	२	छप्पर
२१	श्री बाचू लाल मोहन लाल, मालिक ईंट भट्ठा ..	,,	४	ईंट भट्ठा
२२	श्री आदित विक्रम सिंह, वकील, सिविल लाइन	,,	४	छप्पर
२३	श्री बुलाकी राम वर्मा, एम०एल०ए०	नालीदार चद्दर	४	छप्पर
२४	श्री एस०एस०बक्सी, सरकारी वकील	,,	१ टन	छप्पर
२५	श्री शम्भूदयाल अवस्थी, कवाहीपुरवा	,,	५	छप्पर
२६	श्री सिराजुद्दीन, गोपामऊ	नालीदार चद्दर	५	छप्पर
२७	श्री जे०वी०सिंह, बरथापुर	एंगिल लोहा	२	लोहे का फाटक
२८	श्री विसन स्वरूप सेठ, रेलवेगंज	,,	१	बस के लिये
२९	श्री कर्मवीर गुप्ता, न्यू सिविल लाइन ..	सरिये	२	मकान बनाने के लिये
३०	श्री चंद्रिका बक्स सिंह, रिटायर्ड डी०एस०पी०	आयरन बार	४	,, ,,
३१	श्री साविर हुसैन, रेलवे गंज	सरिया	४	,, ,,
३२	श्री शिवदीन, एम०पी०, गोपामऊ	जी०सी०सीट	६	छप्पर के लिये
		जिले का कोटा		
			हंडरवेट	
१	श्री फूलचन्द अग्रवाल, सर्वश्री फूलचन्द सीताराम	कांटेदार तार	८	बाग के घेरे के लिये।
२	श्री माधो प्रसाद, चौराहा नुमाइश	एम०एस०प्लेट्स	१	कराही तथा तवा
३	श्री महेन्द्र सिंह, यूनाईटेड इंडस्ट्रीज, सिविल लाइंस	जी०सी०शीट्स २४ जी०	४	मकान बनाने के लिये।
४	श्री कुसुम्भी दयाल गुप्ता, गौरी आश्रम	,,	२	बावरची खाने के छप्पर के लिये।
५	श्री गंगा प्रसाद, रेलवेगंज	,,	३	छप्पर के लिये।
६	श्री लेख राज सिंधी, ईंट भट्ठा मालिक, सांडी	,,	४	ईंट भट्ठा
७	तहसीलदार, हरदोई	सरिया	२	सरकारी कार्य
८	श्री बासदेव, चपरासी, खजाना	सरिया	३	छत के लिये
९	श्री ठाकुर प्रसाद तंबोली, हरदोई	सरिया	३	घर का जंगला
१०	जिला हरिजन कल्याण अधिकारी,	सरिया	१९	हरिजन निवास
११	श्री छतर पाल सिंह, जमादार, जिलाधीश	कांटेदार तार	८	घेरे के लिये
१२	तहसीलदार, हरदोई	नालीदार चद्दर	१	तहसील के लिये
१३	श्री राजा राम, टैक्स कलेक्टर, जिला बोर्ड	सरिया	३	घर बनाने के लिये

क्रम-संख्या	प्रार्थी का नाम व पता	लोहे की श्रेणी	मात्रा जो दी गई	किस कार्य के निमित्त दिया गया
१	२	३	४	५
१४	अवैतनिक मंत्री, गन्ना विकास, हरदोई	एम०एस०प्लेट्स सरिया	१ टन	कार्यालय भवन
१५	सर्वश्री बाल मंगल प्रकाशन, संडीला	नालीदार चद्दर	७ टन	हजारा बनाने के लिये
	नियोजन कोटा			
१	श्री फूलचन्द अग्रवाल, सदर बाजार	ऐंगिल लोहा	७	घेरे के लिये
२	श्री शिव दीन हलवाई, हरदेवगंज, शब्जी मंडी	,,	२	छप्पर के लिये
३	श्री मूल कृष्णचन्दी, पुरवा	,,	२	घेरे के लिये
४	श्री दिवेंद्र विक्रमसिंह, सुरेंद्र सदन	सरिया	१	मकान के लिये
५	श्री श्याम सुन्दर, क्लर्क, खजाना सदर	सरिया	१	,, ,,
६	श्री महादेव प्रसाद वर्मा, सदस्य, नगर पालिका, सन्डीला	नालीदार चद्दर	६	छप्पर के लिये
७	श्री टी०एन०गौड़, रेलवे स्टेशन रोड	एंगिल लोहा	१	फाटक
८	श्री मुहम्मद ताहिर, सदर बाजार	सरिया	१	३क्व मकान बनाने १६ पौं० के लिये
९	तहसीलदार, हरदोई	एंगिल लोहा	२	क्वार्टर मकान बनाने के लिये
१०	श्री ठाकुरप्रसाद, व्हाईटगंज	,,	१	,, ,,

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४३ पर)

तालिका 'ख'

क्रम-संख्या	जलाशय का नाम	क्षेत्र	तहसील	विवरण
		एकड़		
१	बादशाही तालाब	१२·१४	शाहगंज	मत्स्यपालन हेतु उपयुक्त बनाने के लिये जलाशय में सुधार किया गया।
२	रानी मऊ	७५·००	—	,, ,,
३	राजपत १ से ६ तक	१·८३	सदर	मछली के अंडों और बच्चों को पालने के लिये नरसरी का सुधार किया गया।
४	लकधहवा १ से ४ तक	१·६४	,,	,, ,,
५	सिद्दीकपुर	१·००	,,	,, ,,
६	सिकरारा	०·७८	,,	,, ,,
७	मीतगढ़ी	३·९	,,	,, ,,
८	उमरपुर	०·२५	,,	,, ,,
९	नई गंज	०·५	,,	,, ,,
१०	कलीचाबाद	१·२५	,,	,, ,,
११	मैनीपुर	०·४१	,,	,, ,,

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७१–७३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४५ पर)

तालिका 'क'

जिला	गेहूं का क्षेत्रफल एकड़ों में		गेहूं की उपज टनों में	
	१९५७–५८	१९५८–५९	१९५७–५८	१९५८–५९
गोरखपुर	१,९१,०३९	२,०१,८७८	४२,८८१	५४,८६५
देवरिया	१,६६,६४६	१,७२,९६५	५१,८७८	४२,२१९
बस्ती	२,९४,०८८	२,८१,५२६	८७,५२१	७६,४६४
आजमगढ़ ..	४९,३०६	५३,३६८	१५,८४४	१२,६५७
योग ..	७,०१,०७९	७,०९,७३७	१,९८,१२४	१,८६,२०५

जिला	धान का क्षेत्रफल एकड़ों में		चावल की उपज टनों में	
	१९५७–५८	१९५८–५९	१९५७–५८	१९५८–५९
गोरखपुर	५,६३,१२२	५,८४,५७२	१,२४,०९४	१,६१,९२८
देवरिया	४,४२,८८८	४,३१,२०५	७५,४५९	९४,७८५
बस्ती	७,४६,९६३	७,३६,३१५	१,४८,२४१	२,०८,३७२
आजमगढ़ ..	४,६५,५७४	४,७९,८८३	७७,७९६	१,२२,५३८
योग ..	२२,१८,५४७	२२,३१,९७५	४,२५,५९०	५,८७,६२३

नोट––चावल की उपज प्राप्त करने के लिये धान के आंकड़ों का २/३ किया गया है।

जिला	गन्ने का क्षेत्रफल एकड़ों में		गन्ने की उपज गुड़ के रूप में टनों में	
	१९५७–५८	१९५८–५९	१९५७–५८	१९५८–५९
गोरखपुर	५९,९११	५८,१४५	५६,३०३	७३,१९१
देवरिया	१,७९,१३२	१,८०,१६८	१,७३,९७४	१,९२,१८२
बस्ती	७४,६५५	७३,१३०	७०,०२७	९२,९५७
आजमगढ़.. ..	८६,२७६	८४,८७०	७०,११४	७९,७३४
योग ..	३,९९,९७४	३,९६,३१३	३,७०,४१८	४,३८,०६४

तालिका 'ख'

जिला	गेहूं का क्षेत्रफल एकड़ों में		गेहूं की उपज टनों में	
	१९५७–५८	१९५८–५९	१९५७–५८	१९५८–५९
वाराणसी	७०,१५२	७८,८५४	१५,५०१	१७,५१९
मिर्जापुर	६७,९६७	९३,५३१	१५,०१८	१९,०५५
जौनपुर	६५,७४४	६५,३८९	१४,५२७	१७,६२९
गाजीपुर	३४,१५२	३६,९६४	७,५४७	९,१२६
बलिया	३८,९५४	४७,१२३	८,६०८	१३,४९८
योग ..	२,७६,९६९	३,२१,८६१	६१,२०१	७६,८२७

जिला	धान का क्षेत्रफल एकड़ों में		चावल की उपज टनों में	
	१९५७–५८	१९५८–५९	१९५७–५८	१९५८–५९
वाराणसी	३,१८,४४७	३,२६,०८४	६२,७४०	१,०७,३७३
मिर्जापुर	३,१५,१५१	३,२७,०२०	५४,२०२	९८,५२९
जौनपुर	१,८७,२१७	१,८८,३९०	२९,०४१	४८,७११
गाजीपुर	२,२०,५७१	२,२५,६२५	२०,६६५	५०,६३७
बलिया	१,९३,१०९	१,८७,३४५	२९,५३३	४४,४२१
योग ..	१२,३४,४९५	१२,५४,४६४	१,९६,१८१	३,४९,६७१

नोट––चावल की उपज प्राप्त करने के लिये धान के आंकड़ों का २/३ किया गया है।

जिला	चने का क्षेत्रफल एकड़ों में		चने की उपज टनों में	
	१९५७–५८	१९५८–५९	१९५७–५८	१९५८–५९
वाराणसी	९४,१००	१,०६,०७०	२२,६९६	२२,६४०
मिर्जापुर	१,०२,१०९	१,३२,९८९	१८,०७२	२४,९३८
जौनपुर	२९,९३९	३२,५९४	७,८९८	६,८३४
गाजीपुर	८५,८८१	९५,१८२	२२,६५६	२७,४२४
बलिया	१,०६,२४२	१,०५,०५६	२७,२४६	३०,२८०
योग ..	४,१८,२७१	४,७१,८९१	९८,५६८	१,१२,११६

तालिका 'ग'

जिला	गेहूं का क्षेत्रफल एकड़ों में		गेहूं की उपज टनों में	
	१६५७–५८	१६५८–५६	१६५७–५८	१६५८–५६
मेरठ	३,८६,६३६	३,६१,४३२	१,३१,८२७	१,६२,०२६
बरेली	२,२७,८४६	२,२६,३०८	६०,२३३	६४,४२६
शाहजहांपुर ..	२,३०,४७५	२,२६,६३७	६४,७४०	६०,५४१

जिला	गन्ना का क्षेत्रफल एकड़ों में		गन्ने की उपज गुड़ के रूप में टनों में	
	१६५७–५८	१६५८–५६	१६५७–५८	१६५८–५६
मेरठ	३,१८,५७३	३,१३,१८३	३,६४,२३४	४,००,२३१
बरेली	६०,३२१	७६,६२८	७०,५३५	७०,३६१
शाहजहांपुर ..	८३,७६४	६२,५६६	६६,८२६	६८,८२०

जिला	चने का क्षेत्रफल एकड़ों में		चने की उपज टनों में	
	१६५७–५८	१६५८–५६	१६५७–५८	१६५८–५६
मेरठ	६१,६१७	६४,७८६	१५,६८२	२८,२१३
बरेली	१,२५,६०५	१,३६,६७८	१६,५८६	३१,१७६
शाहजहांपुर ..	१,३८,०८३	१,५२,५४४	२०,८७७	२८,०२४

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४५ पर)

तालिका

जनवरी, १९५७ से दिसम्बर, १९५९ तक

व्यय				रूपये
जीप की मरम्मत में	..	..	..	२,१०९·९१
पेट्रोल	..	..	..	४,२८५·५९
सर्विसिंग में	..	..	..	९२८·४५
लुब्रीकेन्ट्स	..	..	..	६१४·१७
वेतन में	..	..	..	१९९,९५९·५६
यात्रा व्यय	..	..	..	२,७९८·९२
		योग	..	२९,८९६·७२
		कुल आय	..	३१,८४३·१९

प्रेस ट्रस्ट

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—५ एल० ए०—१९६०—८४५ ।